



JHARKHAND GUIDELINES FOR **FOSTER CARE** झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश 2018



संचिका.संख्या- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

झारखण्ड, राँची

राँची/दिनांक- 22.03.2018

संकल्प

विषय: झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पालन पोषण देखरेख एवं प्रायोजन (स्पोसरशिप) हेतु दिशा निर्देशिका की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य के अधीन विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष तक के बच्चे (बालक/ बालिका) के पारिवारिक पालन पोषण एवं देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोसरशिप) के संबंध में सम्यक विचारोंपरांत झारखण्ड बाल प्रायोजन (स्पोसरशिप) दिशा निर्देश- 2018 तथा झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा निर्देश- 2018 अंगीकृत (परिशिष्ट I एवं II में संलग्न) किया गया है, जिसके द्वारा निर्णित है कि:-

2. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (बालक/ बालिका) जिनके परिवार की वार्षिक कुल आय रुपये 75000/- से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी है या माता- पिता द्वारा बच्चे का परित्याग किया गया है और रिश्तेदार की देख- रेख में रह रहे हैं। ऐसे बच्चे, जिनके माता- पिता असक्षम हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें एच.आई.बी/ एड्स/लेप्रोसी एवं शतप्रतिशत विकलांगता भी शामिल हैं अथवा माता/पिता अथवा दोनों कारागृह में हैं। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी या अन्य दुर्यवहार से प्रभावित बच्चे अथवा ऐसे बच्चे, जिन्हें किसी भी प्रकार की पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 'प्रायोजन' से तात्पर्य बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके परिवार को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता का प्रावधान है। माता-पिता अथवा उपयुक्त व्यक्ति जिसको प्रायोजन के अंतर्गत बच्चा दिया जा रहा है उनसे बचनबद्धता प्राप्त की जायेगी।

इस प्रायोजन कार्यक्रम के तहत परिवार के अधिकतम 3 बच्चे (बालिका को प्राथमिकता) को वित्तीय सहायता के रूप में 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चे के दर से दिये जायेंगे। इस राशि का प्रत्येक 3 वर्ष में समीक्षा की जायेगी। एक बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष तक लाभान्वित किया जा सकता है परन्तु विशेष परिस्थिति में निदेशक, समेकित बाल संरक्षण योजना की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से समीक्षोपरांत अधिकतम एक अवधि के लिये अनुमोदित किया जायेगा। प्रायोजन की अवधि सामान्य रूप से 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रायोजन के समाप्ति से पूर्व परिवार को बच्चों की देख-रेख करने हेतु आर्थिक एवं अन्य रूप से सशक्त बनाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

प्रत्येक जिले के प्रायोजन अनुमोदन के लिए प्रायोजन एवं पालन पोषण देख-रेख अनुमोदन समिति का गठन जिला बाल संरक्षण अधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा। समिति द्वारा प्रत्येक माह बैठक का आयोजन कर अनुश्रवण की कार्यवाई की जायेगी।

22/3/18

3. पालन पोषण देख- रेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे के निकटतम/अन्य परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु रखा जाता है।

यदि किसी मामले में बच्चे की देखभाल करने हेतु कोई संबंधी/अभिभावक उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने हेतु इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे को ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/ गोत्र से संबंध रखते हों, जिसमें बच्चे के पड़ोसी, माता-पिता के मित्र या समुदाय का अन्य कोई सदस्य जिससे बच्चे के माता पिता परिचित हो, सम्मिलित है। परन्तु ऐसी परिस्थिति में जबकि बच्चों (बालक/ बालिका) का जाति या धर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो तो बाल कल्याण समिति उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर यथोचित निर्णय लेंगी।

बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता प्रदान करते हुए ऐसे परिवार जो संलग्न मार्गनिर्देशिका में निहित परिस्थिति अथवा वातावरण उपलब्ध कराने में सक्षम हों, उस प्रकार के परिवारों को ही पालन पोषण का उत्तरदायित्व प्रदान किया जायेगा।

पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा बच्चे को पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय एवं शिक्षा प्रदान करने सहित बच्चे के समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, समर्थन एवं उपचार प्रदान किया जायेगा।

पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार में पति- पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना तथा दोनों की आयु का 35 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दोनों का बच्चे के पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना भी आवश्यक है।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यों एवं बाल संरक्षण सहित सम्बंधित सभी गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा। बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को दी जाने वाली देखरेख के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार आदेश दिये जायेंगे तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के मामले में स्थापन की समाप्ति तथा वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्माण किया जायेगा।


उचित अनुमोदन के उपरांत बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000/- रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

4. समेकित बाल संरक्षण योजना (आई सी पी एस) योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पालन पोषण देखरेख तथा प्रायोजन (स्पोसरशिप) हेतु 10(दस) लाख रूपए की राशि प्रावधानित है। इस निमित्त मार्ग निर्देशक नहीं रहने की स्थिति में राशि खर्च नहीं हो पाती है।


यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अनुसार केन्द्रांश तथा राज्यांश की राशि क्रमशः 60: 40 है। झारखण्ड राज्य के 24 जिलों को दिये जाने वाली कुल राशि 2 करोड़ 40 लाख रुपये मात्र है। इसके अंतर्गत केन्द्रांश 1 करोड़ 44 लाख रुपये तथा राज्यांश के रूप में 96 लाख रुपये का व्ययन होगा।

22/2/18


आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अनुलग्नक सहित इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा महालेखाकार (ले एवं ह) झारखण्ड का कार्या-
रॉची को प्रेषित किया जाये ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, हिनू, रॉची को सूचनार्थ एवं अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय ।


(विनय कुमार चौबे)
सचिव

ज्ञापांक:- म०स०/आई सी पी एस (फोस्टर केयर)-42/17 912 दिनांक- 22.03.2018
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/ महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, झारखण्ड, रॉची/ महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ सभी विभागीय प्रधान सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड , रॉची/ निदेशक- सह- सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड , रॉची/ सचिव, झारखण्ड/ राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उप-आयुक्त, झारखण्ड/ सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय मंत्री, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, रॉची/ निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, रॉची/ अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


(विनय कुमार चौबे)
सचिव

झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018

भारत में एक पूर्ण विकसित एवं सुदृढ़ परिवार प्रणाली मौजूद है तथा कई क्षेत्रों में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी बहुत मजबूत है तथा इसी वजह से बच्चे की उसके अपने भाई-बहन, चचेरे भाई-बहन और दादा-दादी के साथ परवरिश होती है। देश में “संयुक्त परिवार” शब्द का प्रयोग सामान्यतः “विस्तारित परिवार” के संदर्भ में किया जाता है। अगर माता-पिता बीमार होने या किसी अन्य कारण से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो, ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में रिश्तेदारों द्वारा बच्चे की देखभाल की जाती है।

वर्तमान दिशा-निर्देश का उद्देश्य हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में सन्निहित अनौपचारिक परिवार प्रणालियों को संस्थागत बनाना नहीं है, इसलिए इस दिशा-निर्देश में ऐसी व्यवस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है। यदि विस्तारित परिवार को बच्चे की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रायोजन कार्यक्रम से सहायता प्रदान की जा सकती है या परिवार को मजबूत बनाने वाली अन्य सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से भी जोड़ा जा सकता है।

प्रस्तुत पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पारिवारिक देखभाल से वंचित अथवा ऐसी जोखिम की संभावना वाले बच्चों को, जिनकी देखभाल तथा उनका संरक्षण आवश्यक हो, उन्हें असम्बद्ध परिवार पालन पोषण अथवा सामूहिक पालन पोषण की अभिरक्षा में रखना है।

इन दिशा-निर्देशों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 23 तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989 के तहत शक्ति प्रदान की गई हैं। इन दिशा-निर्देशों में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत तैयार किये गये दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 में प्रावधानित दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख को सम्मिलित नहीं किया गया है।

-9

अध्याय-1: प्रारम्भिक

1.1 संक्षिप्त शीर्षक :-

ये दिशा-निर्देश झारखण्ड पालन पोषण देखरेख (Foster Care) दिशा-निर्देश, 2018 कहलायेंगे।

1.2 परिभाषाएं :-

A. इन दिशा-निर्देशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "परित्यक्त बच्चा" से अभिप्रेत है अपने जैविक या दत्तकग्राही माता-पिता या संरक्षक द्वारा परित्यक्त ऐसा बच्चा जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया हो;
- (ii) "अधिनियम" से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 है;
- (iii) "दत्तकग्रहण" से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक बच्चा अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग होकर जैविक बच्चे के रूप में प्राप्त सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों सहित माता पिता का वैध बच्चा होगा।
- (iv) "पश्चातवर्ती देखरेख" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति की वित्तीय अथवा अन्य सहायता का प्रावधान करना है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, लेकिन इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर रहा हो।
- (v) "बच्चे का सर्वोत्तम हित" से अभिप्रेत है बच्चे के मूलभूत अधिकारों एवं जरूरतों के संबंध में तथा उसकी पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास की पूर्ति के लिए निर्णय लेने का आधार सुनिश्चित करना ;
- (vi) "देखरेख करने वाला" से अभिप्रेत है, उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे की देखरेख एवं संरक्षण के लिए नियुक्त समस्त कार्मिक ;
- (vii) "बाल देखरेख संस्थान" से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत ऐसे बच्चे, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, को देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत बालगृह, खुला आश्रय, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एवं उन बालकों की, जिन्हें ऐसी जरूरत है, प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त कोई उपयुक्त सुविधा ;
- (viii) "बच्चा" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है (किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार);

- (ix) "समिति" से अभिप्रेत है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति ;
- (x) "बाल अधिकार अधिवेशन" से अभिप्रेत है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, 1989;
- (xi) "जिला बाल संरक्षण इकाई" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 106 के तहत राज्य सरकार द्वारा जिले में स्थापित बाल संरक्षण इकाई;
- (xii) "उपयुक्त सुविधा" से अभिप्रेत है, किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र जो किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए एक बच्चे की अस्थायी रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं एवं ऐसी सुविधा को समिति द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयुक्तता की मान्यता दी गई हो;
- (xiii) "पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है समिति द्वारा बच्चे की वैकल्पिक देखरेख के उद्देश्य से उसके जैविक परिवार से अलग एक परिवारिक घरेलू वातावरण में स्थापन करना, जिसका ऐसी देखरेख प्रदान करने हेतु चयन, योग्य, अनुमोदन एवं पर्यवेक्षण किया गया हो;
- (xiv) "पालन पोषण परिवार" से अभिप्रेत है ऐसा परिवार जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा अधिनियम की धारा 44 के अधीन पालन पोषण देखरेख के लिए बच्चों को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है ;
- (xv) "सामूहिक पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है बिना माता-पिता की देखरेख वाले तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की एक परिवार जैसी देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा हो। इसका उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखरेख के साथ-साथ अपनेपन का एहसास, पहचान एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है;
- (xvi) "संरक्षक" से अभिप्रेत है, किसी बच्चे के संबंध में बच्चे के नैसर्गिक संरक्षक या अन्य व्यक्ति या समिति जिसकी वास्तविक देखरेख के लिए यथास्थिति द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;
- (xvii) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है ऐसा रिपोर्ट जिसमें भावी पालन पोषण माता-पिता के विवरण का उल्लेख हो तथा इस विवरण में उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण, जीवन स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच वर्तमान रिश्ते, स्वास्थ्य की स्थिति इत्यादि सम्मिलित होगा;
- (xviii) "रिश्तेदार द्वारा देखभाल" से अभिप्रेत है बच्चे की विस्तारित या संयुक्त परिवार के भीतर देखभाल;
- (xix) "अनाथ" से अभिप्रेत है ऐसा बच्चा –
- (i) जिसके जैविक या दत्तक माता-पिता या विधिक संरक्षक नहीं हैं या
 - (ii) जिसका विधिक संरक्षक बच्चे की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में सक्षम नहीं है;

10/

21

- (xx) "दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख" से अभिप्रेत है वह स्थिति जब दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण के लंबित आदेश तक बच्चों को भावी दत्तक माता-पिता की अभिरक्षा में दिया जाना है;
- (xxi) "विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार या अधिनियम की धारा 65 के अधीन मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्थान, जहां बाल कल्याण समिति के आदेश से अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु रखा जाता है;
- (xxii) "राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 67 के अधीन दत्तक ग्रहण एवं उससे संबंधित मामलों के संबंध में स्थापित एजेंसी;
- (xxiii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है संघ शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ शासित प्रदेश का प्रशासक;
- (xxiv) "अभ्यर्पित बच्चा" से अभिप्रेत है ऐसा बच्चा, जिसके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा, ऐसे शारीरिक भावनात्मक एवं सामाजिक कारक जो उनके नियंत्रण से परे हैं, के कारण त्याग दिया गया हैं और समिति द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

B.

- i. "मामला कार्यकर्ता" से अभिप्रेत है, पंजीकृत स्वयंसेवी या गैर-सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिधि, जो कि बोर्ड या समिति में बच्चे के साथ रहेगा तथा बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे गये कार्य करेगा;
- ii. "बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली" से अभिप्रेत ऐसी ऑनलाइन प्रणाली, जो दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को सरल बनायेगी तथा इसकी निगरानी करेगी;
- iii. "बाल अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है वह रिपोर्ट, जिसमें बच्चे का विवरण यथा जन्म-तिथि एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख
- iv. "व्यक्तिगत देखरेख योजना" से अभिप्रेत है, बच्चे की आयु, लिंग एवं विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित एक व्यापक विकास योजना तथा बच्चे के प्रकरण का विवरण, जिसे बच्चे के खोये आत्मसम्मान, गरिमा एवं स्वाभिमान को फिर से प्राप्त करने तथा उक्त योजना के अनुसार उसकी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में परवरिश करने के उद्देश्य से बच्चे के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हैं। इस योजना में बच्चे की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति को सम्मिलित किया जायेगा। जो निम्न तक सीमित है, अर्थात्-
 - a. स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं (विशेष आवश्यकताओं सहित)
 - b. भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं;

- c. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं;
- d. अवकाश, सृजनात्मकता एवं खेलकूद;
- e. सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा एवं अत्याचार से संरक्षण;
- f. प्रत्यावर्तन एवं अनुवर्तन;
- g. समाज की मुख्यधारा से जोड़ना;
- h. जीवन कौशल प्रशिक्षण;

- v. इस दिशा-निर्देश में प्रयुक्त सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नहीं हैं, उनका अर्थ वहीं होगा, जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं इससे संगत नियम में हैं।

1.3. प्रस्तावना—

I. गैर-औपचारिक संबंध :-

झारखण्ड में अनौपचारिक रिश्तेदारी में देखभाल प्रणाली मजबूत है। ऐसे बच्चों, जिनका परिवार नहीं है या उनका परिवार बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ है उन्हें विस्तारित या संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे बच्चे को देखभाल उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि किसी मामले में बच्चों की देखभाल करने हेतु कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है या देखभाल करने का इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे की ऐसे परिवार के साथ रखा जाता है, जो बच्चे के सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखता हो, जिसमें बच्चे का पड़ोसी, माता-पिता के दोस्त, या समुदाय का अन्य कोई सदस्य जिसको बच्चों के माता-पिता जानते हो, सम्मिलित है। इस तरह की व्यवस्था को इन दिशा-निर्देशों में निरूपित नहीं किया गया है, इस तरह की व्यवस्था हमारे सामाजिक परिवेश में सन्निहित है। इस तरह की गैर- औपचारिक रिश्तेदारी में देखरेख यथावत रहेगी, यह हमारे देश में एक जातिगत परम्परा है, इसलिए इसे इन दिशा-निर्देशों में सम्मिलित नहीं किया गया है। यदि किसी स्थिति में गैर-औपचारिक रिश्तेदारी में बच्चे की देखरेख करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रायोजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी या परिवार को मजबूत बनाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा।

II. राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 :-

वर्ष 2013 में अपनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति की मान्यता है कि सभी बच्चों को पारिवारिक माहौल में विकास का हंसी खुशी के वातावरण में, प्यार और समझ का अधिकार है। परिवार तथा परिवार का माहौल बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत अनुकूल है और उन्हें अपने माता-पिता से अलग नहीं होना चाहिए, जब तक कि ऐसा करना उनके हित में आवश्यक न हों।



20

III. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना, 2016 :-

वर्ष 2016 में अपनाई गई बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना में गैर-संस्थागत देखभाल के महत्व पर जोर दिया गया है। इस कार्य-योजना में पूर्ववर्तिता से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उन्हें गोद देने, पालन पोषण देखरेख और प्रायोजन को सम्मिलित किया गया है। यह बच्चों को उनके परिवारों में देखभाल और संरक्षण के लिए समुदाय आधारित व्यवस्था को महत्व देती हैं तथा जागरूकता, नीति निर्माण, स्थापित एजेंसी एवं अन्तर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य-योजना प्रदान करती है।

1.4 पालन पोषण देखरेख :-

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 44 के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को देखरेख और संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति के आदेश से पालन पोषण देखरेख में स्थापन किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत सामूहिक पालन पोषण भी शामिल है। पालन पोषण देखरेख के तहत बच्चे का स्थापन निम्नानुसार किया जा सकता है -

- (a) बच्चों के जैविक या दत्तक माता-पिता को छोड़कर कोई ऐसा परिवार, जिसका बच्चे से कोई संबंध नहीं है तथा ऐसे परिवार को बच्चे की एक अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए देखरेख हेतु उपयुक्त माना गया है।
- (b) अधिनियम के अन्तर्गत सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए मान्यता प्राप्त उचित सुविधा में।
- (c) पालन पोषण देखभाल करने वाले परिवार में जैविक बच्चों सहित बच्चों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (d) सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रहने वाले बच्चों की संख्या किसी भी समयावधि में 8 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अपवादात्मक स्थिति में भी बच्चों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1.4.1 पालन पोषण देखरेख एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें एक बच्चे को घर जैसे पारिवारिक माहौल में वैकल्पिक देखभाल के उद्देश्य से बच्चे को असंबंधित परिवारों के सदस्यों के साथ देखभाल और संरक्षण हेतु अल्पावधि या दीर्घावधि के लिए रखा जाता है।

1.4.1.1 बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखते समय ऐसे परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी, जो बच्चे के सामाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत या समुदाय/गोत्र से संबंध रखते हैं। बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देखरेख अल्पावधि या विस्तृत अवधि

के लिए हो सकती है। वैसे परिस्थितियों का निर्धारण, जिनमें पालन पोषण देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।

परिभाषाएं :-

- i. अल्पावधि के लिए पालन पोषण देखरेख से अभिप्रेत है वह अवधि जो 1 वर्ष से अधिक न हो।
- ii. समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख की दीर्घावधि को एक वर्ष से अधिक तक बढ़ाया जा सकता है, समिति द्वारा इस अवधि का निर्धारण पालन पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बच्चे को रखने की क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर कर यह कालावधि बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ायी जा सकती है।

1.4.1.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख को, बिना माता-पिता की देखरेख वाले, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधा में एक पारिवार जैसी देखरेख रूप में परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख एवं अपनेपन का एहसास, पहचान एवं भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना है।

गलियों से लाए गए बच्चों को पालन पोषण देखरेख में भेजने से पूर्व सामूहिक पालन पोषण देखरेख उन बच्चों के लिए एक उपर्युक्त आवर्तक व्यवस्था के रूप में काम करती है। उन्हें यहाँ रखने पर समूह से पारिवारिक देखरेख में बिना किसी कठिनाई के भेजने में मदद मिलती है। इन्हें यहाँ रखने का उद्देश्य उन्हें फुटपाथ की संस्कृति से अलग करना है। यह बच्चे को वैकल्पिक देखरेख प्रदान करने में, उस बच्चे को संस्थागत संस्कारों से अलग करने का कार्य भी करता है।

अतः सामूहिक पालन पोषण देखरेख उस पारिवारिक व्यवस्था की तरह काम करता है जहाँ असम्बद्ध बच्चों को उचित सुविधा में पालन पोषण देखरेखकर्ता की देखरेख में रखा जाता है।

1.4.1.3 देश भर में सामूहिक पालन पोषण देखरेख के विभिन्न मॉडल समूह कार्यरत हैं। इनके द्वारा सीमित संख्या में बच्चों को अल्पावधि या दीर्घावधि सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करने के लिए पारिवारिक व्यवस्था या पारिवारिक वातावरण जैसी सुविधा देने का कार्य किया जा रहा है। किन्तु इन सभी का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत उपयुक्त सुविधा के लिए पंजीकृत होना एवं बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चों का स्थापन होना आवश्यक है।

1.5 पालन पोषण देखरेख के मूलभूत सिद्धान्त :-

- i. पारिवारिक या परिवार जैसा वातावरण बच्चों के लिए सबसे आनन्दमय होता है और ऐसे वातावरण में विकास प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

✓

- ii. ऐसा मानते हुए कि प्रत्येक बच्चों को एक पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बच्चे को उसके जैविक परिवार के साथ फिर से जोड़ने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना आवश्यक है।
- iii. इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आवश्यक एवं उचित सिद्धान्तों के आधार पर मामला दर मामला सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेंगे। इस प्रक्रिया में बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जायेगा तथा बच्चों को पूरी प्रक्रिया से अवगत तथा इसके लिए तैयार किया जायेगा।
- iv. इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बाल अधिकारों का सम्मान करते हुए तथा बच्चे की क्षमता के आधार पर उसके विचारों को महत्व देते हुए सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण अपनाये जायेंगे। इस प्रक्रिया में बच्चे एवं बच्चे के परिवारों/कानूनी अभिभावकों (जहां उपलब्ध हों) की पूर्ण भागीदारी आवश्यक है।
- v. बच्चे के भाई-बहन एवं जुड़वा को एक ही परिवार में पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में रखा जाना चाहिए, ऐसे मामलों में परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में रखे जाने वाले बच्चों की संख्या की सीमा में छूट दी जा सकती है।

1.6. परिवार या सामूहिक पोषण-देखरेख में बच्चों का स्थापन :-

- i. एक बच्चे की पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखभाल में स्थापन की उपयुक्तता का निर्धारण बाल कल्याण समिति द्वारा पूर्व में बच्चों के किये गये पालन पोषण, बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं बच्चों की प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। उक्त निर्णय के दौरान निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखा जायेगा -
 - बच्चे के कटु अनुभव का स्तर (तस्करी/बाल-श्रम से मुक्त बच्चे, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह से पीड़ित बच्चे इत्यादि)
 - मादक पदार्थों की लत का विवरण
 - विकलांगता का स्तर एवं प्रकार
 - सामाजिक व्यवहार,
 - किसी भी विशेष देखभाल की आवश्यकता, लाइलाज बीमारी इत्यादि एवं
 - बच्चे की संस्थागत देखरेख अलग करने की आवश्यकता
 - सुविधाओं की उपलब्धता
 - प्रवासी (घुमंतु) परिवारों के बच्चे (मौसमी प्रवासन)
 - संस्थान/बाल देखरेख संस्थान में भाई-बहन का होना
- ii. प्रकरण के अनुसार बच्चे या माता-पिता/अभिभावक की पसंद या सहमति

2/

- iii. वैकल्पिक उपलब्धता।
- iv. विकल्प की उपयुक्तता।

1.7. पालन पोषण देखरेख की पात्रता रखने वाले बच्चों :-

0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र माना गया है या दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, उनका यथासंभव पालन पोषण देखरेख में स्थापन नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चों को दत्तक ग्रहण विनियमन के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार प्रदान किया जाएगा।

(a) ऐसे बच्चे जिनका बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण नहीं हुआ है -

(1) निम्नलिखित कोटियों के ऐसे बच्चों को निम्नलिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देखरेख के लिए माना जा सकता है -

- i. यदि 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के दत्तक ग्रहण में देने योग्य बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 2 वर्ष के पश्चात देश में या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के तहत एक परिवार नहीं मिल पाया है, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा। बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की अनुशंसा के आधार पर ऐसे बच्चों को उसके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता दी जायेगी।
- ii. यदि 8 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 1 वर्ष के भीतर किसी भावी दत्तक माता-पिता द्वारा चयनित नहीं किया गया है, बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की अनुशंसा के आधार पर ऐसे बच्चों को उसके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा।
- iii. किसी भी आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए जाने के 1 वर्ष के पश्चात भी देश में या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के तहत एक परिवार नहीं मिल पाया है, बाल कल्याण समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की अनुशंसा एवं ऐसे बच्चों की देखरेख के लिए पारिवारिक पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार की उपयुक्तता के समर्थन हेतु गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाली उपयुक्त

10

सुविधा में सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऐसे बच्चों को उनके मामले में यथा स्थिति पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या सामुहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु योग्य माना जायेगा। झारखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य द्वारा विशेष सामुहिक पालन पोषण देखरेख को प्रोत्साहन करने सहित विषम परिस्थितियों में मौजूद बच्चों हेतु इस तरह की देखरेख व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रयास किये जायेंगे।

(a) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का पारिवारिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण पालन पोषण उपलब्ध कराने वाले परिवार की बच्चे का प्रबंधन करने की क्षमता के आधार पर किया जायेगा।

(b) इसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामुहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन का निर्धारण उपयुक्त सुविधा में ऐसे बच्चों हेतु आवश्यक सुविधा की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

(b) ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है—

दत्तक ग्रहण पूर्व पालन पोषण देखरेख के अतिरिक्त यदि एक बच्चा पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार के साथ न्यूनतम 5 वर्ष रहता है, तो ऐसे परिवार द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन किया जा सकता है। पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले ऐसे माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 के तहत निर्मित बाल दत्तक संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली पर एक अलग से पृष्ठ पंजीकृत करना होगा।

(c) ऐसे बच्चे, जिन्हें संस्थागत देखरेख सेवाओं से अलग किया जा सकता है —

- i. बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया गया है, ऐसे बच्चों का संस्थान में निर्मित व्यक्तिगत देखरेख योजना के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन किया जा सकता है।
- ii. लाइलाज बीमारी से ग्रसित ऐसे माता-पिता, जो अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं तथा अपने बच्चे की देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया है।
- iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित ऐसे बच्चे —
 - जिनके माता-पिता मानसिक रूप से बीमार हैं तथा बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं।
 - जिनके माता या पिता या दोनों जेल में हैं।

- ऐसे बच्चे, जो शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण, प्राकृतिक/मानव निर्मित आपदाओं, कृषि संकट एवं घरेलू हिंसा इत्यादि से पीड़ित हैं।

1.8. पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के अधिकार—

1.8.1. पालन पोषण देखरेख के तहत बच्चे के अधिकार —

- बाल कल्याण समिति द्वारा जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे के सर्वोत्तम हित का समर्थन करते हुए तथा यथासंभव बच्चे के विचारों का ध्यान स्थापन एवं व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करते समय रखा जायेगा।
- बच्चा अपने जैविक परिवार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेगा एवं वह अपने परिवारों के सदस्यों से मिल सकता है।
- बच्चों के हित के आधार पर उसका जैविक परिवार के साथ संपर्क कराया जायेगा।
- बच्चों द्वारा अपने विकास के लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा उन तक पहुंच बनाई जायेगी।
- बच्चे के जीवित रहने, विकास, संरक्षण एवं सहभागिता के अधिकारों को संरक्षित किया जायेगा।

1.8.2. पालन पोषण करने वाले माता-पिता के अधिकार निम्नानुसार हैं —

- सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार
- उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 44 (V) में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत एक बच्चों को गोद लेने का अधिकार

1.8.3. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के अधिकार —

- सुनवाई एवं सम्मान का अधिकार
- उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करने का अधिकार
- प्रशिक्षण एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार

1.9. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की देखरेख में रखे गये बच्चे के प्रति जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं —

1.9.1. पालन पोषण देखरेख उपलब्ध कराने वाले परिवार द्वारा यह किया जायेगा —

- बच्चे को पर्याप्त भोजन, कपड़े, आश्रय एवं शिक्षा प्रदान करना।
- बच्चे को समग्र शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखरेख, समर्थन एवं उपचार प्रदान करना।

- बच्चे की आयु, विकास की आवश्यकताओं एवं बच्चे की रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बच्चों की उच्च शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार सहयोग करना।
- बच्चे का शोषण, दुर्व्यवहार, नुकसान, उपेक्षा एवं दुरुपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना तथा यह हमेशा पता रखना कि बच्चा कहाँ है।
- बच्चे एवं उसके जैविक परिवार या अभिभावक की गोपनीयता का सम्मान करना। उनके बारे में प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है तथा पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष को इसकी जानकारी नहीं देना।
- आपातकालीन परिस्थितियों में उपचार उपलब्ध कराना तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार को सूचित करना। आवश्यकतानुसार समिति द्वारा उपयुक्त आदेश जारी किये जा सकते हैं।
- बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन कर बच्चों की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय-समय पर चर्चा करना। समिति के निर्देशानुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- घर के दौरे (विजिट) के दौरान बच्चों एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति की परामर्श से बच्चे एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- पालन पोषण देखरेखकर्ता द्वारा अपने जैविक बच्चे एवं पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे के मध्य या पालन पोषण देखरेख प्राप्त कर रहे बच्चों के मध्य भेदभाव नहीं करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चा कहाँ है तथा प्रत्येक समय बच्चे की जानकारी रखना, जिसमें बच्चे की छुट्टी की योजना में परिवर्तन तथा बच्चे के पलायन (भाग जाने) करने की घटना की समिति को सूचना देना भी सम्मिलित हैं।
- बच्चे को किसी प्रकार की गंभीर घटनाओं जैसे चोट (आकस्मिक या गैर आकस्मिक) लगने, किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप (गाली देना/अपशब्द बोलना) से दुरुपयोग करने एवं बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक एवं स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना।
- बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चों की अभिरक्षा का त्याग करना।
- पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा अगर बच्चों को किसी अन्य स्थान पर परिवार द्वारा किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित किया जाता है, तो इस संबंध में पालन पोषण देखरेख देखरेख प्रदान करने वाले परिवार द्वारा बाल कल्याण समिति से अनुमति लेनी होगी तथा सूचित किया जायेगा।

- बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ एक बंधपत्र पर हस्ताक्षर करना।

1.9.2. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की जिम्मेदारी :-

उपयुक्त सुविधा में भोजन, बोर्डिंग, आवास, शिक्षा प्रदान करने एवं देखरेख के मानकों को बनाए रखने के अतिरिक्त देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा यह किया जायेगा--

- बाल कल्याण समिति एवं बच्चे के जैविक परिवार के साथ घर एवं विद्यालय में समायोजन में बच्चों की प्रगति से संबंधित जानकारी साझा करना तथा समय-समय पर चर्चा करना। समिति के निर्देशानुसार बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- घर के दौरे (विजिट) के दौरान बच्चों एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्मिकों के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बाल कल्याण समिति की परामर्श से बच्चे एवं उसके जैविक परिवार के मध्य संपर्क कराने में सहयोग करना।
- चिकित्सा के गंभीर मामले, जैसे शल्य प्रक्रिया एवं ऐनस्थेसिया के उपयोग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समिति से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बच्चा कहां है तथा प्रत्येक समय बच्चे की जानकारी रखना, जिसमें बच्चे की छुट्टी की योजना में परिवर्तन तथा बच्चे के पलायन (भाग जाने) करने की घटना की समिति को सूचना देना भी सम्मिलित हैं।
- बच्चे को किसी प्रकार भी गंभीर घटनाओं जैसे चोट (आकस्मिक या गैर आकस्मिक) लगने, किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप (गाली देना/अपशब्द बोलना) से दुरुपयोग करने एवं बच्चे द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक एवं स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना।
- बच्चे को जीवन कौशल, व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण (14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को) उपलब्ध कराने के प्रयास में सहयोग करना।
- बच्चों को आत्मनिर्भर बनने हेतु तैयार करना (17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को)।
- बच्चों को परामर्श सहायता उपलब्ध कराना।
- कम से कम 2 वर्ष में 1 बार बच्चों का अनुवर्तन (फॉलोअप) करना तथा अनुवर्तन (फॉलोअप) रिपोर्ट बाल कल्याण समिति के साथ साझा करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करना।

1.10. पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के चयन हेतु मानदंड -

R

1.10.1. अधिनियम की धारा 44 (2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन परिवार की योग्यता, आशय, क्षमता एवं बच्चों की देखभाल करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार का चयन करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जा सकता है :-

- (i) पति-पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना
- (ii) पति-पत्नी दोनों का बच्चों की पालन पोषण देखरेख प्रदान करने के लिए इच्छुक होना
- (iii) पति-पत्नी दोनों की आयु का 35 वर्ष से अधिक होना तथा उनका शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना
- (iv) आमतौर पर पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की कोई आय होनी चाहिए, जिससे वे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो।
- (v) एक परिसर में रहने वाले पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार के सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्पून्डेफीसिएंसी वायरस (एच.आई.वी.), तपेदिक (टी.बी.), एवं हेपेटाइटिस बी, अन्य वंशानुगत रोग, कैंसर इत्यादी सम्मिलित हैं, ताकि उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने को निर्धारित किया जा सके।
- (vi) उपयुक्त जगह एवं आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए,
- (vii) निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें डॉक्टर के नियमित दौरे, बच्चे के स्वास्थ्य का रखरखाव एवं उसकी रिपोर्ट सम्मिलित है।
- (viii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आयोजित पालन पोषण देखरेख आमुखीकरण कार्यक्रमों में भाग लेना।
- (ix) किसी प्रकार की आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग का नहीं होना चाहिए,
- (x) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय नियम के अनुसार एक अकेले पुरुष को एक बालिका को पालन पोषण देखरेख के लिए केवल उसी स्थिति में दिया जायेगा, जब उनके बीच आयु का अन्तर 21 वर्ष से अधिक हो।
- (xi) एक संगठन/गैर-सरकारी संगठन, जिसके द्वारा किसी बाल देखरेख संस्थान का संचालन किया जा रहा है, सामूहिक पालन पोषण देखरेख सुविधा का संचालन नहीं कर सकेगा।

1.10.2 सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा के चयन हेतु मानदंड -

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु उपयुक्त सुविधा का चयन करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जा सकता है :-

- (i) अधिनियम के तहत संस्था का पंजीकृत होना।
- (ii) बाल कल्याण समिति द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चों का स्थापन के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त होना।
- (iii) स्वयंसेवी संगठन के रूप में नीति आयोग की वेबसाइट पर पंजीकृत होना।
- (iv) बाल संरक्षण नीति का होना।
- (v) उपयुक्त सुविधा में सभी देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिवी वायरस (एच.आई.वी), तपेदिक (टी.बी), एवं हेपेटाइटिस बी, अन्य वंशानुगत रोग, कैंसर इत्यादी सम्मिलित है, ताकि उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने को निर्धारित किया जा सके।
- (vi) देखरेख प्रदानकर्ता पर किसी प्रकार की आपराधिक दोषसिद्धि या अभियोग का नहीं होना चाहिए,
- (vii) जगह की आवश्यकता – बच्चों के समूह के आवास लिए में (अधिकतम 8 बच्चों के लिए) पर्याप्त उपयुक्त सुविधाएं हो, अगर बालक-बालिका दोनों के लिए एक साथ उपयुक्त सुविधा है, तो उनकी निजता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं एवं स्थान का होना।
- (viii) पर्याप्त जगह एवं उचित सुविधाओं का होना।
- (ix) घर में व्यवस्थित रसोई, बालक-बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय एवं बाथरूम होने चाहिए। कम से कम प्रत्येक 4 बच्चों पर 1 अलग शौचालय होना चाहिए।
- (x) परिसर दिखने में संस्थागत के बजाय घर जैसा होना चाहिए तथा पारिवारिक वातावरण होना चाहिए।
- (xi) सामूहिक पालन पोषण देखरेख की उपयुक्त सुविधा का मौजूदा आबादी के आस-पास होना, जिससे स्थानीय संपर्क को प्रोत्साहित किया जा सके।
- (xii) देखरेख प्रदानकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर की जायेगी।
- (xiii) आमतौर पर उनका बच्चों के साथ समाननुभूति तथा जुड़ाव वाले संबंध होने चाहिये।
- (xiv) प्रत्येक सामूहिक पालन पोषण देखरेख की उपयुक्त सुविधा के पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता को सेवा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xv) देखरेख प्रदानकर्ता की सेवानिवृत्ति की नीति होनी चाहिए।



अध्याय 2 : पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन से संबंधित प्रक्रियाएं

एक जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल प्राधिकरण है। जिले में पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन से संबंधित सभी निर्णय बाल कल्याण समिति द्वारा इकाई की अनुशंसा, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की भागीदारी के साथ लिये जायेंगे।

2.1. बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के स्थापन की प्रक्रिया :-

2.1.1. व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना -

- मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक बच्चे की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 7 के अनुसार व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।
- व्यक्तिगत देखरेख योजना को समय-समय पर बच्चों की आवश्यकता एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समीक्षा एवं समायोजित किया जायेगा।

2.1.2. बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना -

पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चिन्हित प्रत्येक बच्चे की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 31 के अनुसार विस्तृत बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

2.1.3. पालन पोषण देखरेख में बच्चे के स्थापन की अनुशंसा -

- व्यक्तिगत देखरेख योजना एवं बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर बाल देखरेख संस्थान के बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा ऐसे बच्चे की अनुशंसा की जायेगी, जिनको पालन पोषण देखरेख के तहत लाभान्वित किया जा सकता है।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रभारी द्वारा इन दिशा-निर्देशों के पैरा 1.5 में चिन्हित ऐसे बच्चे, जिन्हें दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात भी दत्तक ग्रहण में नहीं दिया गया है, के सहित पालन पोषण देखरेख हेतु पात्रता रखने वाले बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण इकाई को अग्रेसित की जाएगी।

2.1.4 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वाले परिवार की पहचान करना -

- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे परिवारों/व्यक्तियों की पहचान की जायेगी, जो बच्चे की प्राथमिकता के साथ बच्चे के पालन पोषण देखरेख करने के इच्छुक हैं। इस प्रयोजन के लिए इकाई द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में समय-समय पर

विज्ञापन प्रकाशित कर पारिवारिक पालन पोषण देखरेख हेतु आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। विज्ञापन की प्रतिक्रिया में पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला आदर्श प्रार्थना पत्र प्रारूप-क संलग्न हैं।

- ii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अध्याय-1 के पैरा 10.1 के मानदंडों के आधार पर आवेदकों का चयन किया जायेगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के साथ साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा, जो कि भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार के मूल्यांकन में सहायक होगा। पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रारूप-ख तैयार की जायेगी।
- iii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार द्वारा संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के 2 सम्मानित व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।
- iv. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का आकलन करने के पश्चात, ऐसे परिवार का बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम तथा बच्चों के पालन पोषण देखरेख के लिए मिलने वाले भुगतान पर निर्भर नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच जायेगी। मूल्यांकन के बाद सभी मानदंड से संतुष्ट है, केवल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, तब भी मामला इस प्रयोजन हेतु जिले में गठित प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसित किया जायेगा इसके बाद बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम आदेश जारी किया जायेगा। विशेषकर उच्च अध्ययन के मामलों में आवश्यकतानुसार बाद में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- v. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भावी पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार का एक रोस्टर/पैनल तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष इन परिवारों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली पोषण देखरेख का विवरण बाल कल्याण समिति को पालन पोषण देखरेख में बच्चों के स्थापन हेतु अग्रेसित की जायेगी।
- vi. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन की तैयारी की जायेगी। पालन पोषण करने वाले माता-पिता एवं पालन पोषण में दिये जाने वाले बच्चों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा इसकी एक रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन रिपोर्ट्स को आपस में मिलाने की प्रक्रिया के दौरान तैयार किया जायेगा तथा पत्र के साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।
- vii. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेसित करने से पूर्व पालन पोषण हेतु चिन्हित परिवार को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक क्या है तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता से अपेक्षाएं) से आमुखीकरण कराया जायेगा। इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेसित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

2.1.5. पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना—

बाल कल्याण समिति द्वारा भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की सूची प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 30 में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जायेंगे।

2.1.6. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चों का मिलान कराना —

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा मिलान रिपोर्ट के आधार पर भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी तथा बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों के स्थापन के लिए आदेश जारी किये जायेंगे।

2.1.7. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा की पहचान करना —

- (i) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अध्याय 1 के पैरा 10.2 के मानदंडों के आधार पर बच्चों को रखने हेतु इच्छुक उपयुक्त सुविधा की पहचान की जायेगी।
- (ii) इसी तरह, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा का संचालन करने वाले संगठन के पदाधिकारियों एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं का साक्षात्कार किया जायेगा तथा इसी दौरान सुविधाओं एवं देखरेख प्रदानकर्ताओं का मूल्यांकन किया जायेगा।
- (iii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सामूहिक पालन पोषण देखरेख के माध्यम से संचालित उपयुक्त सुविधा के संदर्भ हेतु उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार समुदाय के सम्मानित 2 व्यक्तियों से पुष्टि की जायेगी।
- (iv) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इन दिशा-निर्देशों के पैरा 10.2 के अनुसार किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीयन, उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता, बाल सुरक्षा नीति, देखरेख प्रदानकर्ताओं की चिकित्सा रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन इत्यादि का प्रति-परीक्षण किया जायेगा।
- (v) नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकरण की भी जांच की जायेगी (यदि लागू हो)।
- (vi) यदि विदेश से धन/राशि प्राप्त किया जा रहा है, तो एफ.सी.आर.ए पंजीकरण की जांच करना।
- (vii) जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बाल कल्याण समिति को अग्रेसित करने से पूर्व उपयुक्त सुविधा के मुख्य देखरेख प्रदानकर्ता को संबंधित विषय (जैसे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों, बच्चे की संभावित पृष्ठभूमि, पालन पोषण देखरेख/अभिभावक क्या है तथा एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता से अपेक्षाएं)

से आमुखीकरण कराया जायेगा। इसे प्रमाणित करते हुए बाल कल्याण समिति को अग्रेसित किये जाने वाले दस्तावेज में सम्मिलित किया जायेगा।

2.1. 8. उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का बच्चे से मिलान कराना :-

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा के निरीक्षण, बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तथा उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ बच्चे की अनुकूलता के आधार पर सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे स्थापन करने की अनुशंसा की जायेगी।

2.1.9. समिति द्वारा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के अन्तिम आदेश से पूर्व की प्रक्रिया :-

बच्चे के स्थापन को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ एवं विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा बाल मैत्री तरीके से संभाला जायेगा।

(a) पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे का स्थापन :-

- i. भावी पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को एक माह की अवधि के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक छोटी मीटिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार की घर की विजिट कराई जायेगी तथा परिवार के अन्य परिवार से मिलवाया जायेगा।
- ii. समिति के अंतरिम आदेश के पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ बच्चे की अनुकूलता का मूल्यांकन एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं, मूल्यांकन रिपोर्ट 15 दिन के भीतर बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।
- iii. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान हेतु प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी तथा 30 दिनों के भीतर प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति से अनुशंसा प्राप्त की जायेगी एवं मामले को पुनः बाल कल्याण समिति को अंतिम आदेश हेतु भेजा जायेगा।

50

(b) उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में बच्चे का स्थापन :-

उपयुक्त सुविधा के भावी देखरेख प्रदानकर्ता के साथ एक बच्चे के मिलान के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश के माध्यम से बच्चे एवं देखरेख प्रदानकर्ता को सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में बातचीत करने हेतु एक छोटी मीटिंग करने की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात बच्चे द्वारा उपयुक्त सुविधा की विजिट कराई जायेगी तथा बच्चों से मिलवाया जायेगा।

2.1.10. बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम स्थापन आदेश :-

- i. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुकूलता की रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 32 में बच्चे के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु अंतिम आदेश दिये जायेंगे तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
- ii. ऐसे मामलों में जहां कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, बाल कल्याण समिति द्वारा अंतरिम आदेश पारित के 60 दिनों के भीतर अंतिम आदेश प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की सिफारिश के आधार पर दिये जायेंगे।
- iii. ऐसे मामलों में जहां वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बाल कल्याण समिति द्वारा सामान्यतः अंतरिम आदेश पारित करने के 75 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।
- iv. पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान के अन्तर्गत उपयुक्त सुविधा में हर एक बच्चे के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान है एवं बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहयोग दिया जा सकता है। उपयुक्त सुविधा राज्य सरकार से मामले के आधार पर अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध कर सकती है।

2. 1.11 पालन पोषण करने वाले माता-पिता/देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा वचनबद्धता -

पालन पोषण करने वाले माता-पिता एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 33 में बच्चे की पालन पोषण देखरेख करने हेतु बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

2.2. समुदाय में रहने वाले बच्चों के स्थापन की प्रक्रिया :-

2.1. पालन पोषण देखरेख के लिए पात्र बच्चों की पहचान करना -

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की जागरूकता पैदा की जायेगी तथा माता-पिता की सहायता के बिना जीवन यापन करने वाले बच्चों की पहचान की जायेगी। ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर उनकी परिस्थितियों का पता लगाया जायेगा तथा जिले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा। ऐसे बच्चों का बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु चयन किया जा सकता है।

2.2.2. आगे की प्रक्रिया -

बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु आगे की प्रक्रिया में, पालन पोषण देखरेख हेतु बच्चे की पहचान एवं अनुशंसा, पालन पोषण करने वाले परिवारों एवं उपयुक्त सुविधाओं की पहचान, भावी पालन पोषण करने वाले परिवार का गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों के मिलान, पालन पोषण देखरेख में स्थापन एवं इस अध्याय के पैरा 2.1.1 से 2.1.11 के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख में देखरेख प्रदानकर्ताओं एवं पालन पोषण करने वाले माता-पिता का बंधपत्र पर हस्ताक्षर होना सम्मिलित हैं।

2.2.3. पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं द्वारा स्वप्रेरणा से देखरेख:-

बच्चे को तत्काल देखरेख की आवश्यकता की स्थिति में उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा स्वप्रेरणा से बच्चे की देखरेख कर सकते हैं तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक आंकलन के पश्चात निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा का सामूहिक पालन पोषण देखरेख या पारिवारिक पालन पोषण देखरेख बच्चे के स्थापन के लिए 60 दिनों के भीतर निर्णय लिया जायेगा। बाल कल्याण समिति द्वारा दिये गए, स्वप्रेरणा देखरेख के अन्तर्गत वंचित बच्चों की आबादी आती है, जिन्हें विशेष परिवार आधारित देखरेख सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे- तस्करी वाले बच्चों, यौन हिंसाओं या दुर्यवहार वाले बच्चों, हिंसा से प्रभावित बच्चों, सड़क पर रहने वाले बच्चों इत्यादि शामिल है। बच्चों का संस्थागत व्यवस्था में स्थापन आघात नहीं हो।

2.2.4. संस्थागत देखरेख से विस्थापित बच्चों की काउंसलिंग (परामर्श) :-

बच्चों को संस्थागत देखरेख से परिवार या उपयुक्त सुविधा में ले जाने के कारण हुये वातावरण परिवर्तन के लिए तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है। एक नया स्थापन बच्चे के लिए तनावपूर्ण हो सकता है तथा इसे दूर करने के लिए बच्चे को गहन काउंसलिंग (परामर्श) की आवश्यकता होती है।

पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा में बच्चे का अंतिम स्थापन से पहले की अंतरिम अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है तथा इसे प्रशिक्षित पेशवरों द्वारा

देखरेख के साथ संभाला जाना चाहिए। बच्चे को इसके लिए तैयारी का प्रकार, बच्चे की उम्र एवं पालन पोषण देखरेख में बच्चे का स्थापन के कारण पर निर्भर होता है। खासकर पुराने बच्चों के मामले में या विषम परिस्थितियों के कारण बच्चों का जैविक परिवार से अलग होने पर निर्भर करता है।

इसलिए, ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके जैविक माता-पिता जेल में हैं या लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं तथा इन बच्चों को अपने जैविक माता-पिता के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक अवसर दिये जाने की आवश्यकता है। इस अवधि में बच्चे के साथ समग्र समायोजन के लिए पालन पोषण करने वाले परिवार (उनके जैविक बच्चों सहित) को परामर्श एवं मार्गदर्शन भी शामिल होगा।

2.2.5 उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं की काउंसलिंग (परामर्श) –

उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख के देखरेख प्रदानकर्ता को काउंसलिंग (परामर्श) प्रदान की जायेगी, जिससे उन्हें एक बच्चे की देखरेख की समस्त जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु सक्षम बनाया जा सके।

इन उपयुक्त सुविधाओं में देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ उनके जैविक बच्चे भी हो सकते हैं, देखरेख प्रदानकर्ताओं के साथ उन बच्चों की काउंसलिंग (परामर्श) होनी चाहिए, ताकि वे सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रह रहे अन्य बच्चों के साथ समायोजन कर सकें।

2.2.6. बच्चे एवं उसके जैविक माता-पिता की काउंसलिंग (परामर्श) :-

ऐसा मानते हुए कि प्रत्येक बच्चों को एक पारिवारिक वातावरण में बढ़ने का अधिकार है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जैविक परिवार को सुदृढ़ बनाकर, बच्चे को उसके जैविक परिवार के साथ फिर से जोड़ने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाना आवश्यक है। बच्चे के जैविक माता-पिता (अगर जीवित हैं और उपलब्ध हैं) तो उनकी बच्चों को वापस लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध करायी जायेगी।

स्थापन से पूर्व एवं स्थापन के दौरान जैविक माता-पिता एवं पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की काउंसलिंग (परामर्श) तथा मिलान की प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध कराने के लिए मॉड्यूल/पेम्पलेंट मॉडल प्रारूप ग-1 से ग-4 में क्रमशः तैयार किये गए हैं।

2.3. पालन पोषण देखरेख की शुरुआत :-

उचित अनुमोदन के पश्चात जहां भी बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है या जब इस तरह की सहायता का अनुरोध नहीं किया गया है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार के निवास तक बच्चे के मार्गरक्षण की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय सहायता राशि प्रत्येक 3 माह के प्रारम्भ में सीधे ही जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बच्चे के नाम के पोस्ट ऑफिस खाते/बैंक बचत खाते स्थानान्तरित की जायेगी, इस खाते का संचालन बच्चों

53

एवं पालन पोषण करने वाले माता या पिता द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। उपयुक्त सुविधा में ऐसा कोई भी बैंक खाता नहीं खोला जायेगा।

इसी प्रकार जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख तक बच्चे के मार्गरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के नजदीकी विद्यालय में बच्चे का नामांकन करवाने हेतु सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। (अगर ऐसा अनुरोध किया गया है, तो)

2.4. वित्तीय सहायता :-

उचित अनुमोदन के पश्चात बच्चे की देखरेख हेतु वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध करने की स्थिति में पालन पोषण करने वाले माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में न्यूनतम 2000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। यह वित्तीय सहायता किशोर न्याय निधि या केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की किसी अन्य योजना या कार्यक्रम से भी प्रदान की जा सकती है। सामूहिक पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चों के लिए भी 2000 रुपये का वित्तीय मानदंड लागू होगा। यह वित्तीय सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में संशोधित की जा सकती है।

2.5. प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति (एस.एफ.सी.ए.सी.) :-

राज्य सरकार प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख निधि/कोष की समीक्षा एवं स्वीकृति हेतु प्रत्येक जिले में एक प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति की स्थापना कर सकती है। प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा प्रत्येक माह अपनी बैठक आयोजित की जायेगी। असाधारण मामलों के अतिरिक्त प्रत्येक मामले का निपटारा 75 दिनों के भीतर किया जायेगा एवं किसी भी मामले के निपटान आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने में किया जायेगा।

2.6. बचाव -

- i. एक समय में एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को नहीं रखा जायेगा।
- ii. केवल भाई-बहनों के अपवादात्मक प्रकरणों में, उन्हें प्राथमिकता से एक साथ एक ही परिवार या उपयुक्त सुविधा में रखा जायेगा।
- iii. जहां उचित एवं आवश्यक है पालन पोषण देखरेख हेतु जैविक माता-पिता की सहमति प्राप्त की जायेगी।
- iv. यदि पालन पोषण करने वाले परिवार विशेष आवश्यकता वाला जैविक बच्चा है, तो ऐसे परिवार में पालन पोषण हेतु किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का स्थापन नहीं किया जायेगा। इसके स्थान पर विशेष जरूरत वाले बच्चे का स्थापन विशेष सुविधाओं वाली उपयुक्त सुविधा में किया जायेगा।

54

- v. यथासंभव बच्चों को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं जाति से संबंध रखने वाले पालन पोषण करने वाले परिवारों में स्थापन किया जायेगा।
- vi. यथासंभव बालक या बालिकाओं हेतु संचालित सामूहिक पालन पोषण देखरेख यदि अपनी सेवाओं का विस्तार भाई-बहनों की देखरेख तक करते हैं, तो यह स्थिति लागू नहीं होगी।
- vii. यथासंभव सामूहिक पालन पोषण देखरेख में 7 से 11 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं संचालित की जायेगी।

अध्याय 3: निगरानी और समीक्षा

3.1 स्थापन की निगरानी

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्वयं या बाल देखरेख संस्थान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थापन में बच्चे के सर्वोत्तम हित की आवधिक समीक्षा की जायेगी तथा बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार एवं समाप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 34 के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के हित में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 35 के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का मासिक निरीक्षण किया जायेगा।

पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए निगरानी टूलस: प्रारूप घ (1-2) के अनुसार पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों द्वारा अत्याचार, दुर्यवहार एवं शोषण के संबंध में की गई शिकायत की जांच करना एवं हस्तक्षेप की निगरानी करना।

पालन पोषण देखरेख के लिए शिकायत हेतु प्रारूप ड (1) में तथा जांच के लिए प्रारूप ड (2) तैयार किये गये हैं। उक्त संबंध में कम्प्यूटरीकृत डाटा संधारित किया जायेगा।

3.2 बच्चे की प्रगति पर नजर रखना

जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर सरकारी संगठन या इकाई द्वारा चिन्हित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार का प्रथम माह में साप्ताहिक तथा आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह तथा उसके पश्चात पालन पोषण देखरेख पूर्व होने तक वार्षिक स्तर पर दौरे एवं निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण सुनिश्चित किया जायेगा:—

- पालन पोषण देखरेख के तहत प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जायेगी तथा उसे नियमित संधारित किया जाएगा।

- प्रथम त्रैमास में मासिक स्तर पर विद्यालय का दौरा तथा उसके पश्चात 3 वर्ष तक त्रैमासिक दौरा एवं उसके पश्चात पालन पोषण देखभाल देखरेख में स्थापन पूरा होने तक प्रत्येक 6 माह में दौरा किया जायेगा।
- बच्चे के दस्तावेज के रूप में विद्यालय की उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रगति पत्र (रिपोर्ट कार्ड) प्राप्त एवं संधारित किये जायेगे।
- बच्चे के सामान्य हित सहित स्वास्थ्य एवं सामान्य पारिवारिक वातावरण को भी ध्यान रखा जायेगा।
- बच्चे की प्रगति के आधार पर पालन पोषण देखरेख का विस्तार या समाप्त करने की अनुशंसा की जायेगी।

3.3 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड –

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निम्नलिखित वास्तविक या कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड संधारित किये जायेगे:-

(i) पालन पोषण देखभाल कार्यक्रम के तहत बच्चों का एक मास्टर रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न सहित सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का अलग-अलग चित्रण किया जायेगा-

a. पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चे का विवरण :-

- बच्चे, उपयुक्त पालन पोषण करने वाले माता-पिता/सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बच्चे जैविक माता-पिता (यदि उपलब्ध है, तो) का फोटो एवं स्थापन के समय बच्चे की आयु (जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो)
- लिंग
- अभिभावकों की स्थिति
- प्रत्येक वर्ष नवीन फोटो
- बच्चे का आधार कार्ड

b. स्थापन का विवरण :-

- व्यक्तिगत या सामूहिक
- बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापन की तिथि
- बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापन की अवधि
- स्थापन की अवधि विस्तार या निरस्तीकरण का कारण एवं तिथि, यदि लागू हो,

c. प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति की बैठक विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता एवं कारणों सहित पालन पोषण अनुदान के वितरण का विवरण।

(ii) पालन पोषण देखरेख में रखे गये प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत केस फाइल संधारित की जायेगी, जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जायेगा --

- बच्चे के परामर्श का स्रोत
- बच्चे के जैविक परिवार के गृह अध्ययन रिपोर्ट तथा फोटो (यदि लागू हो)
- पालन पोषण करने वाले परिवार के फोटो सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट
- पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के साथ बच्चे के मिलान की रिपोर्ट
- बाल अध्ययन रिपोर्ट
- व्यक्तिगत देखभाल योजना
- बाल कल्याण समिति का पालन पोषण देखभाल स्थापन के संबंध में आदेश
- बच्चे के संबंध में पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार एवं बच्चे के विद्यालय सहित प्रत्येक दौरे का विवरण (संख्या एवं महत्वपूर्ण विवरण सहित)
- बच्चे के स्थापन के बारे में बच्चे द्वारा दिये गए सुझाव, विचार एवं उसके अनुभव इत्यादि का विवरण
- बच्चे के स्थापन की समीक्षा का विवरण, जिसमें अवलोकन, विस्तार, देखभाल योजना सहित गुणवत्ता की अनुपालना, बच्चे के विकास के मापदण्ड, बच्चे की शैक्षणिक प्रगति एवं पारिवारिक वातावरण में कोई बदलाव इत्यादि का रिकार्ड संधारित करना।
- स्थापन का विस्तार एवं समाप्ति, समाप्ति के कारण एवं तिथि
- बच्चे के पालन पोषण देखभाल परिवार में स्थापन के दौरे के रिकार्ड संधारण का प्रारूप प्रारूप च के अनुसार किया जायेगा।

3.4 प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना --

जिला बाल संरक्षण इकाई या इकाई द्वारा नामित या इकाई द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक बच्चे की त्रैमासिक रिपोर्ट समीक्षा हेतु प्रायोजन पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति तथा अनुशंसा हेतु बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जायेगी।

3.5 पालन पोषण देखरेख की समाप्ति --

- i. बाल कल्याण समिति को प्रायोजन एवं पालन पोषण देखभाल अनुमोदन समिति की अनुशंसाओं एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात पालन पोषण देखभाल स्थापन को समाप्त करने का अधिकार होगा।
- ii. बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए पालन पोषण देखरेख स्थापन की समाप्ति के पूर्व लिखित रूप में नोटिस दिया जायेगा।
- iii. बाल कल्याण समिति द्वारा समीक्षा आयोजित करने एवं पालन पोषण करने वाले परिवारों/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ताओं को उचित नोटिस देने के

पश्चात स्थापन समाप्त किये जाने के कारण एवं तिथि को लेखबद्ध करते हुए आदेश जारी करने के साथ बच्चे किसी अन्य उपयुक्त पालन पोषण देखरेख परिवार या उपयुक्त सुविधा की सामूहिक देखभाल पालन पोषण या बाल देखरेख संस्थान में स्थापन आदेश जारी किये जायेंगे।

iv. निम्नलिखित मामलों में पालन पोषण देखरेख की समाप्ति की जा सकती है –

- बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पालन पोषण देखरेख को समाप्त माना जायेगा तथा बच्चे के पास पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम का उपयोग करने का विकल्प होता है तथा बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले माता के नाम से वित्तीय सहायता के स्थानान्तरण हेतु खोले गये संयुक्त बैंक खाते को बच्चे के नाम में स्थानान्तरित किया जाएगा।
- जिन बच्चों को उनके जैविक माता-पिता के पालन पोषण हेतु उपलब्ध नहीं होने (जैसे- जेल में बन्द होने या किसी मानसिक बीमारी के कारण किसी संस्थान में आवासरत होने) के कारण पालन पोषण देखरेख में रखा गया था, ऐसे बच्चों के जैविक माता-पिता के जेल छूट जाने/स्वस्थ होने के पश्चात बाल कल्याण समिति से बच्चों को अपने पास रखने हेतु अनुरोध किया गया है, तथा समिति बच्चों को उसके जैविक माता-पिता से पुनर्मिलन को उपयुक्त मानती है, तो समिति द्वारा बच्चे के संबंध में विशिष्ट आदेश पारित किया जा सकता है।
- यदि 6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विधिक रूप से स्वतंत्र बच्चे, जिन्हें पालन पोषण देखरेख में स्थापन के दौरान उपयुक्त दत्तक परिवार मिल जाता है, तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसकी पालन पोषण देखरेख समाप्त कर सकती है तथा उसे दत्तक ग्रहण हेतु पुनः विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में भेजा जायेगा।
- यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बच्चों या उसके रिश्तेदारों या समुदाय के सदस्यों के द्वारा शिकायत की गई है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उचित जांच के पश्चात पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा दौरे (विजिट) के दौरान निम्नलिखित को ध्यान में रखा जायेगा –
 - बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया है या स्कूल में बच्चे की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है (विशेष परिस्थितियां जैसे- विकलांगता या बच्चे की बीमारी को अपवाद माना जायेगा)।
 - यदि पालन पोषण देखरेख में बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक शोषण या उपेक्षा की गई है/की जा रही है।
 - यदि श्रम विधियों के उल्लंघन में श्रम करवाया गया है/जा रहा है।
 - पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता द्वारा बच्चों को मिलने वाली पालन पोषण वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया गया है।



- यदि पालन पोषण देखरेख के संबंध में बच्चों, पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता या रिश्तेदारों कोई शिकायत या अनुरोध किया गया है या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण करने वाले परिवार या उपयुक्त सुविधा दौरे (विजिट) के दौरान ध्यान में आने पर –
 - पालन पोषण करने वाले माता-पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं काउंसलिंग (परामर्श) के पश्चात बच्चों के स्थापन समायोजन स्थापित करने में असमर्थ है।
 - पालन पोषण करने वाले माता-पिता या उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता लम्बे समय तक बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक एवं विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त रूप से उपयुक्त नहीं हैं।
 - एक उपयुक्त सुविधा में बच्चा समायोजित करने में असमर्थ है तथा उसे विशेष सहायता की आवश्यकता है जैसे – नशामुक्ति की सुविधा।
- पालन पोषण करने वाले माता-पिता की मृत्यु, तलाक या अलग होने की स्थिति में बच्चे को बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को किसी अन्य पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा में स्थापन आदेश दिये जाने तक बच्चे को वापस बाल देखरेख संस्थान में भेज दिया जाएगा।

अध्याय 4: प्राधिकरण एवं एजेंसियों की भूमिका

4.1. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की भूमिका :-

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में बच्चों के संरक्षण हेतु उपाय करने के लिए एक मूलभूत इकाई के रूप में जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापित की गई है। इस इकाई द्वारा जिला स्तर पर बाल अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं समन्वयन किया जायेगा। यह इकाई द्वारा संबंधित जिले के उपायुक्त के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 12 सदस्यों की टीम के साथ कार्य करेगी। जिला बाल संरक्षण इकाई में संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) सहित 12 कार्मिक होंगे। यह इकाई विशेष रूप से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी :-

- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रशासनिक कार्यों सहित बाल संरक्षण संबंधित सभी गतिविधियों का संपादन करना।
- निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर काम करने वाले उचित स्वयंसेवी संस्था/स्वैच्छिक संगठन/पालन पोषण देखरेख पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान कर एक पैनल तैयार किया जायेगा, जिसमें स्वयंसेवी संस्था का सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, समुदायिक नेतृत्व की पहल पर काम करने का अनुभव, अधिकतर परिवार को सुदृढ़ बनाने एवं गैर-संस्थागत देखभाल कार्यक्रम एवं संस्था/संगठन में बाल संरक्षण नीति का होना सम्मिलित हैं।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित सभी सूचनाओं का संधारण करना एवं जिले में सभी बाल देखरेख संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के लिए संपर्क केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- जिले में संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की सहायता से पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, स्वयंसेवी संस्था, पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता इत्यादि के लिए एडवोकेसी, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- पारिवारिक पालन पोषण देखरेख हेतु चयनित भावी माता-पिता एवं उपयुक्त सुविधा की सामूहिक पालन पोषण देखरेख का अलग-अलग रोस्टर संधारित करना।
- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पालन पोषण देखरेख (पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख) में रखे गये बच्चे सहित पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधा के विवरण का डाटाबेस राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर संधारित करना।
- बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संयुक्त बैंक खाते को बच्चे के नाम स्थानांतरित करना।

- पालन पोषण करने वाले माता-पिता का आधार नंबर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करना, ताकि इससे स्थापन के दौरान एवं स्थापन के पश्चात बच्चों को आसानी से खोजा जा सके। यदि माता-पिता पहले से ही पंजीकृत आधार नम्बर है, तो उनके आधार विवरणों से बच्चे को जोड़ना चाहिए।
- जांच/अन्वेषण एवं हस्तक्षेप के माध्यम से शिकायतों तक पहुंचना।
- जिले में नियमित रूप से पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
- अध्याय 3 के पैरा 3.5 में उल्लेखित एक या अधिक कारणों के लिए बाल कल्याण समिति को पालन पोषण देखरेख स्थापन की समाप्ति हेतु अनुशंसा की करना।
- यदि बच्चे की प्रगति संतोषजनक है एवं बच्चे को उसके जैविक माता-पिता के साथ रखने सहित अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पालन पोषण देखरेख स्थापन की अवधि का विस्तार किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिनका पालन पोषण देखरेख में रखे गये 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ना तथा नौकरी दिलाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा परिवारों को पालन पोषण देखरेख हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) की गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रतिवर्ष पालन पोषण करने वाले माता-पिता की संवादात्मक समूह बैठक आयोजित की जायेगी।
- पालन पोषण देखरेख में रखे बच्चों से संबंधित जानकारी मासिक स्तर पर बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीपी एमआईएस) में अपलोड की जायेगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर (परामर्शदाता) द्वारा पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चों को काउंसलिंग (परामर्श) सेवाएं प्रदान की जायेगी। यदि बच्चे को विशेष काउंसलिंग (परामर्श), मनोरोग एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है तो जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा तथा ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना करना।

4.2. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) की भूमिका :-

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा तथा चालू प्रकरणों में संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) से नियमित रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।
- पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए चयनित भावी पालन पोषण करने वाले परिवार/उपयुक्त सुविधाओं का एक रोजर संघारित किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर संरक्षण अधिकारी, परामर्शदाता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत अन्य कार्मिकों द्वारा किये

21

गये केस प्रबंधन का आंकलन किया जायेगा, ताकि समय पर नियमों का अनुपालन किया जा सके।

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा पारिवारिक एवं सामूहिक पालन पोषण देखरेख हेतु चयनित पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता की पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे के प्रति जिम्मेदारियों एवं सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को एक त्रैमासिक रिपोर्ट एवं स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

4.3. संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) की भूमिका :-

- संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) व्यक्तिगत एवं सामूहिक पालन-पोषण देखरेख के प्रकरणों को लेने के लिए जिम्मेदार है। इन दिशा-निर्देशों के पैरा 2.1 के अनुसार संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के मामलों की पहचान में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) एवं संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) द्वारा बच्चों की पात्रता के लिए दस्तावेजों की जांच की जायेगी एवं दोनों द्वारा बच्चे या बच्चों के सर्वोत्तम हित में समन्वयन के साथ कार्य किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल संरक्षण समस्याओं के विभिन्न आयाम, सहयोग की आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, संस्थान में रहने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सेवाओं का प्रकार डाटा एकत्रित एवं संकलित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख) द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल पर समस्त संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों के चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापन एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) पालन पोषण करने वाले परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बच्चे से मेल खाने वाले पालन पोषण करने वाले परिवार एवं बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त सुविधा के आंकलन हेतु जिम्मेदार हैं।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता जेल में हैं, तक पहुंचकर बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए उनकी सहमति प्राप्त की जायेगी।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा लाइलाज बीमारी से ग्रसित ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष अपने बच्चों के लिए पालन पोषण देखरेख के लिए से जोड़ने के लिए प्राप्त अनुरोध को सुगम बनाया जायेगा।

- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं द्वारा पालन पोषण देखरेख हेतु अनुशंसित बच्चों एवं ऐसे बच्चे जो संस्थागत देखरेख में नहीं हैं, की संयुक्त सूची तैयार की जाएगी।
- केवल ऐसे मामले जहां पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा बच्चे के स्थापन हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया है एवं गैर-औपचारिक रिश्तों में बच्चे की देखरेख हेतु प्रायोजन की आवश्यकता के मामलों को प्रति माह प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति के समक्ष विचार करने एवं अनुमोदन हेतु रखा जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अध्याय-2 के पैरा 3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन पोषण देखरेख की अवधि के दौरान एवं पूर्व बच्चे एवं पालन पोषण करने वाले परिवार को काउंसलिंग (परामर्श) एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा काउंसलर (परामर्शदाता), सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता एवं समुदाय के वॉलुन्टीयर्स (स्वयंसेवकों) की सहायता के बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- संबंधित विभाग जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि के साथ समन्वय किया जायेगा।
- बच्चे के जैविक माता-पिता के जीवित रहने की स्थिति में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा जैविक माता-पिता का निर्धारित दौरों (विजिट) के माध्यम से बच्चे से संपर्क रहना सुनिश्चित किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं समूह की व्यवस्था एवं समुदाय के नियमित दौरे के माध्यम पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की निगरानी एवं रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा।

4.4. बाल कल्याण समिति की भूमिका :-

- यदि किसी प्रकरण में परिवार द्वारा लाइलाज बीमारी का शिकार होने के कारण सीधे ही बाल कल्याण समिति को अपने बच्चे की पालन पोषण देखरेख हेतु अनुरोध किया गया है या समिति द्वारा स्वप्रेरणा के प्रकरणों में यदि समिति स्थिति की आवश्यकता से सहमत है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई को स्वयं या पैनल में रखे गये काउंसलर (परामर्शदाता) के माध्यम से बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाने हेतु अनुरोध करेगी।
- भावी पालन पोषण करने वाले परिवारों की गृह अध्ययन रिपोर्ट की जांच एवं उपयुक्त सुविधा की सुविधाओं के विवरण से संतुष्ट होने के पश्चात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के प्रारूप 32 के अनुसार बच्चे के पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु आदेश जारी किये जायेंगे।
- बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना का परीक्षण किया जायेगा, माता-पिता की सहमति (यदि आवश्यक हो तथा यदि वित्तीय

12/

सहायता हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया गया है, तो प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख का अनुमोदन एवं समिति स्वयं पालन पोषण देखरेख में स्थापन के लिए उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होगी।

- बच्चे के समझने में सक्षम होने के मामलों में, बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे की सहमति प्राप्त करने हेतु बच्चे का साक्षात्कार किया जा सकेगा।
- समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत मिलान रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।
- बाल कल्याण समिति द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 32 अनुसार बच्चे के पारिवारिक पालन पोषण देखरेख या उपयुक्त सुविधा में सामूहिक पालन पोषण देखरेख में स्थापन हेतु आदेश दिये जायें तथा उचित कार्यवाही हेतु इसकी प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
- बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के उचित देखरेख प्राप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित प्रारूप 35 अनुसार प्रथम त्रैमास में मासिक स्तर पर तथा उसके पश्चात प्रत्येक 6 माह में एक बार पालन पोषण करने वाले परिवार एवं उपयुक्त सुविधा के दौरे किये जायें।
- बच्चे को दी जाने वाली देखरेख के स्तर की समीक्षा करने के पश्चात बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख में स्थापन के विस्तार आदेश दिये जायें तथा देखरेख असंतोषजनक पाये जाने के मामले में पालन पोषण देखरेख में स्थापन की समाप्ति के आदेश देकर बच्चे के वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था का निर्णय लिया जायेगा।

4.5. पुलिस की भूमिका :-

- पालन पोषण करने वाले माता-पिता को विधिक अभिभावक मान्यता देना।
- भावी पालन पोषण करने वाले परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करना।
- शिकायत/जांच प्रक्रियाओं में तत्काल कार्यवाही करना।
- सामुदायिक पहुंच के माध्यम से पालन पोषण देखरेख की जागरूकता फैलाना।

4.6. न्यायपालिका की भूमिका :-

- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता फैलाने तथा समुदाय स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वॉलेन्टियर को प्रशिक्षित करना।
- उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निगरानी की जा सकती है।



८१

4.7. शिक्षा विभाग की भूमिका :-

- पालन पोषण करने वाले परिवार को विद्यालय (सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, और किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान) में बच्चों को प्रवेश (दाखिला) देने की अनुमति देना। यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में अधिसूचना जारी करना।
- दत्तक/पालन पोषण सेवा/प्रायोजन से जुड़े बच्चों के उपर लांछन को कम करने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रखना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से जुड़े बच्चों पर निगरानी रखने के लिए सामुदायिक स्तर के तंत्र को शामिल करना। बच्चा, विद्यालय में नामांकित है, लेकिन विद्यालय नहीं जा रहा है या छोड़ चुका है, ऐसा करना पालन पोषण देखरेख की शर्तों का उल्लंघन करना है। इस हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत बच्चों की सरकारी विद्यालय में जाने वाले की उपस्थिति की रिपोर्ट मासिक स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करना।

4.8. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भूमिका :-

- भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता की 1 महीने के भीतर निःशुल्क चिकित्सा जांच सुनिश्चित जायेगी तथा जिला बाल संरक्षण समिति के साथ रिपोर्ट साझा की जायेगी।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) की सेवाओं का विस्तार पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों को निःशुल्क एवं समय पर उपचार प्रदान करना।
- ए.एन.एम. द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चों की नियमित पोषण जांच करना तथा जांच रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक प्रबंध करने हेतु रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण समिति के साथ साझा करना।



4.9. गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका :-

उपायुक्त द्वारा सूचीबद्ध, गैर सरकारी संस्थाओं को जिला बाल संरक्षण इकाई को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है-

- पात्र बच्चों का चयन करना।
- व्यक्तिगत देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना।
- आवश्यकतानुसार बच्चे, पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपायुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता एवं बच्चे के जैविक परिवार के लिए काउंसलिंग (परामर्श) उपलब्ध कराना।
- उपायुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता का प्रशिक्षण करना।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तैयार करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम की जागरूकता फैलाना तथा समर्थन करना।
- पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के तहत लाभान्वित बच्चे की आवधिक/निरन्तर जांच एवं अनुवर्तन (फॉलोअप) हेतु दौरे (विजिट) करना।



८८

अध्याय 5 : विविध प्रकार

5.1. सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री :-

पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता को बच्चों के स्थापन से पहले निम्न विषयों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) सामग्री प्रदान की जायेगी -

- पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के रूप में चुनौतियां,
- पालन पोषण करने वाले माता-पिता/उपयुक्त सुविधा के देखरेख प्रदानकर्ता के लिए सहयोगी बिंदु
- पालन पोषण करने वाले माता-पिता होने के नाते पुरस्कार,
- पालन पोषण करने वाले माता-पिता होने के सोपान

उक्त दस्तावेजों को इन दिशा-निर्देशों के प्रारूप छ में संलग्न किया गया है। इस सामग्री का उपयोग हैंडआउट्स, पोस्टर आदि तैयार करने के लिए किया जा सकता है।

5.2. राज्य सरकार द्वारा डाटाबेस संधारित करने में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप तैयार किया जा सकता है तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जा सकते हैं।

5.3. दिशा-निर्देशों की व्याख्या एवं छूट :-

इन दिशा-निर्देशों को मौजूदा कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इन दिशा-निर्देशों के व्याख्यान हेतु प्रासंगिक कानून को संदर्भित करना है।

5.4. किसी भी अस्पष्टता या विवाद के मामले में, इन दिशा-निर्देशों का व्याख्या करने की शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार में निहित है।

5.3. दिशा-निर्देशों का संशोधन :-

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना/परिपत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देशों में यदि आवश्यक हो, संशोधन/दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त जुड़ाव किया जा सकता है।



प्रारूप-7

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

[नियम 11(3), 13(7); (iv), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69(3)]

(वैयक्तिक देखरेख योजना (वै.दे.यो.)

कानून का उल्लंघन करने वाला बालक/देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता रखने वाला बालक
(जो लागू हो सही पर निशान लगाए)

मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी का नाम

वै.दे.यो. तैयार करने की तारीख

20..... का मामला/प्रोफाइल संख्या

प्र.सू.रि. संख्या

धारा के अंतर्गत (अपराध का प्रकार), कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में
लागू

पुलिस स्टेशन का नाम

बोर्ड अथवा समिति का पता

प्रवेश संख्या (यदि बाल संस्थान में है)

प्रवेश की तारीख (यदि बाल संस्थान में है)

बालक का ठहरना (प्रवास) (जैसा लागू हो, निशान लगाएँ)

1. अल्पकालिक (6 मास तक)
2. मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
3. दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)

क. व्यक्तिगत ब्यौरा (संस्थान में बालक/बालिका की भर्ती पर बच्चा/माता-पिता/दोनों
द्वारा उपलब्ध कराया जाए)

1. बालक का नाम
2. आयु/जन्म की तारीख
3. लिंग : बालक/बालिका
4. पिता का नाम
5. माता का नाम
6. राष्ट्रियता
7. धर्म
8. जाति
9. बोली जाने वाली भाषा
10. शिक्षा का स्तर
11. बालक के बचत खाते का ब्यौरा, यदि कोई है,
12. बालक की आय तथा सामान (सम्पत्ति) का ब्यौरा, यदि कोई हो
13. बालक द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों/इनामों का ब्यौरा, यदि कोई हों

14. केस हिस्ट्री, सामाजिक जांच रिपोर्ट तथा बालक के साथ बातचीत के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित संबंधित क्षेत्रों तथा हस्तक्षेपों का ब्योरा :

क्र.सं.	श्रेणी	अपेक्षित क्षेत्र	प्रस्तावित हस्तक्षेप
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा तथा दुर्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन-कौशल प्रशिक्षण और स्व देखरेख		
9.	आत्मनिर्भर हेतु आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

- ख. बालक की प्रगति रिपोर्ट (पहले 3 मास के लिए प्रत्येक पाक्षिक (15 दिन) में तैयार की जाए तत्पश्चात प्रत्येक माह तैयार की जाए)
(टिप्पणी : प्रगति रिपोर्ट के लिए अलग-अलग शीट का प्रयोग करें)

- परिवीक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/बाल कल्याण अधिकारी का नाम
- रिपोर्ट की अवधि : दिनांक से दिनांकतक
- प्रवेश संख्या
- बोर्ड अथवा समिति
- प्रोफाइल संख्या
- बालक का नाम
- बालक के रहने की अवधि (जैसा प्रयोज्य हो, भरे)
 - अल्पकालिक (6 मास तक)
 - मध्यम कालिक (6 मास से एक वर्ष)
 - दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक)
- साक्षात्कार स्थान दिनांक

✓

9. रिपोर्ट की अवधि के दौरान बालक का सामान्य आचरण तथा प्रगति
10. इस प्रारूप के भाग-क के बिंदु 15 में उल्लेखित प्रस्तावित हस्तक्षेपों के संबंध में की गई प्रगति।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्तावित हस्तक्षेप	बालक की प्रगति
1.	देखरेख और संरक्षण से बालक की अपेक्षाएं		
2.	स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतें		
3.	भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरतें		
4.	शैक्षिक एवं प्रशिक्षण की जरूरतें		
5.	फुरसत, रचनात्मकता तथा खेल		
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध		
7.	धार्मिक विश्वास		
8.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा तथा दुर्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन-कौशल प्रशिक्षण और स्व देखरेख		
9.	आत्मनिर्भरता हेतु आजीविका कौशल		
10.	अन्य ऐसा कोई महत्वपूर्ण अनुभव जैसे अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, पैतृक-उपेक्षा, स्कूल में भयभीत होना आदि जिसने बालक के विकास पर प्रभाव डाला हो (कृपया निर्दिष्ट करें)।		

11. समिति या बोर्ड अथवा बाल न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही।

- बंध-पत्र की शर्तों में फेर बदल
- बालक के निवास में परिवर्तन
- अन्य मामले, यदि कोई है

12. पर्यवेक्षण पूर्ण होने की अवधि
- पर्यवेक्षण का परिणाम, टिप्पणी सहित

माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति का नाम और पता जिनकी देखभाल में बच्चे को पर्यवेक्षण के समाप्त होने के बाद रहना है।

नाम :

पता :

रिपोर्ट की तारीख परीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

- ग. समयपूर्व निर्मुक्त होने की रिपोर्ट (निर्मुक्त होने से 15 दिन पूर्व तैयार की जाए)



स्थान्तरित स्थान के ब्यौरे तथा स्थानान्तरण के स्थान से निर्मुक्त करने में उत्तरदायी संबंधित प्राधिकारी

विभिन्न संस्थाओं/परिवार में बालक के स्थापन के ब्यौरे,

लिए गए प्रशिक्षण तथा अर्जित कौशल

बालक की अंतिम प्रगति रिपोर्ट (संलग्न की जाए, कृपया भाग-ख देखें)

.....

.....

.....

.....

बालक की पुनर्वास तथा पुनः स्थापन की योजना (बालक की प्रगति रिपोर्टों के संदर्भ में तैयार की जाए)

क्र. सं.	श्रेणी	बालक के पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन की योजना
1.	देखरेख तथा संरक्षण से बालक की अपेक्षा	
2.	स्वास्थ्य तथा पोषण की जरूरतें	
3.	भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता की जरूरतें	
4.	शैक्षिक तथा प्रशिक्षण जरूरतें	
5.	फुरसत, सृजनात्मक तथा खेल	
6.	आसक्ति तथा अंतर-वैयक्तिक संबंध	
7.	धार्मिक विश्वास	
8.	सभी प्रकार के दुरुपयोग, उपेक्षा तथा दुर्यवहार से सुरक्षा के लिए जीवन-कौशल प्रशिक्षण और स्व: देखरेख	
9.	आत्मनिर्भर आजीविका कौशल	
10.	अन्य कोई	

1. निर्मुक्त होने/स्थानान्तरण/से प्रायोजन की तारीख

2. अनुरक्षकों की मांग,यदि अपेक्षित हो

3. अनुरक्षक की पहचान का प्रमाण – जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड

4. संभव नियोजन/प्रयोज्यता सहित अनुशंसित पुनर्वास योजना

5.रिहाई-पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए परीक्षा अधिकारी/गैर-सरकारी संगठन के ब्यौरे

6.रिहाई-पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए गैर-सरकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (एक प्रति लगाए)

7. प्रायोजकता अभिकरण/वैयक्तिक प्रायोजक के ब्यौरे, यदि कोई हो

71

8. प्रायोजकता अभिकरण तथा व्यक्तिगत प्रायोजक के बीच समझौता (एक प्रति लगाए)
9. निर्मुक्ति से पूर्व चिकित्सा जांच रिपोर्ट
10. अन्य कोई जानकारी

घ. बालक की निर्मुक्ति पश्च/पुनः स्थापना रिपोर्ट

1. बैंक खाते की स्थिति : बंद/अंतरित
2. बालक की आय तथा सम्पत्ति : बालक को अथवा उसके माता-पिता/संरक्षक को सौंपी गई- हां/नहीं
3. परिवीक्षा अधिकारी बालक की रिहाई-पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के लिए पहचाने गए बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/सामाजिक कार्यकर्ता/गैर-सरकारी संगठन की प्रथम बातचीत की रिपोर्ट
4. पुनर्वास तथा पुनःस्थापना योजना के संदर्भ में की गई प्रगति
5. बालक के प्रति परिवार का व्यवहार/अभिवृत्ति
6. बालक का सामाजिक वातावरण, विशेष रूप से पड़ोसियों/समाज का रुख
7. बालक द्वारा अर्जित कौशल का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है
8. क्या बालक को एक विद्यालय अथवा किसी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया गया है?
विद्यालय/संस्थान/ अन्य किसी अभिकरण का नाम तथा दिनांक लिखें हां. नहीं
9. क्रमशः दो मास तथा छह मास के बाद बालक के साथ बातचीत पर दूसरी तथा तीसरी अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट
10. सामाजिक मुख्य धारा के प्रति प्रयास/इसके बारे में बच्चे की राय/विचार
11. पहचान पत्र तथा प्रतिकर

(अनुदेश : कृपया वास्तविक दस्तावेजों के साथ सत्यान करें)

पहचान पत्र	वर्तमान स्थिति (कृपया जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)		की गई कार्रवाई
	हां	नहीं	
जन्म प्रमाण पत्र			
स्कूल प्रमाण पत्र			
जाति प्रमाण पत्र			
बी.पी.एल. कार्ड			
विकलांगता का प्रमाण पत्र			
टीकाकरण कार्ड			
राशन कार्ड			
आधार कार्ड			
सरकार से प्राप्त हुआ प्रतिकर			



परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर तथा सील जहां उपलब्ध हो

73



प्रारूप-31
[नियम-23(4)]
बाल अध्ययन रिपोर्ट
(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

बाल अध्ययन रिपोर्ट			
क्र.स.	मद	प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया	
1	मूल्यांकन की तारीख		
2	निर्दिष्ट करने का स्रोत		
3	बालक का नवीनतम फोटोग्राफ, जिसे समय समय पर अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा		बालक का नवीनतम फोटोग्राफ
बालक का ब्यौरा			
4	बालक का नाम		
5	जन्मतिथि		
6	जन्म का स्थान		
7	आयु		
8	राष्ट्रीयता		
9	धर्म		
10	शिक्षा		
11	मातृभाषा		
12	वर्तमान पता		
13	आधार कार्ड संख्या		
14	संपर्क ब्यौरा (क) लैंड लाइन (ख) मोबाइल		
15	स्थापन विवरण यदि बालक संस्था से है क) स्थापन की तारीख ख) बालक का नाम एवं स्थायी विवरण ग) परिवार को छोड़ने का कारण	बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है	

✓

16	स्थापन का कारण यदि बाल संस्थान से है	माता अथवा माता-पिता दोनों कारागार में है	<input type="checkbox"/>
		माता-पिता लम्बी बीमारी से पीड़ित है	<input type="checkbox"/>
		बिखरा हुआ परिवार (अर्थात् मादक पदार्थों का सेवन, घरेलू हिंसा दुरुपयोग आदि)	<input type="checkbox"/>
		माता-पिता अलग होने की प्रक्रिया में है	<input type="checkbox"/>
		माता-पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में है	<input type="checkbox"/>
		प्राकृतिक आपदा	<input type="checkbox"/>
		अन्य	<input type="checkbox"/>

मैं सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रारूप में
बालक के बारे में दी गई सूचना सही है।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर
नाम :
पदनाम:



75

प्रारूप-क

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

आवेदन पत्र

जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दिये गए विज्ञापन के विरुद्ध पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन पत्र।

फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक-1	फोटो पालन पोषण करने वाले अभिभावक-2
---	---

अ) जिला बाल संरक्षण इकाई का विवरण:-

जिला बाल संरक्षण इकाई का नाम :
 पता :
 टेलीफोन :
 फैक्स :
 ई-मेल :
 आवेदन जमा करने का दिनांक :

ब) आवेदक का विवरण:-

	पालन पोषण करने वाले अभिभावक-1	पालन पोषण करने वाले अभिभावक-2
नाम		
जन्म तिथि		
आयु		
शैक्षिक स्थिति		
वैवाहिक स्थिति		
राष्ट्रीयता		
धर्म		
आधार नंबर		
व्यवसाय		
पता		
सम्पर्क नंबर		
जैविक बच्चों की संख्या		
वार्षिक आय		
मातृ भाषा		
अन्य भाषाओं की जानकारी		

स) बच्चे को पालन पोषण देखभाल में लेने की प्राथमिकता :

क) आयु वर्ग

(i) 6-9 वर्ष (ii) 10-12 वर्ष (iii) 13-18 वर्ष

ख) अन्य कोई प्राथमिकता

(i) लिंग (ii) धर्म (iii) विकलांगता

ग) देखभाल का प्रकार

(i) अल्पावधि (ii) दीर्घावधि

द) देखभाल करने की इच्छा रखने का कारण

य) बच्चों के पालन पोषण देखभाल के लिए जैविक बच्चों सहित परिवार के सभी सदस्य सहमत है।

हाँ नहीं

र) हम सरकार/अभिकरण द्वारा आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत है।

हाँ नहीं

ल) हम बाल संरक्षण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता को हमारे घर में निगरानी दौरे में सहयोग करने और बैठकों में हमारे परिवार के सभी सदस्य उपलब्ध रहेंगे आदि के लिए सहमत है।

हाँ नहीं

दोनों दम्पतियों के द्वारा घोषणा:

हम और घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिया गया विवरण, हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो हमारे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाये।

दिनांक :

दोनों दम्पतियों के नाम:

स्थान :

एवं दोनों के हस्ताक्षर :



77

सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिए उपयुक्त सुविधा हेतु आवेदन

1.	उपयुक्त सुविधा के लिए संस्था/एजेन्सी/संगठन का ब्यौरा जो मान्यता लेना चाहते हैं	
1.क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1.ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1.ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1.घ	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
1.ङ	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1.च	ई-मेल का पता	
1.छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हां तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1.ज	क्या संगठन को पहले मान्यता से अस्वीकृत किया गया था? यदि हां I. आवेदन संदर्भ संख्या जिसे मान्यता से अस्वीकृत किया था II. अस्वीकृति की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने के कारण	
2.	प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा का ब्यौरा :	
2.क	प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2.ख	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
2.ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2.घ	ई-मेल	
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित उपयुक्त सुविधा से दूरी):	
3.क	मुख्य सड़क	
3.ख	बस-स्टैंड	
3.ग	रेलवे स्टेशन	

3.घ	कोई अन्य लेण्डमार्क	
4.	अवसंरचना:	
4.क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4.घ	रोगी उपचार कक्षों की संख्या	
4.ड.	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणिक नक्शा)	
4.च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : I. आग II. भूकंप III. कोई अन्य व्यवस्था	
4.छ	पेयजल की व्यवस्था जन – स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4.ज	साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : I. कीट नियंत्रण II. कचरा निस्तारण III. भण्डारण क्षेत्र IV. कोई अन्य व्यवस्था	
4.झ	किराया करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	उपयुक्त सुविधा की क्षमता	
6.	उपलब्ध सुविधाएं (उस प्रयोजन पर निर्भर करेंगी जिसके लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)	
6.ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7.क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7.ख	भागीदार संगठन का नाम	

P/

8.	आवेदक की पृष्ठभूमि :	
8.क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8.ख	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन की सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8.ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची	
8.घ	यदि संगठन विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.ङ	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान का ब्यौरा (संगत दस्तावेज संलग्न करें)	
8.च	अनुदान प्राप्ति के अन्य स्रोत: की सूची जिसमें योजना/परियोजना का नाम, उद्देश्य एवं राशि का ब्यौरा (यदि कोई हो)	
8.छ	संस्थान के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें बैंक खाता संख्या एवं शाखा कोड सहित विवरण हो	
8.ज	क्या संस्थान प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8.झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : I. लेखा परीक्षा रिपोर्ट II. आय एवं व्यय विवरण III. प्राप्ति एवं भुगतान विवरण IV. संस्थान का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

..... (संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।





मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त नहीं रहा है, संस्थान को कभी भी केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं और निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

दिनांक :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1:

गवाह नं. 2:

81

प्रारूप-ख

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

पालन पोषण देखरेख के आंकलन हेतु प्रारूप

1. आवेदक का विवरण :
नाम : आयु: व्यवसाय:
पता :
2. बालक/बालकों का आयु वर्ग, जिन्हें पालन पोषण देखरेख में लेने के लिए अनुरोध किया है। (कृपया, बालक के आयु वर्ग पर ✓ का निशान लगायें)
6-8 वर्ष ☐
8-10 वर्ष ☐
11-12 वर्ष ☐
12-14 वर्ष ☐
14-16 वर्ष ☐
16-18 वर्ष ☐
3. परिवार, पड़ोसी एवं समुदाय का विवरण :-
4. आवेदक की पहचान का सत्यापन (निवास स्थान, रहने की अवधि, वैवाहिक स्थिति इत्यादि के विशिष्ट दस्तावेजों को दिनांक सहित देखें)
5. पुलिस रिकार्ड, व्यवसाय एवं स्वास्थ्य की जाँच करना।
6. व्यक्तिगत संदर्भ (दोनों व्यक्तियों का) कितने समय से पहचानते हैं, आवेदकों के साथ कितने समय से रिश्ता/संबंध है, उनकी रुचि, प्रतिभा, आवेदकों का व्यक्तित्व, बालक(कों) की देखभाल करने के लिए उनकी क्षमता इत्यादि के संदर्भ के साथ बातचीत करना।
7. मूल्यांकन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता का आंकलन

सामाजिक कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

[नियम-23(9)]

भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख :
 आधार कार्ड संख्या :
 सामाजिक कार्यकर्ता का नाम :
 घर के दौरे की तारीख :

संभावित माता-पिता द्वारा प्रारूप का भाग-1 भरा जाएगा। भाग-II का शेष भाग सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भावी दत्तक/पालन पोषण करने वाले माता-पिता की उपयुक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा।

भाग-1 स्व: मूल्यांकन

क. भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना

पालन पोषण करने वाले माता-पिता का विवरण:	
पूरा नाम	
जन्म-तिथि और आयु	
जन्म स्थान	
पूरा पता ई-मेल आईडी सहित (वर्तमान एवं स्थाई पता)	
पहचान पत्र/साक्ष्य	
धर्म	
भाषा/एं	
विवाह की तारीख	
वर्तमान नियोक्ता/व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

P/ 83

ख. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

- (1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता की हैसियत और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें :

आवदेक/कों के माता-पिता के बारे में ब्यौरा:	
पूरा नाम	पिता माता
आयु	
राष्ट्रीयता/नागरिकता	
व्यवसाय	
पूर्ण व्यवसाय	
वर्तमान निवास	

- (2) कृपया अपने संबंधित प्रत्येक/सभी बच्चों (जैविक/दत्तक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति (कें.जी. प्रारम्भिक, इत्यादि) और जन्म-तिथि का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा भरें :

बच्चे का नाम	लिंग	जन्म-तिथि	शैक्षणिक स्थिति

- (3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो उसके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

नाम	संबंध का प्रकार	आयु	लिंग	व्यवसाय

- (4) कृपया वर्णन करें कि पालन पोषण देखरेख करने वाले परिवार के अन्य सदस्यों (दादा-दादी, बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों) को कैसे प्रभावित करेगा :

ग. व्यवसाय/रोजगार (पिछले 05 वर्ष की व्यवसायिक जीविका) का ब्यौरा :



पालन पोषण करने वाले पिता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्यरत पद	कब से कब तक
पालन पोषण करने वाली माता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्यरत पद	कब से कब तक

घ. वित्तीय स्थिति : (अपने सभी स्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि के सहायक दस्तावेजों सहित संक्षेप में विवरण दें) :

.....

ङ घर और आस पड़ोस का विवरण (आवास का ब्यौरा और पड़ोसियों से संबंध)

- (1) आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के खेलने का स्थान की उपलब्धता बताएं
-
- (2) कृपया उस पड़ोस का उल्लेख करें जहां आप रहते हैं और उस पहलू को भी शामिल करें, जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हों.
-

च. पालक माता-पिता का देखरेख के लिए व्यवहार और प्रेरणा :

- (1) कृपया उन विकल्पों पर घेरा लगाएं जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि जिस वजह से पालन पोषण देखभाल करना चाहते हैं: यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते हैं :

क) अपने अन्य बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना;

ख) बच्चे को खुशहाल घर प्रदान करना;

ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें

- (2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएं जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोत्तम मानते हों कि पालन पोषण देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा, यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्पों पर घेरा लगा सकते हैं :

85

- क) वे कम अकेलापन महसूस करेंगे ;
- ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे ;
- ग) वे अधिक संवेदनशील बनेंगे ;
- घ) लागू नहीं होता, क्योंकि मेरी कोई अन्य संतान नहीं है ;
- ड) अन्य, कृपया स्पष्ट करें ;

छ. पालन पोषण देखभाल के प्रति दादा-दादी/परिवार के अन्य सदस्यों रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का व्यवहार (पालन पोषण के प्रति अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हों) :

ज. बच्चों के लिए भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता की भावी योजना और परिवार में पालन पोषण करना :

- (1) कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम-काज आदि की व्यवस्था कैसे करेंगे।
- (2) जब जब आप कार्य पर हों या परिवार के कार्य से घर से बाहर हों तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा-दादी पति/पत्नी)
- (3) कृपया पिता के रूप में स्व: अनुशासनिक दृष्टिकोण का वर्णन करें.
- (4) अगर पोषित बालक को परिवार में तालमेल बैठाने में परेशानी होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें.
- (5) अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में परेशानी बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार है :

क) हां ख) नहीं

- (6) क्या आप पालन पोषण प्राप्त करने वाले बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु तैयार है?

क) हां ख) नहीं

झ. तैयारी और प्रशिक्षण (विचार-विनिमय के उन सत्रों का ब्यौरा दें जो पालन पोषण देखभाल, बालक देखभाल, बच्चे की जरूरतों का इंतजाम करने आदि और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है:-






.....

ज. स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावात्मक और शारीरिक) :- कृपया आवेदक/कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें कि अगर परिवार के किसी सदस्य को विशेष बीमारी, परिस्थिति या अनेक रोगों से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह प्रस्तावित पालन पोषण देखभाल को कैसे प्रभावित करेगा:-

- (1) क्या आप या /आपके पति /आपकी पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं? यदि हां, तो ब्यौरा दें।
- (2) क्या आप या/आपके पति/आपकी पत्नी इस समय मनोविज्ञानी/मनश्चिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे हैं।
- (3) क्या आप इस समय निर्धारित दवा ले रहे हैं।
- (4) क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है।
- (5) क्या आपके परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का बीमा है।

भावी पालन पोषण देखरेख करने वाले माता—
पिता के हस्ताक्षर

दिनांक :



87

भाग-II सामाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट

(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता का उपयोग किया जाए)

(एजेन्सी/प्राधिकरण द्वारा इस फॉर्म में वर्णित तथ्यों को गोपनीय रखा जाएगा)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन

1. क्या आपने इस फॉर्म के भाग-1 के में वर्णित तथ्यों/विषयवस्तु की जांच कर ली है? हां/नहीं
2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय तथ्यों/टिप्पणियों से संतुष्ट है? हां/नहीं

2. मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन :

2.1 संभावित पालक माता-पिता से विचार-विमर्श

- (i) क्या आपने पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता से अलग-अलग और संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया?
- (ii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता बच्चे का पालन पोषण करने के लिए भली भांति तैयार हैं?

2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष:

- (i) पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता के घर का आपने दौरा कब किया था? और आपके दौरे के समय कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे?
- (ii) घर के दौरान आपने किस-किस से विचार-विमर्श किया था।
- (iii) क्या आपने किसी पड़ोसी/रिश्तेदार से मुलाकात की? विचार-विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें।
- (iv) क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है?
- (v) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता, पालन पोषण करने के लिए भली-भांति तैयार हैं?
- (vi) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुद्दे के बारे में कोई संदेह है? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?



SD



2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार-विमर्श

- (i) क्या आपने पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श किया है? उनकी प्रस्तावित पालक देखरेख के बारे में क्या राय है? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?
- (ii) क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपकी बातचीत कैसी रही? क्या उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे ?
- (iii) क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता के बारे में बातचीत की है? यदि हां तो उसका विवरण दें।
- (iv) क्या आपने परिवार के सदस्यों में विपरीत टिप्पणियां तो नहीं सुनी? यदि हां तो पालन पोषण की प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

- (i) पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे वित्तीय दृष्टि से अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं?
- (ii) क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद वित्तीय स्थिति पाई?
- (iii) क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता

- (i) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बच्चे की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावात्मक दृष्टि से सक्षम हैं?
- (ii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी स्थिति देखी गई है जो आने वाले बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हां तो उसका विवरण दें।
- (iii) क्या पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता, बालक की देखरेख करने में भावनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?





3. पालन-पोषण के लिए अनुशंसा

- 3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता के लिए अनुशंसा करते हैं। पालन पोषण करने वाले माता-पिता के लिए अनुशंसा संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें।
- 3.2 यदि आप, देखभाल करने के लिए पालन पोषण करने वाले भावी माता-पिता के लिए अनुशंसा नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएं।

हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम,
कार्यालय मुहर

१०

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

{नियम-23(15)}

परिवार में पालन पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल
स्थापन का आदेश

बच्चे/बच्चों का नाम पुत्र/पुत्री श्री
और श्रीमती (नाम एवं पता)
आयु लगभग है, को किसी परिवार में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है।

श्री तथा श्रीमती निवासी (पूरा पता एवं
संपर्क नम्बर) को वैयक्तिक देखरेख
योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन
पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) को वैयक्तिक
देखरेख योजना और संस्थागत देखरेख योजना के लिए वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल
अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन – पोषण संबंधी
देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त संस्थान घोषित किया जाता है।

बच्चे का (नाम) को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता
(नाम तथा संपर्क नम्बर) के पर्यवेक्षण में
अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

21

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

{नियम-23(16)}

पालन पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखरेख करने वाले संगठन द्वारा
वचनबंध

मैं/हम निवासी, भूकान नं. गली
गांव/शहर जिला राज्य/पालन पोषण
देखभाल करने वाले संबंधित संगठन (पता) द्वारा
पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतद्वारा घोषित
करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित प्रबंधन एवं शर्तों के अधीन बाल
कल्याण समिति के आदेशों के अनुसार (बच्चे का नाम)
..... आयु की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के
इच्छुक हैं :

- i. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- ii. जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके शिक्षा एवं कल्याण के लिए यथासंभव प्रयास करूंगा/करुंगी/करेंगे और उसके समुचित देखरेख की व्यवस्था करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- iii. बच्चे के बीमार होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जाएगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- iv. मैं/हम स्थापन पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूंगा/करुंगी/करेंगे।
- v. मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूंगा/करुंगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हो।
- vi. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।
- vii. मैं/हम जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।
- viii. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

तारीख माह

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर और पता

1.
2.

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप-ग-1

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

स्थापन से पूर्व पालन पोषण देखरेख में दिये जाने वाले बच्चे की परामर्श हेतु प्रारूप
(बच्चे के प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरें)

1. प्रारंभिक विवरण :

- (i) बालक का नाम :
(ii) केस संख्या :
(iii) दिनांक :

2. परामर्शदाता का विवरण :

- (i) परामर्शदाता का नाम :
(ii) आई.डी. संख्या :
(iii) अन्य पहचान संबंधी सूचना :

3. बच्चे एवं उसके भाई-बहन की परामर्श का विवरण : निम्नलिखित को भरें

- (i) नाम : उम्र
(ii) नाम : उम्र
(iii) नाम : उम्र

4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श की गई

5. परामर्श में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :- (रिश्तेदार, भावी पालन पोषण करने वाले माता-पिता, स्टाफ आदि)

6. परिवार गृह में अन्य बच्चे

(केवल लिंग, आयु एवं बच्चे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने वाले, दत्तक एवं अन्य)

7. परामर्श सत्र में चर्चा किये जाने वाले मुद्दों/विषय-

(भावी पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों को शिक्षित करने के बारे में कि वे एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं)

1. क्या बच्चा पालन पोषण देखभाल योजना के बारे में समझता है?

हाँ/नहीं

(यदि नहीं, तो पालन पोषण देखभाल की अवधारणा, कानूनी पहलुओं और प्रमुख हितधारकों जैसे डीसीपीयू, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति इत्यादि द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं उनकी भूमिकाओं आदि के बारे में समझायें)

93

2. बच्चे अपने वर्तमान स्थापन के बारे में कैसा महसूस कर रहा है?
उत्साहित/घबराया/डरा हुआ/आशंकित/उदासीन/अन्य (इसके अलावा कुछ ओर है तो कृपया समझायें)

(उपरोक्त में से कोई भी, पालन पोषण देखभाल के विचार को सामान्य करने और किसी अन्य अवधारणा एवं गलत जानकारी के बारे में बच्चे के साथ कार्य करना)

3. क्या पालन पोषण देखभाल में जाने वाले बच्चे को अपने अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी है? हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो विवरण लिखें)

(कृपया उसकी सुरक्षा के लिए सामान्य मूलभूत अधिकारों के बारे में समझायें। क्या आपने समझाया? उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी?)

4. क्या समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो बच्चे के साथ जुड़े रहने की इच्छा रखता है? हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो विवरण लिखें)

5. यदि बच्चे का जैविक परिवार मौजूद है तो क्या बच्चा उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहेगा? हाँ / नहीं
(यदि हाँ, तो स्थापन प्रक्रिया में उन्हें (जैविक परिवार) भी शामिल करने के तरीकों का देखें। क्या उनको सूचीबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो आपकी अगली कार्यवाही क्या है?)

6. स्थापन/नियुक्ति की अनुशंसा :
अल्पावधि/दीर्घावधि
व्यक्तिगत/सामूहिक पालन पोषण देखभाल

7. सामाजिक कार्यकर्ता या फार्म भरने वाले व्यक्ति की सामान्य टिप्पणियां

हस्ताक्षर
सामाजिक कार्यकर्ता या
फार्म भरने वाले व्यक्ति

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप-ग-2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

(पालन पोषण देखभाल स्थापन में)

पालन पोषण देखभाल करने वाले माता-पिता/देखभालकर्ता/पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए परामर्श हेतु प्रारूप
(बच्चे की प्रत्येक परामर्श सत्र के दौरान इस प्रारूप को भरें)

1. प्रारंभिक विवरण :

- (i) बालक का नाम :
(ii) केस संख्या :
(iii) दिनांक :

2. परामर्शदाता का विवरण :

- (i) परामर्शदाता का नाम :
(ii) आई.डी. संख्या :
(iii) अन्य पहचान संबंधी सूचना :

3. बालक एवं भाई-बहन की परामर्शदाता का विवरण : निम्नलिखित को भरें

- (i) नाम : उम्र
(ii) नाम : उम्र
(iii) नाम : उम्र

4. परामर्श का स्थान : पता जहां पर परामर्श की गई

5. परामर्श सत्र में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम जैसे :- (रिश्तेदार, पालन पोषण प्रदान करने माता-पिता, स्टाफ)

6. स्थापन के प्रकार :-

7. घर/परिवार में अन्य बच्चे

(केवल लिंग, आयु एवं बच्चे के साथ संबंध (जन्म, पालन पोषण प्राप्त करने, दत्तक एवं अन्य)

8. परामर्श सत्र में निम्न मुद्दों/विषयों पर चर्चा करें।

✓



(i) क्या किसी सांस्कृतिक या सजातीय विचारों को चिन्हित किया जाता है, और उनके बारे में बताया गया है।

.....

.....

(ii) क्या बच्चे को पालन पोषण देखरेख परिवार के समुदाय में स्वीकार किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

.....

.....

(iii) मानसिक स्वास्थ्य/उपचार योजना : क्या बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है?

.....

.....

(iv) क्या हाल में पालन पोषण देखरेख अभिभावक(कों) ने बच्चे की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

(v) क्या पालन पोषण करने वाले अभिभावक बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता या बारंबारता के बारे में कोई प्रश्न है?

.....

.....

(vi) जुड़ाव/लगाव: क्या बच्चा जैविक परिवार या भाई-बहन के बारे में सोचता है या उनके साथ मुलाकात करना चाहता है?

.....

.....

(vii) क्या हाल में बच्चे ने पालन पोषण करने वाले माता-पिता की मनोदशा या व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है?

.....

.....

(viii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बच्चे के विचारों पर जवाब कैसे देते हैं?

.....

.....

✓



(ix) बच्चे और जैविक परिवार के बीच संबंध बनाये रखने के लिए स्थापन प्रदाता क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या प्रयास किया है और क्या नहीं कर पाये? उन्हें (स्थापन प्रदाता) क्या मदद की आवश्यकता है? (बच्चे ने जैविक परिवार से कितनी बार मुलाकात की है या उसकी जैविक माता-पिता से अंतिम मुलाकात कब हुई, बालक को जैविक माता-पिता या भाई-बहन से मिलने पर कैसा लगा, कितने समय तक उनके साथ रहा, जैविक माता-पिता से मुलाकात के समय बच्चे के साथ कौन था)

.....
.....

(x) शिक्षा: बच्चा विद्यालय में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? सामाजिक और अकादमिक मुद्दों पर विचार करें। सफलता हासिल करने के लिए बच्चे और परिवार को क्या आवश्यकता है? यदि उचित है, तो विद्यालय के बाद के कार्यक्रम और बच्चे की देखभाल करने के समय के बारे में पूछें।

.....
.....

(xi) बच्चे की स्वयं की सोच के अनुसार उसके भविष्य की क्या योजना है?

.....
.....

(xii) पालन पोषण करने वाले परिवार में सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण : क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है?

.....
.....

(xiii) क्या सुरक्षित और उपयुक्त अनुशासन किया जाता है?

.....
.....

(xiv) क्या बच्चों के लिए घर में पर्यवेक्षण उचित स्तर पर किया जाता है?

.....
.....

(xv) बच्चे का व्यवहार और अभिभावकीय कौशल: बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए क्या किया जा रहा है? क्या कोई भी बच्चा चुनौतीपूर्ण/चिंताजनक व्यवहार प्रदर्शित करता है?

९

(xvi) पालन पोषण करने वाले माता-पिता, बच्चे के व्यवहार को सफल और सक्षम बनाने के प्रबंधन में कैसा महसूस करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं/क्या नहीं करते हैं?

.....
.....

(xvii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता ने मित्रों, विस्तारित परिवार, सहकर्मियों, चर्च, विद्यालय की मदद और सलाह के लिए क्या कदम उठाये हैं?

.....
.....

(xviii) क्या बच्चे के घर के आस-पास सामाजिक/भावनात्मक सहयोग और जुड़ाव रहता है?

.....
.....

चिन्हित की गई समस्याओं का सारांश:

बच्चे द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्न: (सुरक्षा के मुद्दों सहित)

.....
.....

पालन पोषण करने वाले परिवार द्वारा बताई जाने वाली आवश्यकता/प्रश्न:

.....
.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक कार्यकर्ता या व्यक्ति द्वारा सामान्य टिप्पणी:-

.....
.....

प्रारूप भरने वाले सामाजिक
कार्यकर्ता/व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रारूप-ग-3

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

(पालन पोषण देखभाल में जाने वाले बच्चों के जैविक माता-पिता की परामर्श हेतु प्रारूप)



जैविक परिवार के प्रत्येक दौरे के दौरान इस प्रारूप को भरें

1. बालक का नाम :
2. जैविक माता-पिता का नाम :
3. पता :

कृपया निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखें:

1. क्या जैविक माता-पिता/परिवार के सदस्य बच्चे के साथ, अधिक एवं कम सम्पर्क में रहना चाहते हैं?
.....
.....
2. क्या जैविक माता-पिता या परिवार के सदस्यों की स्थिति बदल गई है?
.....
.....
3. क्या जैविक माता-पिता बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं?
(यदि हाँ, तो कृपया मामले को कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा बाल कल्याण समिति को अनुशंसित करें)
.....
.....
4. जैविक माता-पिता या परिवार के सदस्यों के साथ बच्चा कैसी प्रतिक्रिया करता है?
क्या वे जुड़ने की इच्छा रखते हैं?
.....
.....
5. जैविक माता-पिता/परिवार के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है?
.....
.....
6. जैविक माता-पिता/परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत देखरेख योजना में भाग लिया है? यदि नहीं, तो क्यों और क्या वे भाग लेने में रुचि रखते हैं?
.....
.....
7. अन्य लेख और टिप्पणियां लिखें:

9

99



.....
.....

8. अगला कदम/अगला दौरा कब तय किया गया है।

.....
.....

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

100

प्रारूप-ग-4

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

(पालन पोषण करने वाले माता-पिता और पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के मिलान की प्रक्रिया हेतु प्रारूप)

****मिलान प्रक्रिया के दौरान नियमित भरना और पत्र के साथ बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत करना।**

1. प्रारंभिक जानकारी:

(i) केस का नाम और नंबर :

(ii) प्रपत्र भरने का दिनांक :

(iii) बच्चा एवं भाई-बहन का मिलान :

नाम : उम्र

नाम : उम्र

नाम : उम्र

2. संभावित मिलान की जानकारी:

(i) नाम:

(ii) उपयुक्त व्यक्ति घोषित किया गया है? हाँ/नहीं

(यदि नहीं तो मिलान क्यों हो रहा है?)

(iii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता का मिलान कैसे किया गया था?

3. सामाजिक कार्यकर्ता/व्यक्ति, प्रपत्र को इस सोच के साथ भरें कि यह एक उपयुक्त मिलान क्यों है?

.....
.....

4. क्या जैविक परिवार और अन्य रिश्तेदारों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं?

.....
.....

5. क्या बच्चे से जुड़े सभी सुरक्षित और उपयुक्त वयस्कों ने इनकार कर दिया है, यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं?

.....
.....



6. यदि नहीं, उपर्युक्त दोनों, जो अन्य देखरेखकर्ताओं द्वारा माना गया, बच्चों के साथ मिलान क्यों नहीं किया गया?

.....

.....

7. उपरोक्त बैठकों के दौरान पालन पोषण करने वाले माता-पिता के लिए बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है?

.....

.....

8. उपर्युक्त दौरे के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा चिन्हित किये गये जोखिमों के बारे में उनके विचार क्या हैं?

.....

.....

9. चिन्हित किये गये जोखिमों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की योजना क्या है?

.....

.....

10. बच्चे से मिलने के बाद यह सुनिश्चित करना कि क्या अतिरिक्त सेवाएं आवश्यक हैं, जिससे बच्चे की जरूरत पूरी होगी?

.....

.....

11. जहां बच्चे के लिए कोई रथापन चिन्हित नहीं किया गया है, तो बच्चे के भविष्य की क्या योजना है?

.....

.....

12. सामाजिक कार्यकर्ता का अंतिम निर्णय क्या है?

.....

.....

हस्ताक्षर

(संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत देखरेख)

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति ।



(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

{नियम-23(17)}

पालन पोषण देखरेख में बच्चे का अभिलेख

- क) मामला सं. :
- ख) बालक का नाम :
- ग) आयु :
- घ) लिंग :
- ड.) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां बालक को पालन पोषण देखरेख में दिया गया है :
- च) वैयक्तिक देखरेख योजना :
- छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्रोत :
- ज) पालन पोषण देखरेख में रखे गए बच्चे का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता/माता-पिता, जैविक माता-पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा.....
- झ) स्थापन का ब्यौरा-स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख
- ञ) जहां कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट
- ट) फोटो सहित पारिवारिक, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट
- ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट
- ड) बाल कल्याण समिति का पता
- ढ) बच्चा, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हो, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण सहित दर्ज करें)
- त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवत्ता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य, बच्चे की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापना की सभी समीक्षाओं का अभिलेख

९/



.....
थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का
अभिलेख
.....

द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख :
ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो :
न) नियुक्ति किए गए मागला कार्यकर्ता का नाम :

प्रारूप-35

(किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम-2016)

{नियम-23(18)}

पालन पोषण करने वाले परिवार/समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण प्रारूप
(जो लागू हो उसे भरे)

निरीक्षण की तारीख :
क) नाम :
ख) जन्मतिथि एवं आयु :
ग) लिंग :
घ) स्थापन की तारीख :

(बच्चे का
नवीनतम फोटो
चिपकाए)

1. पालन पोषण करने वाले माता-पिता का ब्यौरा:

क) पालन पोषण करने वाले माता-पिता का नाम :

ख) पता :

ग) संपर्क विवरण :

1) लैंडलाइन :

2) मोबाइल :

घ) आधार कार्ड संख्या :

ड.) माता-पिता का फोटो

(नवीनतम
फोटो
लगाए)

(नवीनतम
फोटो
लगाए)

9/

3. पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ विचार-विमर्श

क	<p>परिवार का एक हिस्सा होते हुए बच्चे का अनुभव (क्या बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई है, के संदर्भ में) वर्णन करें।</p> <p>1. स्वास्थ्य सूचकांक</p> <p>क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति -</p> <p>ख) बीमारी का कोई अन्य अभिलेख -</p> <p>ग) बालक का कोई अन्य उपचार किया जा रहा है -</p> <p>2. भावनात्मक</p>	<p><input type="checkbox"/> प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित है।</p> <p><input type="checkbox"/> समायोजित होने की प्रक्रिया में है।</p> <p><input type="checkbox"/> असमायोजित</p>
ख)	<p>(i) बालक अपने अध्ययन में कैसा प्रदर्शन कर रहा है? बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें।</p> <p>(ii) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं।</p> <p>(iii) क्या अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?</p>	<p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p> <p><input type="checkbox"/> कभी-कभी</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p> <p><input type="checkbox"/> कभी-कभी</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p> <p><input type="checkbox"/> कभी-कभी</p>
ग)	<p>i) पालन पोषण करने वाले माता-पिता बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं।</p> <p>ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते हैं?</p> <p>iii) क्या पालन पोषण प्राप्त करने वाला बच्चा पालन पोषण करने वाले माता-पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिन्हें वह या तो घर पर, या स्कूल में, या पड़ोस में सामना करता है या भावनात्मक</p>	<p><input type="checkbox"/> वार्तालाप करते समय</p> <p><input type="checkbox"/> भोजन करते समय</p> <p><input type="checkbox"/> खेलते समय</p> <p><input type="checkbox"/> टीवी देखते समय</p> <p><input type="checkbox"/> स्कूल जाते समय</p> <p><input type="checkbox"/> साथ-साथ गृह कार्य करते समय या अन्य (ब्यौरा दें)</p> <p><input type="checkbox"/> हां</p> <p><input type="checkbox"/> नहीं</p> <p><input type="checkbox"/> कभी-कभी</p>

	रूप से खुश नहीं है?	
घ.)	क्या बालक को पालन पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों से सहयोग मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं)	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ड.)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बच्चे को भेदभाव महसूस कराती हो?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
च.)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बच्चे को असुविधाजनक बनाती हो जैसे :- i) पालन पोषण करने वाले माता पिता, बड़े भाई बहन, अन्य सदस्य ने किसी भी तरीके से छूआ हो; ii) पालन पोषण करने वाले माता पिता, बड़े भाई बहन, अन्य सदस्य के साथ कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो; iii) ऐसी कोई सामग्री : दृष्य-श्रव्य, मुद्रित जो आपको देखने, सुनने या पढ़ने को दी गई हो; iv) किसी भी समय आपके साथ यौन उत्पीड़न या कोई अन्य दुर्व्यवहार किया गया हो; यदि जवाब "हां" में है, तो बालक को वहां से तत्काल हटाने के उपाय करते हुए बालक को	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

	<p>सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक उपचार में सहयोग किया जाए।</p> <p>पालन पोषण करने वाले माता पिता के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जाए।</p> <p>क्या इसी तरह का उपचार/व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालकों को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चे माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए।</p>	
छ)	क्या बच्चा अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलिफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ज)	क्या आपको पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया ?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
झ)	क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हों?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ञ)	क्या आप से घरेलू काम कराया जाता है?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ट)	क्या पालन पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चे भी घरेलू काम कराते हैं?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
5. पालन पोषण करने वाले माता-पिता के साथ बातचीत		
क)	परिवार में बच्चे के व्यवहार (भावनात्मक सहित) के बारे में पालन पोषण करने वाले माता-पिता के विचार	<input type="checkbox"/> प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, <input type="checkbox"/> समायोजित होने की प्रक्रिया में, <input type="checkbox"/> असमायोजित
ख)	घर एवं परिवार में अन्य सदस्यों के साथ उनके समायोजन के बारे में सोच है	<input type="checkbox"/> प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, <input type="checkbox"/> समायोजित प्रक्रिया में है, <input type="checkbox"/> असमायोजित
ग)	आप बच्चे को कैसे अनुशासित करते हैं?	<input type="checkbox"/> बालक को समझाकर, <input type="checkbox"/> डांटकर, <input type="checkbox"/> दंड देकर, <input type="checkbox"/> बालक को पीटकर एवं

R

		<input type="checkbox"/> अन्य तरीके (उल्लेख करें)
घ)	ऐसे क्या व्यवहारिक लक्षण हैं जो चिंता का विषय है और अभिभावक उनको बच्चों के साथ कैसे हल करते हैं?	<input type="checkbox"/> सहयोग का अभाव, <input type="checkbox"/> समन्वयन का अभाव, <input type="checkbox"/> अंतर्मुखी, <input type="checkbox"/> अक्रामक, <input type="checkbox"/> संवादहीन, <input type="checkbox"/> कोई अन्य
ङ)	क्या आप पालन पोषण प्राप्त करने वाले बालक और जैविक बच्चों के साथ समय बिताते हैं? वर्णन करें।	हां नहीं कभी-कभी
च)	बच्चे की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार:- (i) बालक स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है (ii) यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्या आपने- क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है? (iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
छ)	क्या पालन पोषण करने वाले माता-पिता निर्णय लेते समय बच्चे से परामर्श करते हैं?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ज)	पालन पोषण करने वाले माता-पिता के निर्णयों के प्रति बच्चा अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	<input type="checkbox"/> प्रसन्नता से स्वीकार करना <input type="checkbox"/> स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना <input type="checkbox"/> निर्णय स्वीकार करना और आक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	पालन पोषण करने वाले माता-पिता बच्चे के सामाजिक तंत्र से जागरूक हैं?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ञ)	बच्चे के सामाजिक संबंध के बारे में पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ विचार	<input type="checkbox"/> अच्छी व नियमित वार्तालाप <input type="checkbox"/> आवधिक वार्तालाप
ट)	बच्चे के लिए उनकी क्या योजना है? वर्णन करें।	

९

ठ)	क्या पोषक बच्चा अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलिफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ड)	अभिभावक के रूप में पोषक बच्चे के बैंक खाते कौन देखभाल करता है?	
6. पालन पोषण करने वाले माता-पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :		
क)	ऐसे कार्य जो वे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ करते हैं	<input type="checkbox"/> भोजन करना <input type="checkbox"/> खेलना <input type="checkbox"/> टीवी देखना <input type="checkbox"/> स्कूल जाना <input type="checkbox"/> गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हाँ, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया उल्लेख करें।	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ग)	आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके माता-पिता पोषक बच्चे के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	<input type="checkbox"/> प्रसन्न <input type="checkbox"/> अप्रसन्न <input type="checkbox"/> गुस्सा <input type="checkbox"/> ईर्ष्या
7. विद्यालय के शिक्षकों के साथ वार्तालाप :		
क)	विद्यालय में बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में जानकारी (यह देखने के लिए कि बच्चे ने कोई प्रगति की है या नहीं, प्रगति कार्ड से सत्यापित करें)	<input type="checkbox"/> अच्छा <input type="checkbox"/> उचित <input type="checkbox"/> संतोषजनक <input type="checkbox"/> खराब
ख)	शिक्षक की टिप्पणी : यदि बच्चे ने उसके पालन-पोषण करने वाले माता-पिता के साथ सामंजस्य कर लिया है।	<input type="checkbox"/> प्रसन्न एवं ठीक से समायोजित, <input type="checkbox"/> समायोजन प्रक्रिया में है, <input type="checkbox"/> असमायोजित है
ग)	क्या पालन पोषण करने वाले माता-पिता अभिभावक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.) की बैठकों में भाग लेते हैं?	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
घ)	क्या वे बच्चे की पढ़ाई में रुचि रखते हैं? (उसकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, शिक्षकों एवं	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं

	विद्यालय सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करें)	<input type="checkbox"/> निष्पक्ष
ड.	विद्यालय में बच्चे के व्यवहार का अवलोकन (शिक्षकों एवं कक्षा सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	<input type="checkbox"/> प्रसन्न एवं समायोजित <input type="checkbox"/> समायोजन प्रक्रिया में है <input type="checkbox"/> असमायोजित
च)	बच्चे के बारे में विद्यालय में कोई अन्य विषय। यदि हां, तो विवरण दें।	
8. जन्मदाता माता-पिता के साथ बातचीत :		
क)	क्या जन्मदाता माता-पिता ने अपने बच्चे के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दूरों के द्वारा)? कितने अंतराल पर?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ख)	क्या बच्चा उनसे मिलकर प्रसन्न था?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> मुलाकात के समय परेशान
ग)	क्या बच्चे ने उनके समक्ष पालन पोषण देखरेखकर्ताओं/अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
घ)	क्या उनकी बच्चे के कल्याणकारी हितों के बारे में पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई वार्तालाप होती है?	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> कभी-कभी
ड.)	बच्चे को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	<input type="checkbox"/> परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। <input type="checkbox"/> परिवार इच्छुक है लेकिन बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। <input type="checkbox"/> परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।
च)	उन्हे सरकार या अन्य एजेन्सी से पालन पोषण करने वाले परिवार से बच्चे को वापस प्राप्त करने के लिए कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हां, ब्यौरा दें)	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
9. पड़ोसियों के साथ वार्तालाप		

क)	पड़ोसियों को किसी बालक के पालन पोषण करने के बारे में जानकारी है	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
ख)	बच्चे के प्रति पालन पोषण करने वाले परिवार का नजरिया एवं व्यवहार के बारे में जानकारी है।	<input type="checkbox"/> सकारात्मक एवं प्रसन्न <input type="checkbox"/> उदासीन प्रवृत्ति <input type="checkbox"/> नकारात्मक प्रवृत्ति <input type="checkbox"/> बच्चे के प्रति दुर्यवहार
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बच्चे अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हो, तो ब्यौरा दें)	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

तैयार करने वाले के हस्ताक्षर



440

प्रारूप-घ-1

निगरानी निर्देश (मॉनीटरिंग टूल्स)

(जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए)

बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (एस.सी.पी.सी.) को प्रतिलिपि भेजना।

1	जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम के लिए क्या गतिविधियां की गई? प्रकार और मामलों की संख्या निर्दिष्ट करें	
2	पालन पोषण कार्यक्रम के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ पहचाने गए और अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या? पहचान की गई <input type="text"/> अधिकृत की गई <input type="text"/>	
3	जिले में पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से संबंधित क्या जानकारी है? जानकारी के प्रकार विस्तृत विवरण लिखें	
4	क्या आपने पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम पर जिले में हितधारकों के लिए वकालत (एडवोकेसी) हेतु गतिविधियों का आयोजन किया है? यदि हां, तो एडवोकेसी के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां <input type="text"/> नहीं <input type="text"/>
5	क्या आपने किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है? यदि हां, तो प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां <input type="text"/> नहीं <input type="text"/>
6	क्या आपने क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है? यदि हां, तो क्षमतावर्धन प्रशिक्षण के प्रकार और स्वरूप के बारे में विस्तृत विवरण लिखें	हां <input type="text"/> नहीं <input type="text"/>
7	पालन पोषण करने वाले माता-पिता/अभिभावकों के लिए पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम में देखरेख करने हेतु महीने में कितने विज्ञापन जारी किये गये? क्या इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया गया है?	
8	क्या आप भावी पालन पोषण करने वाले माता पिता या अभिभावकों के आंकड़े संधारित करते हैं? यदि हां, तो विवरण दें।	हां <input type="text"/> नहीं <input type="text"/>
9	आधार नंबर लिंक एवं रजिस्टर करने से कितने	<input type="text"/>

21

	पालन पोषण करने वाले अभिभावक और बच्चों को मदद मिली है? संख्या दर्ज करें	
10	आप जिले में पालन पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन कैसे करते हैं? उसकी बारंबारिता भी लिखें जिससे निगरानी करते हैं।	
11	आपने एक या अधिक कारणों सहित बाल कल्याण समिति को किसी पालन पोषण स्थान को समाप्त करने सिफारिश की है? यदि हां, तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
12	क्या आपने पालन पोषण देखरेख स्थापन का विस्तार के लिए किसी भी मामले में सिफारिश की है? यदि हां- तो मामलों की संख्या एवं कारण लिखें	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

13. कोई अन्य टिप्पणी :-

.....
.....

14. बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा टिप्पणियां -

.....
.....

हस्ताक्षर
जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ)



प्रारूप-घ-2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

मॉनिटरिंग टूल

(दुर्व्यवहार, शोषण और दुरुपयोग के बच्चों द्वारा शिकायतों की जांच और हस्तक्षेप)

क. जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) के साथ परिचर्चा

1. क्या आप पालन पोषण के मुद्दों पर प्राप्त शिकायतों को अभिलेख पुस्तिका/रोजनामचा में दर्ज करते हैं?	1. हाँ	2. नहीं
2. दर्ज शिकायतों की संख्या (शिकायतकर्ताओं के अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)		
3. दर्ज शिकायतों की संख्या (जिसने शिकायत पंजीकृत की है उसके अनुसार संख्या निर्दिष्ट करें)	शिकायतें पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे— पालन पोषण करने वाले माता-पिता — डीसीपीयू— डीसीपीओ— एसएफसीएसी— सीडब्ल्यूसी— एसएसए— चाइल्ड लाइन— वकील— शिक्षक— अन्य निर्दिष्ट:—	<u>संख्या</u>
4. प्राप्त शिकायतों की प्रकृति (प्रकृति और संख्या को निर्दिष्ट करें)	क. दुर्व्यवहार का आरोप ख. आपराधिक आरोप ग. पालन पोषण देखरेख गृह में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दौरा नहीं करना घ. सीपीओ के बारे में शिकायत ड. घटिया सुविधायें (जैसे खाना, रहने इत्यादि)	
5. शिकायतों की संख्या जिस पर संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखरेख) द्वारा कार्यवाही की गई		
बाल संरक्षण अधिकारी (गैर -संस्थागत) के विरुद्ध शिकायत के मामले में कार्यवाही करने की		

91

जिम्मेदारी किसके द्वारा ली गई?	
विवादों का विभिन्न समूहों में की गई कार्यवाही की प्रकार का विवरण	
पंजीकृत शिकायतों की स्थिति :	
शिकायतों की संख्या जिनका समाधान किया गया	
शिकायतों की संख्या जो लंबित है	
शिकायतों की संख्या जो प्रक्रिया में है	
मामलों की संख्या जिनमें अनुवर्तन (फोलो-अप) की आवश्यकता है	
शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही होना लंबित है	

6. कोई अन्य टिप्पणी:-

.....

.....

7. मूल्यांकनकर्ता द्वारा अन्य अवलोकन:-

.....

.....

हस्ताक्षर

नाम



116

प्रारूप-ड-1

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

शिकायत प्रपत्र

दिनांक :

- I. शिकायत दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम :
- II. पता :
- III. बच्चे का विवरण, यदि परिचित हो :-
 - a) नाम :
 - b) लिंग :
 - c) आयु :
 - d) जाति :
 - e) धर्म :
- IV. बच्चे के पालन पोषण करने वाले माता-पिता कौन हैं? (यदि आप इन उत्तरों को जानते हैं तो यथासंभव अधिक जानकारी भरें)
 - a) नाम :
 - b) पता :
 - c) राज्य :
 - d) पिन कोड :
 - e) फोन नम्बर :
 - f) ई-मेल :
- V. शिकायत की प्रकृति का विवरण (यानी पालक बच्चे का दुर्व्यवहार किया गया, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा पालन पोषण देखरेख गृह का दौरा न करना इत्यादि)
.....
.....
- VI. अनुरोध (कार्रवाई/प्रतिक्रिया/परिणाम) :-
.....
.....

भवदीय
(हस्ताक्षर)

निम्नलिखित में से किसी को भी शिकायत की जा सकती है:-

1. अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति
2. जिला बाल संरक्षण अधिकारी,
3. जिला प्रशासन से संबंधित विभाग

✓

प्रारूप-डू -2

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

जांच-प्रारूप

इस दस्तावेज को पालन पोषण देखरेख शिकायत प्रपत्र के साथ संलग्न करना चाहिए।

- 1) शिकायत प्राप्ति की तिथि :
- 2) शिकायत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम :
- 3) शिकायत किस कार्यालय में प्राप्त हुई थी :
- 4) शिकायत संख्या दर्ज करें :
- 5) जांच प्रभारी व्यक्ति का नाम और पदनाम :
- 6) की गई कार्यवाही :
- 7) कार्यवाही का परिणाम :
- 8) अनुवर्तन (फोलो-अप) कार्यवाही :
- 9) अनुवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है :
- 10) अनुवर्तन की तिथि :
- 11) आगामी अनुवर्तन की तिथियां :

दुर्यवहार या उपेक्षा के संदिग्ध बच्चे की तत्काल जरूरतों की पूर्ति हेतु
चाइल्डलाइन-1098 या पुलिस को तुरन्त फोन करें ।

हस्ताक्षर
(जांच प्रभारी)



प्रारूप-च

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

मामला दौरा प्रारूप (Case Visit Template)

1. प्रारंभिक विवरण :-

- i. केस नंबर :
- ii. बच्चे का नाम :
- iii. दौरे का दिनांक :
- iv. पालन पोषण देखरेख करने वाले माता-पिता का नाम :
- v. परिवार में रहने वाले अन्य वयस्कों व्यक्तियों के नाम, जिनके साथ आउटरीच कार्यकर्ता या संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा वार्तालाप किया गया।
क. :
ख. :
ग. :

2. अवलोकन :-

i. परिवार में बदलाव :-

टिप्पणी :-
.....
.....

ii. पालन पोषण करने वाले परिवार के साथ संबंध :-

टिप्पणी :-
.....
.....

iii. सांस्कृतिक और विशिष्ट सांस्कृतिक विचार :-

टिप्पणी :-
.....
.....

iv. सामाजिक सहयोग और राहत :-

टिप्पणी :-
.....





-
-
- v. सामाजिक सहायता और राहत :-
टिप्पणी :-
-
-
- vi. सेवाएं और प्रशिक्षण :-
टिप्पणी :-
-
-
- vii. पालन पोषण देखरेख गृह में सुरक्षा और पर्यवेक्षण :-
टिप्पणी :-
-
-
- viii. बच्चे का व्यवहार और अभिभावकों का हुनर :-
टिप्पणी :-
-
-
- ix. बच्चे की शिक्षा / विद्यालय :-
टिप्पणी :-
-
-
- x. बच्चे और पालक परिवार की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्थिति / जरूरत :-
टिप्पणी :-
-
-
- xi. यात्रा के दौरान जैविक परिवार और अभिभावकों के साथ वार्तालाप साझा करना :-
टिप्पणी :-
-
-



3. क्या आपने बच्चे के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने में समय व्यतीत किया?

हां ☐ नहीं ☐

4. यदि बातचीत नहीं की गई तो कारण बतायें

.....

.....

.....

द्वारा तैयार किया गया :

(सामाजिक कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख)

दिनांक :

✓

प्रारूप-छ

(झारखण्ड पालन पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2018)

सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी) सामग्री

1. देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता-पिता रूप में चुनौतियां-

बच्चे के लिए अपने परिवार से अलग होना एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना होती है जिसे बच्चा अनुभव या महसूस कर सकता है, इसलिए एक देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता-पिता के रूप में अनेक चुनौतियां होती हैं तथा उच्च स्तर की वचनबद्धता आवश्यक है। दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से प्रभावित बच्चे एक चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं तथा उन्हें उच्च स्तर की शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है।

अन्य चुनौतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

- जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित समस्याएं
- आपातकाल के दौरान अपर्याप्त सहयोग
- बच्चों की संयुक्त आवश्यकताओं के संबंध में बातचीत करने के दौरान तनाव प्रकट करना।
- समस्याजनक व्यवहार या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए सूचना और/या प्रशिक्षण की कमी।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी।
- जैविक माता-पिता के या जैविक माता-पिता एवं बच्चों के मध्य विवादों को निपटने में समस्याएं।
- बच्चे/किशोर के माता-पिता से पुनः मिलन या किसी अन्य पालन पोषण देखरेख में स्थापन के समय बच्चे को अलविदा कहना।

2. देखरेख प्रदानकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता-पिता के लिए सहायक बिन्दु-

देखरेख प्रदानकर्ता एवं पालन पोषण करने वाले माता-पिता के लिए पालन पोषण देखरेख की चुनौतियों से निपटने में कुछ सहायक बिन्दु निम्नानुसार हैं -

- पालन पोषण देखरेख में रखे गये बच्चों के बारे में जानना।
- बच्चों की क्षमताओं एवं जरूरत के क्षेत्रों की पहचान करना।
- बच्चों की किसी विशेष आवश्यकता के बारे में जागरूक रहना।
- दैनिक दिनचर्या एवं सीमाएं निर्धारित करना (उदाहरणार्थ खाने एवं सोने का समय) तथा बच्चों को समय पर नये परिवार में व्यवस्थित एवं परिवार के



साथ परिचित होने के लिए इस! दिनगर्भा को धीरे धीरे लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

- यदि बच्चा यह पता लगाने के लिए आपका परीक्षण करता है कि आप कितने ईमानदार एवं धैर्यशील हैं, उस समय धैर्य रखें।
- स्थिति के अनुसार आपको बहुत समझदार होने तथा ऐसा अधिक से अधिक बच्चे को दिखाने की आवश्यकता है, ताकि वह आप पर भरोसा कर सके।
- यदि घर में आपके स्वयं के बच्चे हैं तो आपको पर्याप्त रूप से पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की जरूरत को ध्यान में रखना होगा एवं बच्चे को आशवासन देना होगा कि परिवार में उसका स्वागत है।
- जब आप एक पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता बनने का निर्णय लेते हैं, तो यह विचार करना महत्वपूर्ण कि आपका परिवार इसके बारे में कैसा महसूस करेगा तथा जहां तक संभव हो, तो ऐसे निर्णय लेने में परिवार को शामिल करें।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों की उचित अपेक्षाओं को जानने हेतु बच्चे के स्थापन को स्वीकार करते समय अपने मामला कार्यकर्ता के साथ होने वाले सम्भावित मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक है। मामला कार्यकर्ता के साथ सम्पर्क बनाये रखना भी आवश्यक है।
- यदि उपलब्ध है तो आप द्वारा स्थानीय सेवा के साथ-साथ सूचना संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, यह एक पालन पोषण करने वाले माता-पिता को सहायता समूह से जुड़ने में मदद कर सकता है। यदि कोई स्थानीय समूह उपलब्ध नहीं है, तो आपके मामला कार्यकर्ता द्वारा आपके ऑनलाइन सहयोगी समूह संदर्भ में भेज सकता है।

3. एक पालन पोषण करने वाले माता-पिता होने का प्रतिफल (रिवॉर्ड) –

एक पालन पोषण करने वाले का माता-पिता होना, अत्यधिक अपेक्षा रखने वाला एवं थकान भरा कार्य हो सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं –

- बच्चों को सुरक्षित रखने एवं उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- एक देखभाल समूह के अत्यधिक मूल्यवान एवं सहायक सदस्य के रूप में होना।
- अपने सामाजिक एवं व्यक्तिगत संपर्क का विस्तार करना।
- अपने अभिभावकीय (पैरेंटिंग) कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा बच्चों के विकास से संबंधित नये तरीकों को विकसित करने में अन्य माता-पिता की मदद करना।

९

4. एक पालन पोषणकर्ता बनने के चरण-

चरण 1.	जानकारी/विज्ञापन का अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> इसमें एक पालन पोषणकर्ता होने के बारे में सामान्य जानकारी शामिल होगी। सामग्री पढ़ने के बाद एवं यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक सूचना सत्र में भाग लेना चाहिए। यदि आप अनिश्चित हैं कि आप एक पालन-पोषणकर्ता के रूप में उपयुक्त पात्र होंगे, या नहीं तो जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को फोन करें।
चरण 2	सूचना सत्र में भाग लेना	<ul style="list-style-type: none"> सूचना सत्र में आप जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुभवी कर्मचारियों से मिलेंगे तथा आपको प्रश्न पूछने एवं विभिन्न प्रकार के पालन पोषण देखरेख के बारे में जानने का अवसर मिलेगा।
चरण 3	रुचि अभिव्यक्ति की	<ul style="list-style-type: none"> यदि आपने एवं आपके परिवार ने अगला कदम उठाने का फैसला कर लिया है, तो एक आवेदन पत्र को भर कर जिला बाल संरक्षण इकाई को वापस भेजें।
चरण 4	गृह दौरा	<ul style="list-style-type: none"> जिला बाल संरक्षण इकाई का एक कार्मिक आपको फोन करके आपसे एवं आपके परिवार से मिलने का समय निश्चित करने के लिए कहेगा। यह हमारे लिए आपके बारे में अधिक जानने एवं आपके घर को देखने का अवसर है। यहां यह आपके लिए पालन पोषण के बारे में अधिक सुनने का अवसर है। यदि आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कार्मिक द्वारा आपको एक आवेदन पत्र देना होगा।
चरण 5	जांच/छानबीन	<ul style="list-style-type: none"> यह आवेदन पत्र को जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय को भेजा जायेगा। इस आवेदन पत्र में आपसे आपके एवं आपके परिवार की पृष्ठभूमि के विवरण के बारे में पूछा जायेगा। आपके आवेदन के एक भाग में जिला बाल संरक्षण इकाई को पुलिस एवं विभाग की जांच, निर्णयकर्ता के संपर्क करने तथा आपके चिकित्सक से स्वास्थ्य रिपोर्ट प्राप्त करने की अनुमति शामिल है।
चरण 6	मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जांच हेतु कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन शुरू किया जायेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई के किसी कार्मिक द्वारा आपसे एवं आपके परिवार से मिलने हेतु अनेक



		<p>बार आपके घर दौरे (विजिट) किये जायेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> आप द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ मिलकर तय किया जायेगा कि किस प्रकार पालन पोषण देखरेख करना चाहते हैं तथा किस आयु एवं लिंग के बच्चे आपकी जीवनशैली के अनुसार सर्वोत्तम हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आपकी एक पालन पोषणकर्ता होने की तैयारी की क्षमता एवं योग्यता का निम्नानुसार आकलन किया जायेगा— <ul style="list-style-type: none"> ○ एक दल (टीम) के भाग के रूप में कार्य करना। ○ एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की भावनात्मक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करना। ○ एक दुर्लभवहार मुक्त एवं सुरक्षित घर प्रदान करना एवं ○ एक पालन पोषणकर्ता के रूप में सीखने एवं विकास करने की जिम्मेदारी लेना।
चरण 7	प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> आपको प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने हेतु तैयार रहना आवश्यक होगा। आप इन सत्रों में सीखेंगे कि बच्चों ने पालन पोषण देखरेख में क्यों प्रवेश लिया एवं उनके द्वारा अनुभव की गई समस्याएं, साथ-साथ आप एवं अन्य सहयोगी की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानेगें।

✓

चरण 8	अनुमोदन	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी द्वारा बाल कल्याण समिति एवं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इसके परिणामस्वरूप आपको एक पालन-पोषणकर्ता बनना चाहिए या नहीं, की अनुशंसा की जायेगी। ● यदि आप अनुमोदित कर दिये जाते हैं, तो आपको एक पत्र प्राप्त होगा एवं बाल कल्याण समिति के साथ आपसे बंध पत्र पर हस्ताक्षर की मांग की जायेगी। ● इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा हस्तक्षेप होगा तथा इसमें 3 माह का लम्बा समय लिया जा सकेगा। लेकिन हमारे लिए जानकारी सुनिश्चित करने यह आवश्यक है कि आप अन्य लोगों के बच्चों के लिए उपयुक्त, सुरक्षित एवं ध्यान रखने योग्य हैं। ● यदि आप अनुमोदित नहीं होते हैं, तो भी आप अन्य माध्यमों से भी सहायता कर सकते हैं। आप स्वयंसेवक के रूप में अन्य माध्यमों से सहायता करने में सक्षम हो सकते हैं।
-------	---------	--

संभावित पालन पोषण देखरेख वाले बच्चे की काउंसलिंग (परामर्श) के संबंध में

विस्तारित टिप्पणी

1. बच्चों की समझ के स्तर के अनुसार बच्चे की काउंसलिंग (परामर्श) की जायेगी एवं बालक/बालिका को उनके जीवन में किये जाने वाले पालन पोषण देखरेख में स्थापन के बारे में सूचित करना। बच्चे को पालन पोषण देखरेख प्रक्रिया के दौरान सम्मिलित व्यक्ति से परिचित करवाया जायेगा तथा इस प्रक्रिया के दौरान बच्चों को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों की सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
2. काउंसलिंग (परामर्श) सत्र के उद्देश्य :-
 - भावी पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों को शिक्षित करने की शुरुआत के समय उनको बताना कि एक पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के रूप में वे क्या अपेक्षा कर सकते हैं।
 - एक बच्चे को उसके पिछले परिचित वातावरण से बाहर निकालने के परिणामस्वरूप हुई मानसिक क्षति के प्रभाव को कम करने के लिए।

(Handwritten signature)

- बच्चे को प्राप्त होने वाले सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण देखरेख के अधिकार को सुनिश्चित करना।

3. मार्गदर्शक नोट्स

1. क्या बच्चा पालन पोषण देखरेख की अवधारणा को समझता है?
हां नहीं

(यदि नहीं तो, जिला बाल संरक्षण इकाई, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति, प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति एवं प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों इत्यादि की भूमिका सहित पालन पोषण देखरेख की अवधारणा एवं कानूनी पहलुओं सहित पूरी तरह व्याख्या करना।)

2. यदि बच्चा समाज में किसी/किन्हीं व्यक्तियों से जुड़े रहना चाहता है और यह बच्चे के लिए उचित एवं सुरक्षित है, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का इस प्रक्रिया का हिस्सा होना सुनिश्चित किया जायेगा। चिन्हित किये गए व्यक्ति प्रथम संभावित पालन पोषण करने वाले माता-पिता है। फिर भी उनके द्वारा एक पालन पोषण देखरेखकर्ता/माता-पिता होने की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। कृपया बच्चे के बताए गए सभी संबंधों को सूचीबद्ध करें। कभी-कभी बच्चे से जुड़े लोगों के समूह/“सर्कल” को चित्रित किया जायेगा, यह बहुत उपयोगी हो सकता है। बच्चों को उनके घर या समुदाय को चित्रित करने के लिए कहें एवं पूछें कि कौन इस समूह/सर्कल में है और कौन नहीं है, वे किसे सूचीबद्ध करते हैं?


पालन पोषण देखरेख वाले बच्चों के जैविक माता-पिता की परामर्श के संबंध में विस्तारित नोट्स

आवश्यकतानुसार मामला कार्यकर्ता के सहयोग से पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के जैविक परिवारों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों की सुरक्षा एवं सर्वोत्तम हित का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

एक पालन पोषण करने वाले माता-पिता को ध्यान में रखना चाहिए कि एक बच्चे के लिए उसके जैविक परिवार से संपर्क उसकी पहचान से संबंधित है। साक्ष्य आधारित अनुसंधान से पता चलता है कि बच्चों के जैविक परिवार की सुरक्षा एवं परिस्थितियां कैसी भी हो, फिर भी बच्चा उसके जैविक परिवार एवं जीवन से संबंध महसूस करता है। यदि यह संबंध सुरक्षित एवं उचित है, तो इन्हें बनाए रखा जा सकता है।

यदि ऐसा करना बच्चे के संबंध में सुरक्षित एवं उचित नहीं है, तो जैविक परिवारों को पालन पोषण करने वाले परिवार या पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों कहां रहते हैं, के

171



बारे में नहीं बताया जायेगा। जैविक परिवारों को पालन पोषण करने वाले परिवार पर नकारात्मक प्रभाव (जैसे- पालन पोषण करने वाले परिवार से जबरन धन वसूल करना) डालने से रोकने के लिए उन्हें निरीक्षण दौरे के अर्न्तगत बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई या मामला प्रबंधन एजेंसी में बच्चे से मिलाना चाहिए।



किसी मामले पर आयोजित दौरे (विजिट) के संबंध में विस्तारित नोट्स

दौरे (विजिट) से पहले, रिकॉर्ड्स की समीक्षा करना एवं पिछले गृह दौरे के अनुवर्तन (फॉलोअप) के लिए नीचे दिये गये बिन्दुओं की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची का उपयोग पालन पोषण परिवार के साथ चर्चा में पालन पोषण परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

इस दौरे के दौरान पिछले दौरे से इन प्रमुख प्राथमिकताओं का पालन सुनिश्चित किया जायेगा: प्रत्येक विषय क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ मार्गदर्शन प्रश्न तैयार किये गये हैं, जिन्हें आप चाहे तो उपयोग कर सकते हैं, ये प्रश्न केवल सुझाव हैं, नियम नहीं हैं। कृपया दिए गए प्रत्येक श्रेणी के अनुसार टिप्पणी के लिए पेपर का उपयोग किया जाये एवं परिवार की स्थिति के अनुसार अपने स्वयं के प्रश्नों का भी उपयोग किया जाए।

नीचे दिये गये विषयों पर प्राकृतिक एवं संवादात्मक तरीके से चर्चा की जायेगी। प्रत्येक विषय को सम्मिलित करते हुए पेपर में टिप्पणी हेतु निर्धारित स्थान पर टिप्पणी करना अनिवार्य है।

पालन पोषण देखरेखकर्ता/पालन पोषण करने वाले माता-पिता का गृह

- i. गृहस्थी में बदलाव :- क्या घर में कोई नया रहने वाला, अस्थायी रूप से रह रहा है, या उसका सबसे ज्यादा समय यहां व्यतीत हो रहा है? नई नौकरी या वित्तीय स्थिति?
- ii. पालन पोषण परिवार में रिश्ते :- बच्चों कैसे रह रहे हैं? वयस्कों एवं बच्चों के बीच कैसे संबंध है? वयस्कों एवं वयस्कों के बीच कैसे संबंध है? परिवार में आपसी विवाद का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुद्दों को कैसे हल किया जाता है?
- iii. सांस्कृतिक एवं जातीय विचार :- पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा अपने घर में रह रहे पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों के बारे में जानने के लिए, बच्चों को सम्मान देने के लिए एवं उनकी मूल संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या पालन पोषण करने वाले माता-पिता को बच्चे के बारे में कोई प्रश्न हैं या जानकारी की आवश्यकता है?
- iv. सामाजिक सहायता एवं राहत :- बच्चे के दोस्तों, विस्तारित परिवार, सहकर्मियों, समुदाय, धर्म एवं विद्यालय में से कौन पालन पोषण परिवार की मदद करता है एवं कौन सुझाव देता है? क्या बच्चे का घर से बाहर कोई सामाजिक/भावनात्मक संबंध या सहयोग है?
- v. सेवाएं एवं प्रशिक्षण :- बच्चे के लिए या पालन पोषण परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कौनसे संसाधन/संदर्भ सेवाओं की आवश्यकता हैं— जैसे बाल देखभाल,

- मादक द्रव्यों के सेवन आदि। प्रशिक्षण से पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता या पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों क्या कौशल सीख रहे/वृद्धि करे हैं?
- VI. पालन पोषण गृह में सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण :- उदाहरणार्थ, क्या बच्चा घर में सुरक्षित महसूस करता है? क्या सुरक्षित एवं उचित अनुशासन का उपयोग किया जा रहा है? क्या घर में बच्चों के लिए पर्यवेक्षण का एक उचित स्तर है? क्या समुदाय घर में रहने वाले बच्चे को स्वीकार करता है? क्या घर में कोई खतरा है?
 - VII. बाल व्यवहार एवं पालन पोषण कौशल :- क्या कोई बच्चा चुनौतीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है? पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता बच्चों के व्यवहार का प्रबंधन करने में कितने सक्षम एवं सफल है? क्या कार्य कर रहे हैं एवं नहीं कर रहे हैं?
 - VIII. बच्चों की शिक्षा :- बच्चा स्कूल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है (सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों सहित) ? बच्चे या परिवार को शिक्षा में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या वे ट्यूशन ले रहे हैं?
 - IX. बच्चों एवं पालन पोषण करने वाले परिवार की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति/जरूरत:- क्या बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा है? क्या बच्चे की आवश्यक एवं चल रही चिकित्सा जरूरतों की पूर्ति हो रही है? क्या हाल ही में पालन पोषण करने वाले माता-पिता ने बच्चों के स्वभाव या व्यवहार में कोई परिवर्तन को देखा है? क्या बच्चों या पालन पोषण करने वाले माता-पिता को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की समयावधि या गुणवत्ता के बारे में कोई प्रश्न है? क्या घर में कोई अन्य चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है?
 - X. जैविक परिवार एवं साझा परिवार के साथ बातचीत और दौरे :- क्या बच्चे को जैविक परिवार की आवश्यकता एवं चिंता है या उनके साथ यात्रा करने की आवश्यकता हैं? पालन पोषण करने वाले माता-पिता कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे एवं जैविक परिवार के मध्य संपर्क बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कार्य किये गये हैं या क्या कार्य नहीं किये गये हैं? उन्हें क्या सहायता की आवश्यकता है?

अगर पालन पोषण करने वाले माता-पिता ने पहले भी पालन पोषण किया है, तो बच्चे ने परिवार में कितनी अच्छी तरह से समेकन किया है। अब बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे के साथ बातचीत करने से पालन पोषण करने वाले माता-पिता/देखरेखकर्ता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा।

गृह अध्ययन के लिए विस्तारित नोट्स

1. बच्चों का विवरण :-

किस प्रकार का बच्चा है, यह पालन पोषण देखरेख कर्ता ध्यान रखेगा। (बच्चों का विवरण पालन पोषण देखरेखकर्ता के साथ बातचीत के बाद भरा जाएगा)

2. विवरण दें :-

- व्यक्तित्व
- पारिवारिक जीवन,
- अनुभव
- परिवार के विशिष्ट गुण जो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हो सकते हैं

(नोट :- उक्त विवरण की पहचान की शुरुआत इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे एक बच्चे का परिवार के साथ संभावित मिलान हो सके)

3. पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता की गृह अध्ययन रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी, जिसे विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल देखरेख संस्थान, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार किया जायेगा एवं इसमें निम्न जानकारी को विस्तृत रूप से सम्मिलित किया जायेगा -

- सामाजिक स्थिति एवं परिवार की पृष्ठभूमि
- घर का विवरण
- घर में रहने-सहने का प्रत्यक्ष स्तर
- घर में सदस्यों के बीच वर्तमान संबंध
- अब तक घर में बच्चों के विकास की स्थिति
- रोजगार एवं आर्थिक स्थिति
- स्वास्थ्य विवरण
- आसपास उपलब्ध शिक्षा, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विवरण
- बच्चे को पालन पोषण देखरेख में रखने की इच्छा का कारण
- दादा-दादी एवं अन्य रिश्तेदारों का नजरिया/रुख
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए अनुमानित योजनाएं
- पालन पोषणकर्ता(ओं) की कानूनी (लीगल) स्थिति
- प्रशिक्षण लेने की स्वेच्छा।

4. आवेदनकर्ता(ओं) का विवरण :-

P/

पृष्ठभूमि :-

- माता-पिता एवं भाई-बहनों के विवरण के साथ परिवार की संरचना।
- परिवार के अन्य सदस्यों, बचपन के अनुभवों का महत्वपूर्ण विवरण।

रिश्ते (संबंध) :-

- वैवाहिक जीवन की अवधि
- प्रत्येक आवेदक अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए किन गुणों का प्रयोग करते हैं
- एक-दूसरे के लिए सकारात्मक रिश्ता कैसे बनाते हैं?
- आवेदक रिश्तों में आने वाली समस्याओं, तनाव एवं गुस्से से कैसे सामना करते हैं?
- आवेदक एक-दूसरे का सहयोग कैसे करते हैं?
- पालन पोषण देखरेख में स्थापन किस प्रकार संबंधों को प्रभावित कर सकता है इसके संबंध में प्रत्येक आवेदक का आकलन क्या होगा। (यह कई बार दौरे एवं बातचीत के बाद समझा जा सकता है)

निर्णय लेना :-

- इस संबंध में निर्णय कैसे लिया जाता है एवं प्रत्येक आवेदक इसको किस नजरिये/रुख से देखते हैं?
- क्या दोनों पक्षों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में विस्तारित परिवार की भागीदारी है?
- यदि हां, तो यह जिस बच्चे का स्थापन होना है, उसे कैसे प्रभावित करेगा?
- साझेदारी की क्षमता एवं अतिसंवेदनशीलता क्या है?
 - a. बच्चों
 - b. बच्चों एवं उनके माता-पिता के रिश्ते (संबंध)
 - c. भाई-बहन के एक पालन पोषण में रहने के प्रति बच्चों का नजरिया /रुख एवं तैयार रहना।
 - d. प्रत्येक बच्चे एवं उसकी मनोदशा, कोई विशेष प्रतिभा एवं आवश्यकता तथा बच्चों को तैयारी में कैसे सम्मिलित किया गया है, का विवरण।

आवेदकों का सहयोगी समूह :-

आवेदकों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सहयोगी समूह की एक सामान्य विस्तारित जानकारी प्रदान करें

- परिवार
- दोस्त
- पड़ौसी
- धार्मिक गतिविधियां
- सामुदायिक समूह
- स्थान का विवरण इत्यादि सहित

परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य :-

- घर में रहते हैं या नहीं
- आवेदकों के साथ उनके रिश्ते (संबंध)
- घर में कितना समय व्यतीत करते हैं
- प्रस्तावित स्थापन के लिए उनका रुख/नजरिया
- आवेदकों के स्थापन में उनकी स्वीकृति कितनी महत्वपूर्ण है

पारिवारिक जीवन शैली का विवरण :-

- यह उल्लेखित करना कि परिवार किसे महत्वपूर्ण मानता है जैसे – धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथाएं कैसे महत्वपूर्ण हैं।
- परिवार में आपस में लगाव/स्नेह कैसे दिखता है,
- परिवार के सदस्य अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं
- निजता के संबंध में परिवार के सदस्यों की क्या अपेक्षाएं हैं?
- पूरे परिवार में शिक्षा, रुचि एवं अवकाश की गतिविधियों का क्या महत्व है?

अभिभावक की क्षमता :-

- आवेदकों का बच्चों की देखरेख एवं उनके साथ काम करने का अनुभव।
- उनके माता-पिता के समायोजन का विवरण।
- बच्चों के विकास से अभिभावक क्या समझते हैं?
- अपने स्वयं के बचपन के अनुभवों का उपयोग करेंगे तथा उनमें से बच्चों की परवरिश में क्या दोहराएंगे एवं क्या बदलाव करेंगे?
- माता-पिता स्वयं की अभिभावकीय क्षमता एवं संभावना तथा बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में अभिभावकीय कौशल से क्या समझते हैं।

- किस हद तक वे अन्य परिवार के सदस्यों से अपेक्षा करेंगे कि वे उनके बच्चों/स्थापन में रखे गये बच्चों की परवरिश में शामिल हों?
- एक बच्चा का अपने परिवार एवं व्यापक सहयोगी तंत्र में शारीरिक यौन शोषण से सुरक्षित होना कैसे सुनिश्चित किया जायेगा ?

अस्वीकार्य व्यवहार का प्रबंधन करना :-

- घर में किन नियमों का पालन किया जा रहा है?
- आवेदक स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दिखाते हैं?
- आवेदक अनुशासन के किन मापदण्डों का उपयोग करते हैं?
- सजा/दण्ड के प्रति आवेदक का क्या रुख/नजरिया है?
- आवेदक बच्चों की समस्याओं एवं कठिनाइयों के बारे में क्या सोचते हैं?
- उनकी जीवन शैली में क्या बदलाव की आवश्यकता होगी?

सामाजिक कार्यकर्ता का मूल्यांकन :-

सामाजिक कार्यकर्ता के संबंध में प्रारूप के माध्यम से एकत्रित की गई सूचनाओं का मूल्यांकन एवं इसके महत्व के साथ पालन पोषण कार्य हेतु आवेदक की क्षमता का विश्लेषण किया जाएगा।

बच्चों से संबंधित एवं बच्चों के साथ कार्य करने में आवेदकों की क्या कुशलता है?

आवेदक जैविक माता-पिता के साथ एवं एजेंसी के साथ कितनी अच्छी तरह कार्य करेगा? आवेदकों की क्षमता एवं संसाधन क्या है तथा अन्य कौन से क्षेत्र हैं, जहां उन्हें कठिनाई अनुभव हो सकती है? साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता एवं आवेदकों के बीच असहमति के मुद्दे को भी यहां उल्लेखित किया जायेगा।

शिकायतों एवं अन्वेषण पर विस्तृत नोट्स

शिकायत कौन कर सकता है?

पालन पोषण से संबंधित शिकायत पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे, पालन पोषण करने वाले माता-पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखरेख), संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख), प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति, बाल कल्याण समिति, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, चाइल्ड लाइन, अधिवक्ता, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में नियुक्त



सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, आमजन या स्वयंसेवी संस्था/एजेंसी के सदस्य सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है।

अन्वेषण कैसे किया जाता है?

किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत हेतु निर्धारित प्रारूप भरकर पालन पोषण देखरेख के संबंध में शिकायत पंजीकृत की जा सकती है। इस प्रारूप को पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के वर्तमान जिले के क्षेत्राधिकार की जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एवं प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति को डाक पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। बाल कल्याण समिति तथा प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति द्वारा स्वयं या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से, बच्चे के सर्वोत्तम हित में स्थापन की एक आवधिक समीक्षा की जायेगी तथा पालन पोषण देखरेख के विस्तार या समाप्ति हेतु उचित कार्यवाही की जायेगी। यदि शिकायत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के बारे में नहीं है, तो किसी शिकायत के लिए संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) जिम्मेदार है एवं यदि शिकायत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के बारे में है, तो यह शिकायत सीधे ही बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत की जाएगी। संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) या बाल कल्याण समिति द्वारा पालन पोषण देखरेख शिकायत जांच प्रारूप के अनुसार संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) के रिपोर्टिंग अधिकारी को 24 घंटों के भीतर पालन पोषण देखरेख प्रारूप, पालन पोषण देखरेख शिकायत पत्र एवं शिकायत प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

यदि संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) या बाल कल्याण समिति द्वारा शिकायत का अन्वेषण के अनुसार समाधान नहीं किया गया है, तो शिकायत का निम्नानुसार अनुवर्तन (फॉलोअप) किया जायेगा –

1. पालन पोषण देखरेख प्रदानकर्ता (एवं अन्य) के साथ उसके घर पर अनौपचारिक साक्षात्कार किया जायेगा तथा साक्षात्कारकर्ता द्वारा रिकॉर्ड लेखबद्ध किये जायेंगे एवं घर पर एक और औपचारिक साक्षात्कार के माध्यम से निर्णय का रिकॉर्ड लेखबद्ध किया जायेगा।

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) या बाल कल्याण समिति द्वारा दुर्यवहार के आरोप के मामले में निर्धारित किया जाता है, देखरेखकर्ता, पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे एवं शिकायतकर्ता (यदि यह कोई अलग व्यक्ति है, तो) का साक्षात्कार किया जाएगा। अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास इस संबंध में जानकारी है, तो उसका भी साक्षात्कार किया जा सकता है।

यदि शिकायत किसी अपराध से संबंधित है तो, पुलिस अधिकारी द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।

21

यदि अन्वेषण के दौरान बच्चे को पालन पोषण देखरेख में नुकसान होने की संभावना है, तो जांच के किसी भी स्तर पर बच्चे को पालन पोषण स्थापन से हटाने का निर्णय लिया जा सकता है। बच्चे के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय केवल संरक्षण अधिकारी-गैर संस्थागत देखभाल या बाल कल्याण समिति द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात सावधानीपूर्वक लिया जाएगा। एक बच्चे को केवल बाल कल्याण समिति के अनुमोदन के साथ ही गृह से हटाया जा सकेगा।

अन्वेषण पूरा होने पर क्या होता है?

संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) या बाल कल्याण समिति द्वारा अन्वेषण के परिणाम संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखभाल) के रिपोर्टिंग अधिकारी, पालन पोषण देखरेखकर्ता एवं अन्वेषणकर्ता को लिखित रूप में भेजना सुनिश्चित किया जाएगा है। बाल कल्याण समिति अन्वेषण के परिणाम से बच्चे एवं उसके जैविक माता-पिता को सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

शिकायत एवं अन्वेषण के परिणाम का रिकॉर्ड पालन पोषण देखरेखकर्ता की पत्रावली में संधारित किया जाएगा।

यदि पालन पोषण देखरेखकर्ता, जिनका शिकायत के संबंध में अन्वेषण किया गया है, यदि वे अन्वेषण हेतु अपनाये तरीके के बारे में असंतुष्ट हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत करने का अवसर दिया जाएगा।

अन्वेषण दौरे के चरण :-

किसी शिकायत के मामले में संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) या बाल कल्याण समिति के द्वारा किया जाना वाला दौरा (विजिट) निम्नानुसार है:-

- अन्वेषण के पहले चरण में पालन पोषण देखरेख घर के वातावरण एवं आस-पड़ौस सहित पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा।
- बच्चों के शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक जानकारी पालन पोषण देखरेख प्राप्त करने वाले बच्चों के विद्यालय से प्राप्त की जाएगी। (यदि शैक्षिक शिकायत है)।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की चिकित्सा जांच की जाएगी। (यदि चिकित्सा या दुरुपयोग की शिकायत है)।
- जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, उस व्यक्ति का भी साक्षात्कार किया जाएगा।
- यदि जांच से पता चलता है कि पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे स्थापन में समायोजन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें विशेष परामर्श दिया जाएगा एवं अंतिम निर्णय से पहले निरंतर अनुवर्तन (फॉलोअप) के माध्यम से अधिकतम 6 महीने के लिए अवलोकन में रखा जाएगा।

- यदि इस स्थिति में सुधार नहीं होता है तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे के स्थापन से स्थानांतरण के आदेश जारी किए जायेंगे।
- यदि पालन पोषण करने वाले माता-पिता द्वारा पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत सही पायी जाती है, तो बच्चे को तत्काल संरक्षण में लिया जाएगा।
- बच्चे को बाल कल्याण समिति के सभक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं बाल कल्याण समिति द्वारा स्थानांतरण के लिए एक उचित आदेश जारी किया जायेगा।
- पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता, जो बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के अपराधी पाए गए हैं, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी एवं उन्हें भविष्य में होने वाले स्थापन के लिए ब्लैक लिस्ट (काली सूची) में डाला जायेगा।
- जब कोई पालन पोषण प्रदान करने वाले परिवार, जिन्हें जानबूझकर गलत या बेईमान इरादे के साथ, उपयुक्त माना गया है, तो ऐसे मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों (गृह अध्ययन आयोजित करने वाला व्यक्ति या बाल कल्याण समिति) पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चों या पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता की मृत्यु के मामले में :-

- यदि पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत देखरेख) द्वारा इस जानकारी से बच्चे के जैविक माता-पिता, अभिभावक, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचित किया जायेगा।
- पालन पोषण प्राप्त करने वाले बच्चे की मृत्यु होने पर 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जायेंगे।
- मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा तुरंत सक्षम प्राधिकारी एवं बाल कल्याण समिति को सूचित किया जायेगा।
- पालन पोषण प्रदान करने वाले माता-पिता की मृत्यु होने पर बच्चे को किसी मान्यता प्राप्त बाल गृह या जैविक परिवार में वापस भेज दिया जायेगा।

127

विचारणीय बिन्दु:-

बच्चे का सर्वोत्तम हित हमेशा सर्वोपरि माना जाएगा। मामले को जल्द से जल्द हल करना अन्वेषण का उद्देश्य होगा एवं प्रोटोकॉल में समय-सीमा सम्मिलित की जायेगी। उदाहरण के लिए, अगर शिकायत की प्रकृति गंभीर मानी गई है, तो बच्चे को निश्चित समय के भीतर स्थापन से निकाल दिया जायेगा एवं 24 घंटे के भीतर आपातकालीन देखभाल की व्यवस्था की जायेगी।

पालन पोषण देखरेख कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के शोषण के बारे में एवं कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा में उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को भी समझना महत्वपूर्ण होगा। बाल संरक्षण नीति को लागू करने के लिए सभी जिम्मेदार हितधारकों का उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं आवधिक रिक्रेशर कार्यक्रम से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

बाल दुर्व्यवहार को प्रकरण की अधिकता एवं गंभीरता के आधार पर छोटे, गंभीर एवं जघन्य अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा एवं इसके लिए रिपोर्टिंग प्रारूप विकसित किया जायेगा। सभी दुर्व्यवहार (छोटे, गंभीर एवं जघन्य) के मामलों की सूचना बाल कल्याण समिति को दी जायेगी एवं समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही निर्धारित की जायेगी।

बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा के सम्बन्ध संदिग्ध एवं प्रमाणित मामलों में बच्चे के संरक्षण एवं बचाव पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इसी समय बच्चे को उपचारात्मक उपाय प्रदान किये जायेंगे एवं सम्मिलित सभी व्यक्तियों की संरक्षण की जिम्मेदारी ली जायेगी। प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक परामर्श एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

बाल दुर्व्यवहार के सम्बन्ध मामलों में कार्यान्वित करने वाले सहभागी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

बच्चों की भागीदारी को महत्व दिया जायेगा एवं उन्हें सभी तरह के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बोलने, स्वयं के संरक्षण के लिए अभिकर्ता के रूप में कार्य करने एवं उनके साथियों की सुरक्षा करने के लिए सशक्त किया जाएगा।

तात्कालिक आवश्यकता एवं बाल दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा के संदिग्ध मामलों में चाइल्ड लाइन को 1098 पर एवं पुलिस को सूचित किया जायेगा।



422



JHARKHAND GUIDELINES FOR FOSTER CARE 2018



Jharkhand Guidelines For Foster Care, 2018

India has a well developed and strong family system. In many areas the traditional joint family system is still very strong and so a child grows up in the company of his/her own siblings, cousin and grandparents. The term “joint family” is used more commonly than “extended family” in the country. In situations where parents are unable to take care of children due to illness or any other reason, children are taken care of by the joint family i.e by the kins/relatives.

The present Guidelines are not aimed at institutionalising such informal family systems embedded in our socio cultural milieu and therefore do not cover such arrangements. In case, the extended family requires financial support for the care of the child, the same may be provided through sponsorship of the child as provided for in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 itself or the family may be referred to other Schemes and Programmes of the Government that strengthen families.

The present Guidelines for Foster care aim to protect the well-being of children who are deprived of family care or who are at risk of being so. Such children in need of care and protection are to be placed in unrelated family foster care or group foster care.

The Guidelines derive strength from section 44 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, Rule 23 of the JJ Rules, 2016 and the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989). These Guidelines do not include pre adoptive foster care as Regulations for Adoption 2016 framed under JJ Act, will apply in such cases.

Chapter I: Preliminary


1.1 Short Title

These Guidelines may be called the ***JHARKHAND GUIDELINES FOR FOSTER CARE, 2018***.

1.2 Definitions

A. In these Guidelines, unless the context otherwise requires:

- (i) “Abandoned Child” means a child deserted by his biological or adoptive parents or guardians, who has been declared as abandoned by the Committee after due inquiry;
- (ii) “Act” means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015;
- (iii) “Adoption” means the process through which the adopted child is permanently separated from his biological parents and becomes the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to the biological child;
- (iv) “Aftercare” means making provision of support, financial or otherwise, to persons, who have completed the age of eighteen years but have not completed the age of twenty-one years, and have left any institutional care to join the mainstream of the society;
- (v) “Best Interest of child” means the basis for any decision taken regarding the child, to ensure fulfillment of his basic rights and needs, identity, social well-being and physical, emotional and intellectual development ;
- (vi) “Care Givers” means a staff appointed for providing care and protection to children placed in fit facility for Group foster care;
- (vii) “Child Care Institution” means Children’s Home, Open Shelter, Observation Home, Special Home, Specialised Adoption Agency and a Fit facility recognised under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 for providing care and protection of children, who are in need of such services;
- (viii) “Child” means a person who has not completed eighteen years of age; as defined under the Act;
- (ix) “Committee” means the Child Welfare Committee (CWC) constituted under section 27 of the Act;
- (x) “Convention on the Rights of the Child” means the United Nation’s Convention on the Rights of the Child 1989;
- (xi) “District Child Protection Unit” means a Child Protection Unit for a District, established by the State Government under section 106 of the Act;
- (xii) “Fit Facility” means a facility run by a governmental organisation or a registered voluntary or non- governmental organisation, prepared to temporarily own the responsibility of a particular child for a specific purpose and such facility is recognised as fit for the said purpose by the Committee.
- (xiii) “Foster Care” means placement of a child, by the Committee for the purpose of alternate care in the domestic environment of a family, other than the child’s biological family, that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care;
- (xiv) “Foster family” means a family found suitable by the District Child Protection Unit to keep children in foster care under section 44 of the Act;
- (xv) “Group Foster Care” means a family like care in a fit facility for children in need of care and protection who are without parental care with the aim to provide personalised care and a sense of belonging and identity;

- 
- (xvi) “Guardian”, in relation to a child, means his natural guardian or any other person, having, in the opinion of the Committee, the actual charge of the child, and recognised by the Committee as a guardian in the course of proceedings;
 - (xvii) Home Study Report” means a report containing details of the prospective foster family which includes social and economic status; family background; description of home; standard of living; current relations amongst the members of family; health status etc.
 - (xviii) “Kinship Care” is family-based care within the child’s extended or joint family
 - (xix) “Orphan” means a child –
 - (i) who is without biological or adoptive parents or legal guardian or
 - (ii) whose legal guardian is not willing to take, or capable of taking care of the child;
 - (xx). “Pre-adoption foster care” means a stage when the custody of a child is given to prospective adoptive parents, pending adoption order from the court as per Regulations Governing Adoption of Children, 2016.
 - (xxi) “Specialised Adoption Agency” means an institution established by the State Government or by a voluntary or non-governmental organisation and recognised under section 65, of the Act for housing orphan, abandoned and surrendered children, placed there by order of the Committee, for the purpose of adoption;
 - (xxii) “State Adoption Resource Agency” means the agency setup by the State Government for dealing with adoption and related matters under section 67 of the Act;
 - (xxiii) “State Government” in relation to a Union Territory means the Administrator of that Union Territory appointed by the President under Article 239 of the Constitution;
 - (xxiv) “Surrendered Child”, means a child, who is relinquished by the parent or guardian to the Committee, on account of physical, emotional and social factors beyond their control, and declared as such by the Committee.

B.

- (i) “Case Worker” means a representative from a registered voluntary or non-governmental organisation who shall accompany the child to the Board or the Committee and may perform such tasks as may be assigned to him by the Board or the Committee;
- (ii) “Child Adoption Resource Information and Guidance System” means an online system for facilitating and monitoring the adoption programme;
- (iii) “Child Study Report” means the report which contains details about the child, such as his date of birth and social background;
- (iv) “Individual care plan” is a comprehensive development plan for a child based on age and gender specific needs and case history of the child, prepared in consultation with the child, in order to restore the child’s self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following, including but not limited to, needs of a child, namely: -
 - a. health and nutrition needs, including any special needs;
 - b. emotional and psychological needs;
 - c. educational and training needs;
 - d. leisure, creativity and play;
 - e. protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
 - f. restoration and follow up;
 - g. social mainstreaming;
 - h. life skill training.

C. All words and expressions used but not defined in these Guidelines shall have the same meaning as assigned to them in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and rules framed thereunder.

1.3. Premise

i. Non- formal Kinship

In Jharkhand, non- formal kinship care is strong. Children without families or with families who are unable to care for them are provided care by the members of the joint/extended family members. In case a relative is not available or willing to take care of the child, then the child is placed with a willing family who shares a cultural, tribal and /or community connection same to that of the child including friends of the parents, neighbours and members of the same community/clan. This arrangement is not to be formalized in these guidelines as such care is embedded in our social milieu. Such non formal kinship will continue as it is traditionally practiced in the country and will not be covered under these guidelines. In case such non formal Kinship care requires financial support it shall be considered under sponsorship program as provided for under the Act or any other program of the State Government.

ii. National Policy for Children, 2013

The National Policy for Children adopted in 2013 recognises that all children have the right to grow in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. The family or family environment is most conducive for the all-round development of children and they should not to be separated from their parents, except where such separation is necessary in their best interest.

iii. National Plan of Action for Children, 2016

The national plan of action for Children adopted in 2016 emphasize on the importance of non-institutional care for children. The plan of action includes adoption, foster care and sponsorship as the priority area for protection of children. It recognises the importance of these family and community based arrangement for care and protection of children and provides an action plan to strengthen these arrangement through awareness, policy making, inter agency & interstate cooperation.

1.4. Foster care

Foster care according to Section 44 of the JJ Act, 2015 children in need of care and protection may be placed in foster care, including group foster care for their care and protection through orders of the Committee. Placement may be

- (a) in a family which does not include the child's biological or adoptive parents i.e in an unrelated family recognised as suitable for a short or extended period of time;
- (b) in a fit facility recognised under the Act for group foster care
- (c) Number should not exceed 4 children including biological children in family foster care
- (d) Number of children residing in group foster care, should not exceed 08 children at any given period of time. In exceptional case, the number may not exceed 10

1. 4.1. Foster care is an arrangement whereby a child is placed for the purpose of alternate care in the domestic environment of a family, usually on a short term or extended period of time, with unrelated family members for purpose of care and protection.

1.4.1.1. While placing a child in foster care, preference is given to those families that share similar cultural, tribal and /or community connection. Foster care can be short term or for extended period of time depending upon the needs of the child. The situations under which Foster care can be given will rest on the CWCs based on their assessment of the individual case presented before them.

Definition

- i. Foster care for short term period means for a period of not more than one year.
- ii. Foster care for extended period of time is placement of a child by the Committee for a period exceeding one year. The duration whether short or long term will also be based on the assessment of the compatibility of the child with the foster care parents the period of placement can be periodically extended by the Committee till the child attains 18 years of age.

1.4.1.2 Group foster care is defined as a family like care in a fit facility for children in need of care and protection who are without parental care. The aim is to provide personalised care and a sense of belonging, identity and emotional security.

Group foster care is also practiced as an intermittent arrangement suitable for children picked up from streets before placing them in family foster care. Such placements help to make seamless transition from group to family care. This placement aims to wean the children from street life. It can also help in de-institutionalising a child in providing alternate care to the child. Hence, Group Foster care is practiced as a family setting where a group of unrelated children are placed under the care of foster care givers in a fit facility.

1.4.1.3 There are various models of group foster care which are being practiced across the Country. These models are providing both short term and extended security and stability to a limited number of children in as close as possible family like settings or atmosphere. But they all must be registered as fit facility under JJ Act and the placement of children is to be as per the orders of CWCs.

1.5 Fundamental Principles of Foster Care

- i. Family or a family like environment is most conducive for a child and every child has the right to grow in such an environment;
- ii. Recognizing that every child has the right to grow in a family environment, every attempt must be made to reunite the child with his biological family by strengthening the biological family through a planned process;
- iii. All decisions, initiatives and approaches falling within the scope of the present Guidelines are to be made on a case-by-case basis, based on the principles of necessity and appropriateness with a view, to ensure the child's safety and security, and must be grounded in the best interests of the child; He/she should be informed and prepared throughout the process;
- iv. All decisions, initiatives and approaches falling within the scope of the present Guidelines must respect the child's right to be consulted and to have child's views duly taken into account in accordance with his evolving capacities; with full participation of families and legal guardians where available;
- v. Siblings and twins should be placed in one family or fit facility; the limit on number of children to be placed in a single family or fit facility can be relaxed in such a case.

1.6. Placement of the child in family or group foster care

- i. The appropriateness of placement of a child in family foster care or in group foster care in a fit facility may be determined by CWC factoring in the experience in the past of the child, best interest of the child and the child's preference. Some of the factors to be borne in mind while taking the decision are given below:
 - level of trauma experienced by a child, , (Rescued Child of trafficking/child labour, victim of Sexual Abuse, domestic violence, child marriage etc)
 - history of drug addiction,
 - level and type of disability,
 - social behavior,

- requirement of any specialized care, terminal illness etc. and
- need to de institutionalize a child
- availability of facilities including
- Children of Migrant Family (seasonal migration)
- Siblings in institutions/CCIs

ii. Preference and consent of the child, or parents or guardians, as the case may be

iii. Availability of the option

iv. Suitability of the option

1.7. Children eligible for foster care

Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee as legally free for adoption and those who have been declared legally free for adoption shall not as far as possible be considered for placement in foster care. Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations.

A. Children who are not being adopted after being declared legally free for adoption by CWC

(1) The following categories of such children may be considered for Foster Care in following circumstances:

- i. If adoptable children between the age of 6 to 8 years do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of two years after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, where priority will be given to the family foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.
- ii. Children in the age group of 8 to 18 years, who are legally free for adoption but have not been selected by any Prospective Adoptive Parent (PAP) for one year are eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.
- iii. Children with special needs, irrespective of the age, who do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of one year after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children are eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness and group setting has facilities for care of such children. Special needs children are a priority for foster care in Jharkhand. The state will promote specialised group foster care facility with additional incentives to promote these care arrangements for the most vulnerable.
 - a) The capacities of the foster family to manage the child shall determine the placement of special need children in that family.
 - b) Similarly, the placement of special need children in a fit facility shall be determined by the availability of facilities required for such children in a fit facility

B. Children not declared legally free for adoption by CWC

Where the child has remained with a foster family for a minimum of five years other than in pre-adoption foster care, the foster family may apply for adoption of the child. Such foster parents will have to register on a separate page created on Child Adoption Resource Information and Guidance System under the Adoption Regulations, 2016.

C. Children who may be deinstitutionalized

- i. Children in the age group of 6-18 years who have been staying in child care institutions and have not been declared legally free may be placed in foster care based on their individual care plan developed in the institution;
- ii. Children whose parents are terminally ill and have submitted a request to the Committee or the District Child Protection Unit for taking care of their child as they are unable to take care of their child;
- iii. Children identified by DCPU such as those
 - whose parents are mentally ill and are unable to take care of the child;
 - whose one or both parents are in jail;
 - who are victims of physical, emotional or sexual abuse, natural /manmade disasters, agrarian distress and domestic violence etc.

1.8. Rights of foster family/ care givers of the fit facility

1.8.1 Rights of a Child under Foster care

- i. Child Welfare Committee, in conjunction with district and state functionaries shall ensure that the foster child's best interest is upheld and his views are taken into consideration as far as possible in his placement as well as the individual care plan developed;
- ii. Child shall have access to information on the situation of his biological family and can meet their family members;
- iii. Child shall have interaction with biological family depending on the interest of the child.
- iv. Child shall have information/ access regarding government schemes and programs for his/her development.
- v. Child's right to survival, development, protection and participation will be protected

1.8.2 The foster parents have following rights:

- i. Right to be heard and respected;
- ii. Right of non-discrimination on the basis of their social origin
- iii. Right to adopt the same child following procedure prescribed in JJ rule 44 (v)

1.8.3 The care givers of the fit facility have following rights:

- ii. Right to be heard and respected;
- iii. Right of non-discrimination on the basis of their social origin
- iii. Right to undergo trainings and counselling

1.9. The foster family/ care giver of fit facility has the following responsibilities towards the child placed in their care:

1.9.1. The Foster family shall

- provide adequate food, clothing, shelter and education
- provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;
- provide vocational training according to the age, developmental needs and interests of the child;
- support higher education requirements;
- ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse and that child's whereabouts are known always;
- respect the privacy of the child and his biological family or guardian, and acknowledge that any information provided about them is confidential and is not to be disclosed to another party without prior consent;

- provide treatment in emergency situations and inform DCPU, the Committee and biological family about the same which may pass appropriate orders wherever necessary;
- share and discuss information pertaining to the progress of the child in adjusting to the home and school; periodically with the Committee and biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee;
- support contact between the child and DCPU staff during home visits;
- support contact between the child and his biological family in consultation with the Child Welfare Committee keeping in view the best interest of the child;
- Foster carers agree not to discriminate between their biological child and foster child, or between foster children.
- ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes in holiday plans and any episodes of running away of child to the Committee;
- report to the DCPU in case of any critical incidents such as injuries (accidental or non-accidental), instances of alleged abuse by any person and any criminal or self-harming behaviours exhibited by the child;
- Surrender the custody of child as per the order by CWC.
- In case if the child is shifted to other location by the foster family, foster family will take permission of the CWC and inform them
- Have to sign an agreement with CWC and DCPU

1.9.2. Responsibilities of the care givers of the fit facility:

Besides providing food, boarding, lodging, education and maintaining the standards of care in the fit facility, the care givers shall

- share and discuss information pertaining to the progress of the child in adjusting to the home and school; periodically with the Committee and biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee;
- support contact between the child and DCPU staff during home visits;
- support contact between the child and his biological family in consultation with the Child Welfare Committee keeping in view the best interest of the child;
- seek approval of the Committee through DCPU in advance for serious medical matters such as operative procedures and the use of anesthesia;
- ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes in holiday plans and any episodes of running away of child to the Committee;
- report to the DCPU in case of any critical incidents such as injuries (accidental or non-accidental), instances of alleged abuse by any person and any criminal or self-harming behaviors exhibited by the child;
- support initiatives to provide life skills, vocational and higher education, skill development to the child (14+ years of age)
- prepare the child for independent living (17+ years of age)
- Counselling support to child
- Follow up of the child for atleast two years and share the report with DCPS for sharing with CWC

1.10. Criteria for Selection of foster family

1.10.1 As per section 44(2) of the Act, the selection of the foster family may be based on family's ability, intent, capacity and prior experience of taking care of children.

The District Child Protection Unit, while selecting foster family may consider the following illustrative criteria:

- i. Both the spouses must be Indian citizens;
- ii. Both the spouses must be willing to foster the same child;
- iii. Both the spouses must be above the age of 35 years and must be in good physical, emotional and mental health;
- iv. Ordinarily the foster family should have an income with which they are able to meet the needs of the child;
- v. Medical reports of all the members of the foster care family residing in the premises should be obtained including checks on Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B, any other communicable disease, cancer etc to determine that they are medically fit;
- vi. Should have adequate space and basic facilities;
- vii. Should be willing to follow rules laid down including regular visits; to doctors, maintenance of child health and their records;
- viii. Should be willing to attend foster care orientation programs organized by the DCPU;
- ix. Must be without criminal conviction or indictment;
- x. Should have supportive community ties with friends and neighbours
- xi. Single parents can foster but in accordance with the JJ Act 2015 and JJ rules. A single man can foster a girl child only if the age difference between them is more than 21 years.
- xii. An Organization/NGO running a Child Care Institution cannot take Group foster care facilities.

1.10.2. Criteria for selecting fit facility for group foster care:

The District Child Protection Unit, while selecting Fit facility for Group foster care may consider the following illustrative criteria:

- (i) Registration of the organisation under the Act;
- (ii) Recognition as fit facility by CWC for placement of children in group foster care;
- (iii) Registration as NGO on the NITI Aayog website;
- (iv) Existence of Child Protection Policy;
- (v) Medical reports of all the care givers of the fit facility should be obtained including checks on Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B, any other communicable disease, cancer etc to determine that they are medically fit;
- (vi) The care givers shall be without criminal conviction or indictment;
- (vii) **Space required:** The accommodation shall be sufficiently spacious with proper amenities for a group of children (maximum 08 children) to reside; could have children from both genders, hence adequate space to ensure privacy;
- (viii) Sufficient space and proper amenities for children;
- (ix) Should have an in-house kitchen and separate toilets and bathroom. There should be at least 1 toilet for every 4 children;
- (x) Should preferably have the look and feel of a house providing a family environment, rather than an institutional setting;
- (xi) These fit facilities for group foster care shall be located within an existing neighbourhood to encourage local interaction;
- (xii) Recruitment procedures of care givers should in accordance with the qualifications as may be prescribed by State Government;
- (xiii) Generally they must have empathy and bonding with children;
- (xiv) Pre-service training should be provided for each foster care giver in the fit facility for group foster care;
- (xv) Should have retirement policy for care givers;

Chapter II: Procedures Related to Placement of Children in Foster Care

District Child Protection Unit is the nodal authority for implementing the foster care programme in a district. All decisions related to placement of a child in foster care are to be taken by the Child Welfare Committee of the district on the recommendation of DCPU with the involvement of the Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC).

2.1 Procedure for placement of children living in Child Care Institutions

2.1.1 Preparation of Individual Care Plan

- i. Every child shall have an Individual Care Plan to be filled by the case worker/social worker/probation officer who has been assigned the case of the child. **Refer to Form 7 of the JJ Rules, 2016.**
- ii. The individual care plan shall be periodically reviewed and adjusted according to the needs and best interests of the child.

2.1.2 Preparation of Child Study Report

For every child identified for placing in foster care, a detailed child study report shall be prepared based on **Form 31 of the JJ Rules, 2016.**

2.1.3 Recommendation for placement of child in Foster Care

- i. Based on the Individual Care Plan and child study report, the Child Welfare Officer/ Social Worker from the Child Care Institution shall recommend children who may benefit from being placed in Foster Care.
- ii. The list of such identified children in CCIs eligible for foster care including those who have not been given in adoption as identified in para 1.5 of these guidelines after being declared legally free for adoption shall be forwarded to the District Child Protection Unit by CCI person in charge.

2.1.4 Identification of foster families by DCPU

- i. The District Child Protection Unit (DCPU) shall identify families/individual who are willing to take children in foster care along with their preference of the child. For this purpose, the DCPU shall place advertisement in local newspapers periodically calling for applications for family foster care. The model application format to be submitted by the foster family in response to the advertisement is placed as Annexure – A.
- ii. The District Child Protection Unit shall shortlist the applicants based on the criteria in para 10.1 of Chapter I of these Guidelines and conduct interviews with the foster families which will help in assessment of the prospective foster family. An assessment report of foster family may be prepared as per Annexure - B.
- iii. The District Child Protection Unit will also verify two references from individuals of good standing from the community that are provided by every foster family.
- iv. The DCPU, while making an assessment of the prospective foster family shall thoroughly check their economic status to ensure that they are able to meet the needs of the child and are not dependent on the foster care maintenance payment for the child; however if it assessed that all other criterion being satisfied and only financial support is required, and in the absence of alternatives, the case shall be recommended to a committee constituted for the purpose in the district ,after the final orders of CWC. The financial support may be provided later too especially in case of higher studies, if need be.

- v. District Child Protection Unit shall maintain a roster/panel of prospective foster families giving details about the kind of foster care willing to provide every year which shall be forwarded to the Child Welfare Committee for placement of children in foster care.
- vi. The DCPU shall initiate preparation of the child for placement in foster care and initiate the matching process for foster parent and foster child and prepare report for the same. These reports are to be filled out
paralelly by DCPU during the matching process and submitted with a written covering letter for the match to the CWC.
- vii The DCPU must provide orientation on topics (such as the foster child(ren)'s possible backgrounds, what is foster care/ parenting and the expectations of a foster parent) to the shortlisted foster parents before forwarding to the CWC. This must be certified and included in the forwarding documentation to the CWC.

2.1.5 Preparation of Home Study Report of the Prospective foster family

Simultaneously, on receipt of list of prospective foster families, the Child Welfare Committee shall ask the District Child Protection Unit to conduct the Home Study as per Form 30 of the JJ Rules, 2016.

2. 1.6 Matching of Child with foster family:

Based on the Home study Report of the foster family and the Child Study Report of the child and the matching report, the District Child Protection Unit shall recommend the placement of the child with prospective foster family; the Committee shall initiate the process of giving order for placement of the child.

2.1.7 Identification of fit facility by DCPU

- i. The District Child Protection Unit (DCPU) shall also identify fit facility based on the criteria given in para 10.2 of Chapter I of these Guidelines, willing to take children in group foster care by placing advertisement in local newspapers calling for applications;
- ii. Similarly, the DCPU shall interview the office bearers of the organisation maintaining the fit facility and its care givers for group foster care thereby making an assessment of the facilities and care givers;
- iii. The District Child Protection Unit will also verify two references from individuals of good standing from the community that are provided by every fit facility for group foster care;
- iv. The DCPU shall cross check the registration of the organisation under the Act, its recognition, child protection policy, medical reports of the care givers, police verification etc as prescribed in para 10.2 of these guidelines;
- v. Also check registration on Niti Aayog portal if applicable;
- vi. FCRA registration in case in receipt of foreign funds.
- vii. The DCPU must provide orientation/training on topics (such as the foster child(ren)'s possible backgrounds, what is foster care/ parenting and the expectations of a foster parent) to the main caregivers in the facility before forwarding to the CWC. This must be certified and included in the forwarding documentation to the CWC.

2. 1.8 Matching of Child with care givers of the fit facility

Based on the inspection of the fit facility, the Child Study Report of the child, and the compatibility of the child with the care givers of the fit facility, the District Child Protection Unit shall recommend the placement of the child in group foster care in a fit facility.

2.1.9 Procedures Prior to Final Foster Care Placement order by the Committee

The placement of the child shall be handled with utmost sensitivity and in a child-friendly manner by specially trained persons.

A. Placement of the child with the foster family

- i. After matching a child with prospective foster family, the Child Welfare Committee, shall allow through an interim order, the child and the foster family to have restricted interaction in the presence of social worker for a period of one month such as short meeting followed by an outing, followed by child's visit to the foster family's home to meet all the other family members.
- ii. After the interim order, the compatibility of the child with foster family shall be evaluated by the District Child Protection Unit and a report shall be submitted to the Child Welfare Committee including whether financial support is needed or not within 15 days.
- iii. In case the financial support is requested, then only in such cases the District Child Protection Unit shall initiate the procedures for the same and seek recommendation from SFCAC within 30 days and refer the case back to the Child Welfare Committee for the final order.

B. Placement of the child in group foster care in a fit facility

After matching a child with prospective care givers of the fit facility, the Child Welfare Committee, shall allow through an interim order, the child and the care givers to have restricted interaction in the presence of social worker such as short meeting, followed by child's visit to the fit facility to meet all the other children.

2. 1.10 Final Placement Order by the Child Welfare Committee

- i. After review of the compatibility report submitted by District Child Protection Unit, the Child Welfare Committee shall make a final order in Form 32 of the JJ Rules, 2016 for support to the child through family Foster Care or in group foster care in a fit facility and send a copy to District Child Protection Unit for appropriate action.
- ii. In cases where no financial assistance is required, the final order by the Child Welfare Committee shall be given ordinarily within 60 days of passing the interim order. This will be based on receiving the recommendation from SFCAC
- iii. In cases where financial assistance is required, the Child Welfare Committee shall pass the final order ordinarily within 75 days of passing the interim order.
- iv. The fit facility may be supported for financial support required for higher education of the foster child over and above the child maintenance grant of Rs.2000 per month per child which the fit facility will get as it is a registered CCI. The fit facility may request the State government for the additional amount on case to case basis.

2. 1.11 Undertaking by Foster Parents/care givers

The foster parent and the care givers of the fit facility shall be required to sign an undertaking for foster-care of the child in the prescribed format which is placed at Form 33 of the JJ Rules, 2016.

2.2 Procedure related to placement of children living in Community

2. 2.1 Identification of Children eligible for foster care placement

The District Child Protection Unit shall create awareness on the foster care programme and identify children without parental support and maintain a list of such children while conducting vulnerability mapping and district need assessment. Such children may also be selected for placement in foster care on the basis of child study report prepared in **Form 31 of the JJ Rules, 2016.**

2.2.2 Further Procedures

Further procedures for preparation of child study report, identification and recommendation of child for foster care, identification of foster families and fit facilities, preparation of Home Study Report of prospective foster families, matching of children, foster care placement, and undertaking by foster parents and care givers of the fit facility for Group foster care shall be as per para 2.1.1 to 2.1.11 of this Chapter.

2.2.3 Suo Motu care by foster families /care givers of fit facility Suo Motu order given by CWC

In case foster families or the foster care givers of the fit facility, wish to suo motu take care of a child in situations where the child is in urgent need of care, they may file an application before the Child Welfare Committee while producing the child before CWC. The Child Welfare Committee after due diligence and as per prescribed procedures may approve the placement of the child in their care - family or Group Foster care in a fit facility within 60 days. Suo Motu care by CWC can be taken for extremely vulnerable populations of children needing specialised family-based care services such as trafficked children, rape survivors or abuse victims, victims of violence, children living on streets etc. Placement in an institutional setting does not address or can exaggerate trauma.

2.2.4 Counselling of the Child while deinstitutionalising

Preparation of the child for the change in environment from a CCI into a family or fit facility is of utmost importance. The impact of a new placement can be stressful for a child and requires in-depth counselling.

The interim period before the final placement of the child with the foster family or fit facility is very crucial and should be handled with care by trained professionals. The type of preparation will also depend upon the age of the child and the reason for placement of the child in foster care, especially in the case of older children or separation from a biological family due to difficult circumstances.

Hence, special attention shall be given to those children whose biological parents are either imprisoned or undergoing prolonged hospitalisation and these children need to be given every opportunity to maintain contact with their biological parent(s). This period shall include counselling and guidance for holistic adjustment of child with foster family including the biological children of that family.

2.2.5 Counselling of the care givers in the fit facility

Counselling shall be provided to the care givers of the fit facility in Group foster care so as to enable them to cope with their overall responsibilities of caring for a child.

These care givers may also have their own biological children staying in the fit facility, these children along with the care givers should also be provided counselling for adjustment with the children placed in group foster care.

2.2.6 Counselling of the Child and biological parents

Recognizing that every child has the right to grow in a family environment, every attempt shall be made to reunite the child with his biological family, if possible. The counselling for biological parents (in case they are alive and available) is to be provided for making them able to receive the child back.

Modules/templates developed for counselling of the child before and during placement, biological parents and counselling of the foster family and care givers of the fit facility during the process of matching are provided at **Annexure C-1 to C- 4 respectively**.

2.3 Commencing Foster Care

Wherever financial support is requested and duly approved, or when such support is not requested, the District Child Protection Unit shall arrange for escorting the child to the foster family's residence. The financial support shall be directly transferred from the District Child Protection Unit's bank account to the Post Office/bank account in the name of the child to be jointly operated by the child and one of the foster parent, at the beginning of every quarter. However, no such bank account is opened in a fit facility.

Similarly, the District Child Protection Unit shall arrange for escorting the child to the fit facility for group foster care.

The District Child Protection Unit shall also provide assistance to the foster family and fit facility in enrolment of the child in a school near his/her place of residence if so requested for.

2.4 Financial Support

Wherever financial support is requested for the care of a child, after due approval, the foster parents will be given financial support of not less than Rs. 2000 per month per child. The financial support may also be provided from the Juvenile Justice Fund or any other scheme or program of Central & State Government. The same financial norms of Rs 2000 will also apply for children placed in group foster care. The amount of financial support can be revised by the state government in every 3 years.

2.5 Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC)

The State Government may set up in every district a Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) to review and sanction sponsorship and foster care fund. The SFCAC shall meet every month. Each case shall be disposed within 75 days, in exceptional cases, the total time taken to dispose of a case shall not exceed three months from the date of the receipt of the application.

2.6. Safeguards

- i. Not more than two children shall be placed at a time with a foster family.
- ii. The only exception will be in case of siblings who shall be preferably placed together in a single family or same fit facility.
- iii. Where relevant and necessary, biological parents' consent is required in foster placement.
- iv. If there is a biological special need child in the foster family then no special need child should be placed as foster child in that family. Instead the be placed in a fit facility having all facilities for a special need child.
- v. As far as possible, the children will be placed with foster families having same socio-cultural milieu and ethnic groups.
- vi. As far as possible a group foster care will cater to either boys or girls, if they extend the services to siblings then this condition will not apply.
- vii. As far as possible a group foster care will create separate facilities for boys and girls in the age group of 7-11 years and 12- 18 years.

Chapter III: Monitoring and Review

3.1 Monitoring of Placement

The DCPU and the Child Welfare Committee shall conduct either by itself or through social workers attached to a CCI, a periodic review of the placement in the best interest of the child and take appropriate action including extension or termination of the foster care placement.

The District Child Protection Unit shall maintain a record of each child in foster care as per **Form 34** of the JJ Rules, 2016.

The Committee shall conduct monthly inspection of the foster families or foster care givers as per **Form 35** of the JJ Rules, 2016 to check the well-being of the child.

The monitoring tools for the foster care placements; for monitoring the investigation and interventions done for the complaints by children of maltreatment, exploitation and abuse are placed at **Annexure D 1-2 respectively**.

The form for making a complaint is placed at **Annexure E - 1**. The investigation form is placed at **Annexure E - 2**.

Data should be maintained electronically.

3.2 Tracking Progress of the Child

The District Child Protection Unit or an NGO or social worker identified by District Child Protection Unit must ensure that the visit to each foster family is undertaken at least once a week for the first month followed by monthly visits for next 06 months and thereafter bi annually till foster care is complete of which records are to be maintained;

- Create and maintain Individual Case Files for each child in foster care;
- Make monthly visits to the school in the first quarter and thereafter quarterly visits for a period of one year followed by six monthly visits till the completion of foster care placement;
- Obtain and maintain school attendance certificates or report cards as part of child's records;
- Note the general well-being of the child, including his health, and the general family environment;
- Recommend extension or termination of the foster care agreement based on the progress of the child.

3.3 Records to be maintained by District Child Protection Unit

The District Child Protection Unit shall maintain following physical or computerized records:

- (i). A master register of children in the foster care program which shall provide a complete, disaggregated picture of the process including:
 - a. Details of the child placed in foster care
 - Photograph of the child, foster parents/care giver of the fit facility, biological parents, if available. Age at the time of placement (copy of birth certificate if available)
 - Gender
 - Parental status
 - The photographs to be refreshed every year
 - Aadhar card number of the child
 - b. Details of the placement
 - individual or group
 - Date of placement as per CWC orders
 - Period of placement according to the Child Welfare Committee Order
 - Date and reasons for extension or termination of placement, as applicable
 - c. Details of disbursement of Foster Care Grant as per the Minutes of Sponsorship and Foster Care Approval Committee meetings including reasons for financial support

(ii). Individual Case File of every child placed in foster care which shall include:

- Source of referral of the child
- Home Study Report of the biological family, where applicable with photograph
- Home Study report of the foster family- with photograph
- Matching report of the child with foster family/ care givers of the fit facility
- Child Study Report
- Individual Care Plan
- Placement order of the Child Welfare Committee
- Record (number and significant details) of each visit to the child, foster family, biological family, if available and child's school
- Record of the perception, opinion and suggestions given by the child regarding his placement
- Record of all reviews of the placement including observations, extent and quality of compliance with Care Plan, child's developmental milestones, child's academic progress, and any changes in family environment
- In the case of extension or termination of the placement, record of date and reason for termination
- The formats for maintaining record of case visit to the child's
- foster family is placed at **Annexure F**.

3.4 Submission of Quarterly reports to Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC)


The DCPU or its nominee or authorized representative shall present Quarterly Reports of each child before the Sponsorship and Foster Care Approval Committee (SFCAC) for review and recommendation to the Child Welfare Committee.

3.5 Termination of Foster Care

- (i). The Child Welfare Committee, after consideration of the recommendations of the Sponsorship and Foster Care Approval Committee and the report of District Child Protection Unit, has the right to terminate a foster care placement;
- (ii). The Child Welfare Committee shall give notice in writing and consider the views of the foster families/ care givers of the fit facility before termination of the foster care placement;
- (iii). Once the review has been conducted and the foster parents /care givers of the fit facility have been given proper notice, the Child Welfare Committee shall record the date and reasons for terminating the placement in the order issued along with an order to place the child in another suitable foster family or placed in a child care institution or another fit facility for group foster care;
- (iv). Termination of a foster care placement may occur in the following cases:
 - When the child attains the age of 18, foster care is deemed to have concluded and the child has the option to avail services of aftercare programme. The joint bank account opened in the name of the child and one of the foster parent for transferring financial support under foster care shall be transferred into the child's name.
 - When a child is placed in foster care due to non-availability of biological parent (e.g. due to imprisonment or institutionalisation for treatment of mental illness), the foster care placement may be terminated when the biological parent is released and requests

the Committee for the custody of the child. The Child Welfare Committee shall issue a specific order if deemed fit for the reunification of the child with biological parent.

- When a legally free child above the age of six years during his placement in foster care also finds a suitable adoptive family, the Child Welfare Committee after obtaining the child's consent, may terminate the foster care placement and may give him in adoption.
- When a complaint is made by either the child, relatives, or member(s) of the community, and after due inquiry by the District Child Protection Unit observes the following during a home visit to the family or fit facility
- The child has stopped going to school or the attendance of the child in school is below 75% (special circumstances such as disability or illness of the child shall be considered as an exception).
- The child has been/ is being subjected to physical, emotional, sexual abuse and/or neglect in the foster home.
- The child has been/ is engaged in labour in violation of labour laws
- Misappropriation of the foster care financial support for the child in family or fit facility by the parent/ care givers
- When a complaint or request is made by either the child, care givers/ parents, or relatives, or when the DCPU observes the following during a home visit to the family or fit facility
- Foster parents or the care givers of the fit facility and the child are unable to adjust in the placement in spite of counselling.
- Foster parents or the care givers of the fit facility are no longer 'fit' to adequately meet the child's social, emotional and developmental needs.
- In a fit facility the child is unable to adjust and requires special support (eg. De addiction facilities)
- Disruption due to death, divorce or separation of the Foster parents, the child shall be sent back to the CCI till further orders of the placement to another foster family or fit facility by the CWC



Chapter IV: Role of Authorities and Agencies

4.1 Role of District Child Protection Unit (DCPU)

Under the JJ Act a District Child Protection Unit (DCPU) has to be set up in each district as a fundamental unit for child protection measure. The DCPU coordinates and implements all child rights and protection activities at district level. It functions with a team of 12 members under the overall administrative control and supervision of the Deputy Commissioner of the district concerned. The District Child Protection Unit has 12 staff including Protection Officer Institutional care and Protection Officer Non – Institutional care. This unit is specifically responsible for the following activities:

- Carrying out all activities related to child protection, including the administration of the Foster Care Program;
- Shall identify and prepare a panel of suitable NGOs/Voluntary Organizations/ Social worker to work with it on Foster Care program based on the following criteria: Registration of NGO under Society's or Trust Act; experience of working on community lead initiative mostly family strengthening and non-institutional care programmes; having a child protection policy
- Maintaining all information pertaining to the Foster Care Program and being the contact point for all the Child Care Institutions and Specialized Adoption Agencies in the district;
- Advocacy, training and capacity building of stakeholders in the district on the Foster Care Program such as Child Welfare Committee, NGOs, foster families/ care givers etc with help of specialized agencies and institutions;
- Selecting and maintaining separate roster of prospective parents
- opting for family foster care and group foster care fit facility;
- Maintaining a database, preferably on an electronic portal developed by the State government of all Foster Care placements (family and group placements) including details of the parents / Foster Care fit facilities and the child until the child attains the age of 18 years;
- Transferring joint bank account in the name of the child when he attains 18 years of age;
- Ensuring the Foster Care parent to register for an Aadhar number for themselves and the child as this would enable tracking of the child
- during the placement and after; If the parents already have a registered Aadhar number, then they should link the child to their Aadhar details;
- Addressing complaints through investigations and interventions etc;
- Monitoring and evaluation of the Foster Care Program in the district a whole on a regular basis;
- Recommending termination of Foster Care placement to the Child Welfare Committee for one or more of the reasons outlined in Section 3.5 of Chapter III;
- Recommending extension of Foster Care Placement provided that the progress of the child is satisfactory and other alternate options are not available including re-unification of the child with his biological parents.
- DCPU will ensure the linkages of children in foster care, above 15 years of age, with skill development program and ensure job placement
- DCPU will organize awareness program, IEC activities to motivate families to enroll in foster care program
- DCPU should organize interactive group meetings of foster care parents bi annually
- Upload the information related to children placed in foster care in CP MIS on a monthly basis
- Counsellor of the DCPU will provide counselling service to children in foster care. In case child needs specialised counselling/psychiatric or psychological support, DCPU will mobilise the services of the experts and establish referral mechanism



4.2 Role of District Child Protection Officer (DCPO)

- The District Child Protection Officer shall function as the nodal officer for the Foster Care Program and shall receive regular reports regarding ongoing cases from the Protection Officer – Non Institutional Care;
- Maintaining a roster of prospective parents/ fit facilities opting for family and group foster care.
- The District Child Protection Officer shall assess the cases managed by the Protection Officer, counsellor and others working in the District Child Protection Unit from time to time to ensure time stipulations are adhered to;
- The District Child Protection Officer shall guide the parents /Care givers of fit facilities opting for family and group foster care and the child on their responsibilities and support available to them under the Foster Care Program;
- The District Child Protection Officer shall submit a Quarterly Report to the SFCAC and an Annual Report to the State Child Protection Society.

4.3 Role of Protection Officer-Non Institutional Care (PO-NIC) and Protection Officer-Institutional Care (PO-IC)

- The Protection Officer –Non Institutional Care is responsible to take up cases for individual and group foster care. He will have the support of the Protection Officer-Institutional Care to identify cases of children living in the Child Care Institutions as per para 2.1 of these Guidelines.
- The Protection Officer –Non Institutional Care and Protection Officer – Institutional Care shall scrutinize the documents for eligibility of children and both shall work in coordination in the best interest of the child or children;
- The Protection Officer-Institutional Care shall collect and compile data on different dimensions of the child protection problems in terms of number of children requiring support, number of children in institutions and the kind of services they need;
- The Protection Officer-Institutional Care shall ensure setting up and management of the child tracking system of all institutional care program on the portal set up by the State Government ;
- Protection Officer –Non Institutional Care is responsible for preparing Home Study Report of the Foster families and matching the Foster Care family or fit facility with the needs of the child once the needs have been assessed;
- In case of the child whose parents are in jail, the Protection Officer – Non Institutional Care will approach them for taking their consent for placement of the child in Foster Care.
- The Protection Officer –Non Institutional Care will facilitate the applications given by the parents of the terminally ill children with the Child Welfare Committees requesting to place their children in foster care
- A combined list for children recommended for Foster Care within institutions and those who are not in institutional care will be prepared by Protection Officer –Non Institutional Care.
- Only cases where financial support is requested by the foster parents for placement of the child and those non formal kinship arrangements requiring sponsorship will be placed before the Sponsorship and Foster Care Approval Committee for consideration and approval, every month.
- Protection Officer – Non Institutional Care will ensure that counselling and guidance is provided to the child and the Foster Care family before and during the period of foster-care as prescribed in para 3 of Chapter-II of these guidelines;
- Protection Officer –Non Institutional Care to supervise the care arrangement till the child is 18 years of age, with the help of the counsellor, social worker and community volunteers working in the District Child Protection Unit;
- Co-ordinate with respective departments like health, education etc.

- In case biological parents are alive, the Protection Officer –Non Institutional Care will ensure that they keep in contact with the child through scheduled visits;
- Protection Officer –Non Institutional Care will monitor the Foster Care programmes through regular visits to the Foster Care family, or group setting and community as prescribed in these guidelines and maintain records of the same.

4.4 Role of Child Welfare Committee

- In case a family directly approaches the Child Welfare Committee for fostering the child eg. requests of terminally ill parents or in suo motto cases, the Committee, if agrees with the urgency of the situation, shall ask District Child Protection Unit to conduct a child study and a home study by itself or through counsellors on its panel;
- Examine HSR of the prospective Foster Care family opting for family details of fit facility after being satisfied declare them as ‘fit persons’ as per Form 32 of the JJ Rules, 2016.
- The Child Welfare Committee will examine the Individual Care Plan of the child, consent of parents wherever required and approvals of SFCAC in cases requesting financial support submitted by the DCPU and satisfy itself regarding the suitability for placement in Foster Care;
- In case of a child who is able to understand, the Child Welfare Committee may also interview the child to take his/her consent;
- The Committee shall consider the matching report submitted by the DCPU;
- The Child Welfare Committee shall make an order in prescribed format given at Form 32 of the JJ Rules, 2016 for support to the child through Family Foster Care or group foster care in a fit facility and send a copy to District Child Protection Unit for appropriate action;
- The Child Welfare Committee shall initially conduct monthly inspections for the first three months and thereafter one inspection every six months, of the foster families or fit facility as per Form 35 of the JJ Rules, 2016, to ensure that the child is being properly cared for;
- After reviewing the standard of care given to the child the CWC shall pass orders for extension of foster care placement or orders of termination in case of unsatisfactory care and shall decide on alternative rehabilitation measure for the child.

4.5 Role of Police

- Recognise foster parents as legal guardians
- Perform background checks for prospective foster parents
- Take quick action in complaint/ investigation procedures
- Through community outreach, spread awareness on foster care

4.6 Role of Judiciary

- Train paralegal volunteers on foster care to spread awareness and provide legal assistance at community levels.
- High Court Committee on Juvenile Justice can monitor implementation of foster care program.

4.7 Role of Education Department

- Allow foster parents to enrol children in school (government schools, private schools and any other government recognised education institutions). Issue a notification on the same, if required.
- Actively engage to reduce the stigma surrounding adopted/ fostered/ sponsored children.
- Engage community level mechanisms to keep track of children who are in foster care, enrolled in school but not going to school or have dropped out as it violates the conditions of foster care. Establish co-ordination among School Management Committee(SMC) and Village Child Protection Committee (VCPC)
- Share the report on attendance of children going to government school under foster care program to DCPU on a monthly basis.

4.8 Role of Health Department

- Ensure free medical check-up for potential foster parents within 1 month and share the report to DCPS.
- Extend services of RBSK to children under foster care and provide free and timely treatment.
- Regular nutritional check-up and subsequent management for children in foster care by ANM and share the report with DCPS.

4.9 Role of Non Governmental Organisations

Non Governmental Organisations empanelled by Deputy Commissioner may support DCPU in:

- Short listing of eligible children;
- Preparation of Individual Care Plan, Child Study Report and Home Study Report;
- Counselling for the child, foster care givers/parents and biological families, as required
- Training of foster care givers of the fit facility
- Preparation of Information, Education and Communication material
- Spreading awareness on the Foster Care Programme and Advocacy
- Periodic / regular inspections of placement of children in family and group foster care

Chapter V: Miscellaneous

5.1. Information Education and Communication Material

Foster families and care givers of the fit facility shall be provided with Information Education and Communication (IEC) material prior to placement of the child on topics such as:

- Challenges of being foster parent or a care giver
- Helpful tips for foster parent and care giver
- Rewards of being foster parent
- Steps of being a foster parent

The above mentioned documents are attached to the Guidelines at **Annexure G**. This material can be used for making handouts, posters etc.

5.2. The State Government may develop electronic formats for maintaining data base and issue detailed guidelines.

5.3. Relaxation and interpretation to the Guidelines

These Guidelines are issued having regard to the provisions of the existing law and for the interpretation; the relevant law is to be referred to.

5.4. In case of ambiguity or any dispute, the power to interpret these Guidelines vests with Ministry of Women and Child Development GOI.

5.5. Revision of guidelines

State government will bring in the revisions/additions in guidelines if need be, from time to time through notification/circulars

INDIVIDUAL CARE PLAN

Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation officer.....

Date of preparing the ICP

Case/Profile No.....of 20.....

FIR No.....

U/Sections (Type of offence),applicable in case of Children in Conflict with
Law.....

Police Station.....

Address of the Board or the Committee.....

Admission No.(if child is in an institution).....

Date of Admission (if child is in an institution).....

Stay of the child (Fill as applicable)

(i) Short term (up to six months) ☐

(ii) Medium Term (six months to one year) ☐

(iii) Long term (more than 1 year) ☐

A. PERSONAL DETAILS (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)

1. Name of the Child.....

2. Age/Date of Birth.....

3. Sex: Male/Female.....

4. Father's name:.....

5. Mother's name.....

6. Nationality.....

7. Religion.....

8. Caste.....

9. Language spoken.....

10. Level of Education.....

11. Details of Savings Account of the child, if any.....

12. Details of child's earnings and belongings, if any.....

13. Details of awards/rewards received by the child, if any.....

14. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any



S.no	Category	Proposed Interventions	Progress of the Child
1	Child's expectation from care and Protection		
2	Health and nutrition needs		
3	Emotional and psychological Support needed		
4	Educational and training Needs		
5	Leisure, Creativity and play		
6	Attachments and inter-personal relationships		
7	Religious beliefs		
8	Self care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9	Independent living Skills		
10	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the Child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please Specify)		

B. PROGRESS REPORT OF THE CHILD (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer.....
2. Period of the report.....
3. Admission No.....
4. Board or Committee.....
5. Profile No.....
6. Name of the Child.....
7. Stay of the child (Fill as applicable)
 - (iv) Short term (up to six months)
 - (v) Medium Term (six months to one year)
 - (vi) Long term (more than 1 year)
8. Place of interview Dates.....
9. General conduct and progress of the child during the period of the report
.....
.....
10. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 14 of Part A of this Form.

S.no	Category	Proposed Interventions	Progress of the Child
1	Child's expectation from care and Protection		
2	Health and nutrition needs		
3	Emotional and psychological Support needed		
4	Educational and training Needs		
5	Leisure, Creativity and play		
6	Attachments and inter-personal relationships		
7	Religious beliefs		
8	Self care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9	Independent living Skills		
10	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the Child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please Specify)		

11. Any proceedings before the Committee or Board or Children's Court

- (i) Variation of conditions of bond
- (ii) Change of residence of the child
- (iii) Other matters, if any

12. Period of supervision completed on.....

Result of supervision with remarks (if any)

Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over.....

Date of report.....Signature of the Probation Officer.....

C. PRE-RELEASE REPORT (to be prepared 15 days prior to release)

Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release

Details of placement of the child in different institutions/family Training undergone and skills acquired

Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)

Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child)

S.no	Category	Rehabilitation and restoration plan of the child
1	Child's expectation from care and Protection	
2	Health and nutrition needs	
3	Emotional and psychological	
4	Educational and training Needs	
5	Leisure, Creativity and play	
6	Attachments and inter-personal relationships	
7	Religious beliefs	
8	Self care and life skill training for protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
9	Independent living Skills	
10	Any	

1. Date of release/transfer/repatriation.....
2. Requisition for escort if required.....
3. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc.....
4. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships.....
5. Details of Probation Officer/non-governmental organization for post-release follow-up
.....
6. Memorandum of Understanding with non-governmental organisation identified for post-release follow-up (Attach a copy).....
7. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any.....
8. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy).....
9. Medical examination report before release.....
10. Any other information.....

D. POST-RELEASE/RESTORATION REPORT OF THE CHILD

1. Status of Bank Account : Closed / Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – Yes/No
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker /social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post release.....
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan.....
5. Family's behavior/attitude towards the child.....
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/community.....
7. How is the child using the skills acquired.....
8. Whether the child has been admitted to a School or vocation? Give date and name of the school/institute/any other agency
Yes/No.....
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two mont and six months respectively.....
- 10 Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it.....
11. Identity Cards and Compensation
[Instruction: Please verify with the physical documents]



IDENTITY CARDS	Present status (Please tick whichever is applicable)		Action taken
	Yes	No	
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
BPL Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation			
Government			

Signature of the Probation Officer/Child Welfare Officer
Stamp and Seal where available

CHILD STUDY REPORT		
S.no		Response
1	Date of Assessment	
2	Source of referral	
3	Photograph of the child to be refreshed periodically	
Profile of the child		
4	Name of the Child	
5	Date of Birth	
6	Place of birth	
7	Age	
8	Nationality	
9	Religion	
10	Education	
11	Mother tongue	
12	Present Address	
13	Adhar card Number	
14	Contact Details Landline Mobile	
15	Placement history if the child from institution a) Date of placement b) Name and permanent details of the child c) Reason for leaving the family	The child has not been placed in adoption
16	Reason for placement if the child is from community	Mother or both parents in prison <input type="checkbox"/> Parents are suffering from long term illness <input type="checkbox"/> Dysfunctional family(eg substance abuse domestic violence etc) <input type="checkbox"/> Parents in process of separation <input type="checkbox"/> Parents in process of legal custody dispute <input type="checkbox"/> Natural disaster <input type="checkbox"/> others <input type="checkbox"/>

I Social Worker hereby certify that the information given in this form about childis correct.

Signature:

Name:

Designation:

Place :

Date :

APPLICATION FORM

**To be submitted by foster parents in response to the advertisement given
by DCPU or an Agency permitted by DCPU**

(Photograph
of both the Applicant)

Agency /DCPU Details :

Name of the Agency/DCPU :

Address :

Telephone :

Fax :

E-mail :

Date (Form Submitted) :

B. Details of the Applicant

	Care giver/parent -1	Care giver/parent -2
Name		
Date of Birth		
Age		
Educational status		
Marital status		
Nationality		
Religion		
Adhar card no.		
Occupation		

- Address and contact details
- Number of biological children
- Annual income
- Mother Tongue
- Other language known



C. Preference of child to be taken in Foster Care
a) Age Group
i) 6-9 years ii) 10-12 years iii) 13-18
b) Any other preferences : (Gender, Religion, Disability.)
c) Type of placement
i) Short term <input type="checkbox"/>
ii) Long term <input type="checkbox"/>
D.Reasons to be wanting to foster care
E . We have the consent of all family members including children for fostering a child. Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
E. We agree to participate in all training programmes organized by the Government/ agency? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
F. We agree to facilitate the monitoring visit of the CPO/Social Worker to our home and make all our family members available for the meetings? Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
26. Details of Two references:

Declaration :

We_____ hereby declare that the particulars furnished by us in this application form are true to the best of our knowledge and belief. In case any information is found to be incorrect, our application shall liable to be rejected.

Date:

Name & Place: Signatures of both the Spouses

Place:

APPLICATION FOR FIT FACILITY INCLUDING GROUP FOSTER CARE

1	Detail of Institution/ Agency/ Organization which seeks recognition as fit facility	
1.a	Name of the Institution /Agency/ Organization	
1.b	Registration number and date of Registration of the Institution/ Organization under the relevant Act /NITI Aayog ID number (Annex- Relevant documents of registration, bye- laws, memorandum of association)	
1.c	Complete address of the Applicant/ Institution/ organization	
1.d	STD code/ Telephone No	
1.e	STD code Fax No	
1.f	E-mail address	
1.g	Whether the organization is of all India character, if yes, give address of its branches, in other states	
1.h	If the Institution had been denied recognition earlier? if yes i) Reference No. of application leading to denial of recognition ii) Date of denial iii) Who had denied the recognition iv) Reason for denial of recognition	
2.	Details of the proposed fit facility:	
2.a	Complete address/ location of proposed Fit Facility	
2.b	STD code/ telephone no	
2.c	STD code fax no	
2.d	E-mail	
3	Connectivity (Name and Distance from the proposed Fit Facility):	
3.a	Main Road	
3.b	Bus –stand	
3.c	Railway Station	
3.d	Any landmark	
4	Infrastructure:	
4.a	No. of Rooms (Mention with measurement)	
4.b	No. of toilets (mention with measurement)	
4.c	No. of Kitchens (mention with measurement)	
4.d	No. of sick room	
4.e	Annex-Copy of blue print of the building(authentic sketch plan of building)	
4.f	Arrangement to deal with unforeseen disaster also mention the kind of arrangement made: i) Fire ii) Earth quake iii) Any other arrangement	

4.g	Arrangement of Drinking water Annex-Certified from public health engineering (PHE) Department.	
4.h	Arrangement to maintain sanitation and hygiene: i) Pest Control ii) Waste disposal iii) Storage area iv) Any other arrangement	
4.i	Rent agreement/ building maintenance estimate (whichever is applicable) (Annex- copy of Rent agreement)	
5	Capacity of the Fit Facility	
6	Facilities Available (would depend on the purpose for which recognition as fit facility is to be given)	
6.c	Any other facility that shall impact on the overall development of the child	
7	Staffing	
7.a	Detailed staff list	
7.b	Name of partner organizations	
8	Background of the Applicant	
8.a	Major activities of the organization in last two years	
8.b	An updated list of members of the management committee/ governing body in the enclosed format (Annex- resolution of the annual meeting)	
8.c	List of assets/ infrastructure of the organization	
8.d	If the organization is registered under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (Annex – certificate of registration)	
8.e	Details of foreign contribution received last two years (Annex- relevant documents)	
8.f	List of other sources of grant- in – aid funding(if any) with the name of the scheme / project, purpose amount, etc. (separately)	
8.g	Details of existing bank account of the agency indicating branch code account no	
8.h	Whether the agency agrees to open a separate bank account for the grant proposed	
8.i	Annex -Photocopy of Accounts of last three years: i) Auditors report ii) Income and expenditure account iii) Receipt and payment account iv) Balance sheet of the organization	



I have read and understood the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015; and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

.....(Name of the Organization / Institution) has complied with all the requirements to be granted recognition as a Fit Facility under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2016.

I declare that no person associated with the organization has been previously convicted or has been involved in any immoral act or in any act of child abuse or employment of child labour or an offence involving moral turpitude and that the organization has not been blacklisted by the Central or the State Government at any point of time.

I undertake to abide by all the conditions laid down by the Central/ State Act, Rules, Guidelines and Notifications in this regard.

I undertake to abide by the orders passed by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee from time to time.

Signature of the authorized signatory:

Name	:	
Designation	:	
Address	:	
District	:	
Date	:	
Office stamp	:	
Signature of	:	
Witness no.1	:
Witness no.2	:

FOSTER CARE ASSESSMENT

1. Details of the Applicant: Such as name, age, occupation, address etc.
2. Age range of the child (ren) requested to be taken in foster care
Age in years: (please tick)

6- 8 years	<input type="checkbox"/>
8 – 10 years	<input type="checkbox"/>
10 – 12 years	<input type="checkbox"/>
12 – 14 years	<input type="checkbox"/>
14-16 years	<input type="checkbox"/>
16-18 years	<input type="checkbox"/>
3. Details of family, neighbourhood , community etc
4. Verification of applicant's identity (place of residence, period of stay, Marital status etc. specific documents seen with date
5. Inquiries about career, health, police records, etc
6. Personal references (from 2 persons) interact with the references about length of time know, relationship with the applicant, interest, talents, personality of the applicant, their ability to care for children
7. Assessment of the social worker making this assessment

Signature of the social worker

HOME STUDY REPORT FOR PROSPECTIVE FOSTER PARENTS

DATE OF REGISTRATION -

AADHAR CARD NO of PFP : -

NAME OF THE SOCIAL WORKER -

DATE OF HOME VISIT -

Part-I of the format shall be filled up by the prospective Foster parents and Part-II of the template shall be filled up by the Social Worker to submit an assessment report along with his/her observation about suitability of the prospective adoptive/ foster parents.

PART-I : SELF ASSESSMENT

A. Information about the prospective foster parents and their family background

Particulars of the foster parents Full Name	
Date of birth & age	
Place of birth	
Complete Address with e-mail ID (Present & Permanent Address)	
Identity Proof	
Religion	
Language(s)	
Date of Marriage	
Present Educational Qualification	
Employment/occupation	
Name & Address of the present Employer/ Business Concern	
Annual Income	
Health Status	

B. Family background information:

- (1) Give a short description of social status and background of the prospective foster parents along with the following information.

Details about Parents of the Applicants		
	Father	Mother
Name in full		
Age		
Nationality/Citizenship		
Occupation		
Previous occupation		
Presently residing with		

- (2) Please complete the following table with the names of each of your respective children (adopted and biological), their sex, educational status (kindergarten, elementary, etc.) and dates of birth.

Name of the Child	Sex	Date of Birth	Educational Status

- (3) If there are other members residing, please furnish the following information in respect of them.

Name	Nature of Relationship	Age	Gender	Occupation

- 4) Please describe how you believe the foster care would affect the family members (grand parents, children, relatives and others).

C. Professional/Employment Details (Professional career details for last 5 years):

Foster Father				
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From	To

Foster Mother				
Organisation	Employer Details (Name & Address)	Job Title	From	To



D. Financial Position: (Give a short description of your income from all sources such as savings, investments, expenditures and liabilities and debts along with supporting documents).....

E Description of Home and Neighbourhood: (Describe the accommodation details and neighbourhood relationship)

- (1) How many rooms do you have in your home and describe the play area available for the child.....
- (2) Please describe the neighbourhood in which you reside, including any aspect that you believe makes it child-friendly.....


F. Attitude and Motivation for foster care:

- (1) Please circle the term which best describes the reason why you wish to take a child in foster care, you may circle more than one option, if applicable:
 - a) Provide a companion to your other children;
 - b) Provide a child with a happy home;
 - c) Other, please specify
- 2) Please circle the statement which describes how you think the foster care arrangement will improve the lives of your other children, you may circle more than one, if applicable:
 - a) They will be less lonely;
 - b) They will learn to be more accommodating;
 - c) They will become more empathetic;
 - d) Not applicable as I have no other children;
 - e) Other, please specify.....

G. Attitude of grandparents/extended family members, other relatives and significant others towards the foster care: (Give a short description about the opinion of other important persons towards foster care who would have impact in the child rearing process).....

H. Anticipated Plans of the prospective foster parents for the child and rearing in the Family:

- (1) Please describe how you will manage caring for the child and other life commitments such as work.
- (2) Who will be responsible for caring for the child when you are at work, or absent from the familial home (domestic help, grandparents, spouse).
- (3) Please describe your disciplinary approach to parenting.
- (4) In case the foster child demonstrates adjustment difficulties, please describe the steps that you plan to take to ease his/her transition into the family?



(5) Would you be prepared to utilize family counselling if the child continues to have difficulties adjusting?

a) Yes

b) No

(6) Would you be willing to support financially higher professional studies of the foster child

a) Yes

b) No

I. Preparation and Training: (Give details about the counselling sessions the prospective foster parent(s) have undergone on foster care, child care, handling of needs of children, etc. and their capacity, training and/or experiences in parenting children with their special need, if any)

J. Health Status (Emotional and Physical): (Give details of the state of emotional and physical health status of the applicant(s), if any. If a family member suffers from a particular disease, condition or syndrome, describe how the family copes with it and how this might affect any proposed foster care.)

(1) Do you or your spouse suffer from any medical condition? If so, would you please provide details?

(2) Are you or your spouse currently being treated by a psychologist or psychiatrist?

(3) Are you currently taking any prescribed medication?

(4) Are there currently any child/ren in your house being treated for a medical condition?

(5) Does your family have health and hospitalization insurance coverage for all family members?

Signature of the Prospective Foster Parents

Date:

PART-II: ASSESSMENT REPORT OF THE SOCIAL WORKER

(To be used by the Social Worker to prepare the assessment report)

(The information/facts filled in the template shall be kept confidential by the agencies /authorities.)

1. Factual Assessment

- (i). Have you verified the contents of the facts mentioned in Part I of the template?
 - i. Yes/No
- (ii). Are you satisfied about the facts mentioned in the documents vis-à-vis observation during interviews and visits?
 - Yes/No

2. Psychosocial Assessment:

2.1 Interaction with the prospective foster parents

- (i) Have you interacted with the prospective foster parents individually and jointly?
- (ii) Are the prospective foster parents well prepared for fostering the child?

2.2 Home visit findings

- (i) When did you visit the home of the prospective foster parents? Who were the members present during your visit?
- (ii) Whom did you interact during the home visit?
- (iii) Have you met any neighbour/relative? Give a detailed description about the interaction?
- (iv) Whether the home environment is conducive for the child?
- (v) Are the prospective foster parents well prepared for foster care?
- (vi) Did the prospective foster parents have any doubt about parenting issues or any other issues? Have you cleared their doubts?

2.3 Interaction with the family members

- (i) Have you interacted with other family members of the prospective foster parents? What is their opinion about the proposed foster care? Are they positive about the foster care arrangement?
- (ii) Are there any other family member(s) whom you could not interact but they might have a larger role in the proposed foster care? If so, how did you interact? Would you plan to take their views?
- (iii) Have you interacted with older child/ren present in the home of the prospective foster parents? If yes, please give details.
- (iv) Have you noticed any adverse remarks from the family members? If so, how far those remarks may have an impact on the foster care process?

2.4 Financial capacity

- (i) What is your opinion about the financial status of the prospective foster parents? Are they financially sound to welcome another member into their family?
- (ii) Have you observed any financial situation which is hidden in the template?
- (iii) Would you recommend any financial assistance to them?



2.5 Physical and emotional capacity

- (i) Are the prospective foster parents in a good physical and emotional state to take care of a child?
- (ii) Have you observed any physical or psychological issues with the prospective foster parents or any other family members that is going to affect the life of the upcoming child? If so, give details.
- (iii) Are the prospective foster parents emotionally equipped enough to take care of a child?

1. Recommendation for Foster care

- 3.1 Do you recommend the prospective foster parents for foster care? Put your views and rationale for recommending the prospective foster parents for foster care.
- 3.2 In case, you do not recommend the prospective foster parents for foster care, cite appropriate reasons for taking such decision.

Signature, name, designation and official seal

ORDER OF FOSTER CARE PLACEMENT WITH A FAMILY

The child (ren) (name(s) and address(es))

.....

approximate age.....d/o or s/o

Mr. and

Mrs. in need of care and protection of a family.

Mr. and

Mrs. resident of (complete address and contact numbers)

.....

are declared fit persons for foster-care placement of the child after considering the Child Care Plan, Child study report and Home Study Report.

The child (name) is

placed in foster care for a period of under

the supervision of the aforesaid Child Welfare Officer/Social Worker (name and contact)

.....

Chairperson/ Member

Child Welfare Committee

UNDERTAKING BY THE FOSTER FAMILY/GROUP FOSTER CARE GIVER

I/We.....

resident(s) of House no..... Street.....

Village/Town District.....

State /..... care giver associated with foster care home run by
..... organization

at(address), do hereby declare that I/We am/are willing to
take charge of (name of the child

..... Aged..... under the orders of the Child Welfare Committee

..... subject to the following terms and conditions

- i. If his/her conduct is unsatisfactory I/we shall at once inform the Committee
- ii. I/We shall do my/our best for the welfare and education of the said child as long as he/ she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.
- iii. In the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Committee.
- iv. I shall inform the Committee about any change of address.
- v. I shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse
- vi. I agree to adhere to the conditions laid by the Committee.
- vii. I undertake to produce him/her before the Committee as and when required.
- viii. I undertake to inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control.

Date thisday of

Signature and address of 2 witnesses

Signature of Applicant(s)

(Signed before me)

Chairperson/Member, Child Welfare Committee

COUNSELING THE POTENTIAL FOSTER CHILD BEFORE PLACEMENT

Fill up this form during every counseling session with the child.

1. Preliminary details:

- i. Case Name
- ii. Case Number:
- iii. Date:

2. Details of the case worker/counsellor

- i. Name:
- ii. ID no.
- iii. Other identifying information:

3. Counsellor the child or the sibling group. Fill in the following;

Name: Age.....

Name: Age.....

Name: Age.....

4. Visit to Location: address where the child was counselled:

5. Name of Adults who participated in visit: (relative, foster parent, staff)

6. Other Children in family/Home:

(List only gender, age, and relationship to child (birth, foster, adoptive, other))

7. Issues to be discussed in the counselling session: (Educating prospective foster children about what they can expect from being a foster child)

1. Does the child understand the concept of foster care?


Yes No

(If not, explain foster care fully including the concept, the legal aspects and the key stakeholders in the process including the roll of the DCPU, PO-NIC, DCPO, CWC, SFCAC, etc).

2. How does the child feel about shifting from their current placement?

Excited/ Nervous/ Scared/ Apprehensive/ Indifferent/ Other (if other please explain)

(If any of the above, work with the child to normalize the idea of foster care and address any concerns and mis-information)



3. Does the child know his/her rights and responsibilities as a foster child? (Obtain details if yes)

Yes No

(Explain their basic fundamental rights surrounding their safety. What did you explain? How did they react?)

4. Does the child have any people in society that they wish to be connected to? (Obtain details if yes)

Yes No

5. If the biological family of the child is available, will the child like to have a connection with them?

Yes No

(If yes, find ways to involve them in the placement process. Did they list anyone? If yes, what is your next action?)

6. Recommendation of placement : short term/long term Individual/group care

7. General observations by Social Worker or person filling out the form.

Signature

COUNSELING TEMPLATE FOR FOSTER CHILD / CARERS/PARENTS (IN-PLACEMENT)

Fill up this form during every counseling session with the child.

1. Preliminary details:

- i. Case Name
- ii. Case Number:
- iii. Date:

2. Details of the case worker/counsellor

- i. Name:
- ii. ID no.
- iii. Other identifying information:

3. Counsellor the child or the sibling group. Fill in the following;

Name: Age.....

Name: Age.....

Name: Age.....

4. Visit of Location: address where the child was counselled:

5. Name of Adults who participated in visit: (relative, foster parent, staff)

6. Placement Type:

7. Other Children in family/Home:

(List only gender, age, and relationship to child (birth, foster, adoptive, other))

8. Issues to be counselled

- i. Are there any Cultural and ethnic considerations identified and are to be addressed
- ii. Is the child being accepted into the foster parent's community? If not, why?
- iii. Mental Health/Treatment Plan: Is the child in good health
- iv. Have foster parents noticed any recent changes in the child's mood or behavior?
- v. Does the foster parent have questions about the quality or frequency of mental health services
- vi. Attachment: Does child have concerns related to birth family or siblings or visits with them?
- vii. Has the child noticed any recent changes in the mood or behaviour of foster parents?
- viii. How do foster parents respond to these concerns?
- ix. What are the placement providers doing to maintain the connection between the child and the birth family? What has worked or not worked? What help do they need? (How frequently the child visits to his/her biological parents or when did the child last met with his/her biological parents ,How did the child feel after meeting biological parents and siblings ,For how long he stayed with them, Who accompany the child to biological parents)



- x. Education: How is the child doing in school? Consider social as well as academic issues. What does the child or family need to increase success? If applicable, ask about after school program or child care attendance hours.
- xi. What is the child's future planning from the child's own thinking?
- xii. Safety and Supervision in the foster: Does the child feel safe in the home?
- xiii. Is safe and appropriate discipline being used?
- xiv. Is there an appropriate level of supervision for children in the home?
- xv. Child behavior and parenting skills: What's going well for this child behaviorally? Is any child displaying challenging/worrisome behaviors?
- xvi. How capable & successful do foster parents feel managing child's behaviors? What's working/not working?
- xvii. Who does the foster parent turn to for help and advice-friends, extended family, coworkers, church, school?
- xviii. Does the child have social/emotional support and connections outside the home?

Summary of the issues identified:

Needs/Questions identified by child (include safety issues):

(1)
.....
.....

(2)
.....
.....

(3)
.....
.....

Needs/Questions identified by foster parents:

(1)
.....
.....

(2)
.....
.....

(3)
.....
.....

General Observations by Social Worker or person filling out the form.

Signature

Copy to : Chairperson/ Member, Child Welfare Committee

COUNSELING TEMPLATE FOR BIOLOGICAL FAMILIES OF FOSTER CHILDREN

Fill up this form during every visit with biological family.

- i. Name of the child;
- ii. Name of the biological parents
- iii. Address

Please answer the following questions:

- i. Does the biological parent/ family member wish to have more/ less contact with the child?
- ii. Has the biological parent/ family member's situation changed?
- iii. Do they wish to care for the child? (If yes, please make recommendation to CWC through case worker and PO-NIC).
- iv. How does the child react to the biological parent/ family member? Do they wish for a connection?
- v. What is the physical and mental condition of the biological parent/ family member?
- vi. Has the biological parent/ family member participated in the Individual Care Planning? If not, why and are they interested in participating?
- vii. Other notes and observations:
- viii. Next Steps/ When is the next visit scheduled?:

Signature

Copy to Chairperson/member, CWC

MATCHING PROCESS OF FOSTER PARENT AND FOSTER CHILD

****To be filled out continuously during the matching process and submitted with a written covering letter for the match submitted to the CWC.**

1. Preliminary details

- i. Case Name/Number:
- ii. Form Fill Date:
- iii. Child or Sibling Group Being Matched

Name: Age.....

Name: Age.....

Name: Age.....

2. Potential match information:

- i. Name:
- ii. Fit person declared? Yes | No (If no, why is match occurring?)
- iii. How was this matching foster parent identified?

3. Why do the social work/ person filling out the matching format think that this is an appropriate match?

4. Have the biological family and extended relatives been ruled out, if so for what reasons?

5. Have all safe and appropriate adults connected to the child been ruled out, if so for what reasons?

6. If no, to both above, which other carers were considered? Why have they not been matched with the child?

7. What is the child's reaction to the foster parents during the above meetings?

8. According to the above visits, what are social worker's views about the identified risks regarding this?

9. What are social worker's plans for managing these risks?

10. Are there any additional services required to ensure that the needs of the placed child are met?

11. Where no placement is identified, what is the future plan for the child?

12. What is the final decision of the case worker?

Signature (PO-NIC)

Copy to - Chairperson/ Member, Child Welfare Committee

RECORD OF A CHILD IN FOSTER CARE

- a) Case no.....
- b) Name of the Child.....
- c) Age.....
- d) Gender.....
- e) Name and address of the Child Care Institution, if any from where the child has been given for foster care
- f) Individual Care Plan
- g) Any other source of referral
- h) Details of the child placed in foster care including Photograph of the child, foster care giver/ parent, biological parents, if available
- i) Details of the placement - individual or group including date and period of placement
- j) Home Study Report of the biological family, where applicable with photograph
- k) Home Study report of the foster family- individual or group care, with photograph
- l) Child Study Report
- m) Address of the Child Welfare Committee
- n) Particulars of the order of the Committee placing the child in foster care
- o) Record (number and significant details) of each visit with the child, foster family, Biological family, if available and child's school
- p) Record of all reviews of the placement including observations, extent and quality of compliance with Care Plan, child's developmental milestones, child's academic progress, and any changes in family environment
- q) In the case of extension or termination of the placement, record of date and reason for termination
- r) Date of the child being handed over to the foster family:
- s) Financial assistance provided, if any
- t) Name of the Case Worker appointed



**MONTHLY INSPECTION OF FOSTER FAMILIES/GROUP
FOSTER CARE**

(Affix Recent
Photo)

Date of Visit:

a) Name :

b) Date of Birth & Age :

Gender :

Date of Placement :

Details of Foster Parents :

Name of Foster Parents :

Address :

.....

Contact details :

Landline :

Mobile :

Aadhaar Card Number :

Photograph of Parents :

(Affix Recent
Photo)

(Affix Recent
Photo)



3. Interaction with the Foster Child

a)	Child's experience being part of the family (with reference to whether the child is properly cared for – physical, emotional and health) describe i) Health Indicators a) Present Health Status b) Any record of Illness c) Any other treatment that the child is undergoing ii) Emotional	<input type="checkbox"/> Happy and Well-adjusted <input type="checkbox"/> In Process of adjusting <input type="checkbox"/> malaadjusted
b)	How is the child performing in his studies? (i) check in relation with the grades/markis the child achieved in previous examinations, (ii) Foster parents have regular (iii) Do they attend PTA meetings?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
c)	i) The amount of time parents (foster) spend with the child either alone or together with their own children. ii) How do they spend time together as a family and for what? iii) Does the foster child share with the foster parent's problems he /she is facing either at home, school in the neighbourhood or emotionally feeling not happy?	<input type="checkbox"/> Having conversations <input type="checkbox"/> Dining <input type="checkbox"/> Playing <input type="checkbox"/> Watching TV <input type="checkbox"/> Going to school <input type="checkbox"/> Doing homework together <input type="checkbox"/> Others (Specify)
d)	Does the child get support from foster parents' children? (do they mutually help each other)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
e)	Has there been any incident that made the foster child feel discriminated against?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
f)	Has there been any incident/incidents that made you uncomfortable? i) The way a foster parent/older sibling/any other member touched you. ii) The conversations foster parents/ older sibling/any other member had with you iii) Any materials- visuals, printed you were made to watch or read iv) Were you at any times sexually assaulted or abused?*	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	*if the answers are "yes" immediate steps should be taken to remove the child and send to a place of safety and support the child with medical and psycho- social therapy. ** Actions to be taken against the foster carers or parents according to the procedures laid down *** Is similar treatment being meted out to their biological child also? Then the biological child should also be treated as a child in need of care and protection and appropriate action may be taken.	

g)	Whether the child keeps in contact with his/her family of origin (by telephone, letters, visits). Specify	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
h)	Have you been beaten by the foster parent at any time?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
i)	Have you been spoken to in a manner that you felt humiliated?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
j)	Are you made to do household chores?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
k)	Do the biological children of the foster parents made to do the same household chores?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5.Interaction with Foster Parents

a)	Parent's impressions about the behavior (emotional well-being) of the child in the family	<input type="checkbox"/> Happy and well adjusted <input type="checkbox"/> In process of adjusting <input type="checkbox"/> Maladjusted
b)	Perception about his/her adjustment with the household and with other members in the family	<input type="checkbox"/> Happy and well adjusted <input type="checkbox"/> In process of adjusting <input type="checkbox"/> Maladjusted
c)	How do you discipline the child?	<input type="checkbox"/> Reason with the child <input type="checkbox"/> Scolding , Chastise <input type="checkbox"/> Beat the child <input type="checkbox"/> Other Methods (Specify)
d)	What are the behavior traits that are of concern and how do you as parents deal with them?	<input type="checkbox"/> Lack of cooperation <input type="checkbox"/> Lack of Adjustment <input type="checkbox"/> Introvert <input type="checkbox"/> Aggressive <input type="checkbox"/> Not Communicative <input type="checkbox"/> Any Other
e)	Do you spend time together with the foster child and biological children? Describe.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
f)	Views on the progress of Child's education and other talents i)Child is faring well in school ii) If the child is not faring well in school do you seek to find out the reasons a)from the child b) the school teacher iii) Do you attend PTA meetings?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
g)	Do the foster parents consult the child while taking decisions on behalf of him/her?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
h)	How does the child show approval/disapproval to the foster parent's decisions?	<input type="checkbox"/> Accept the decision with happiness <input type="checkbox"/> Accept the decision with happiness <input type="checkbox"/> Refuse to accept the decision and shows aggressive behaviour

i)	Are the foster parents aware of the social networks of the child?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
j)	Views on child's social relationship with the neighbors, school friends and teachers.	<input type="checkbox"/> Good or regular interaction <input type="checkbox"/> Periodic Interactions
k)	What is their plan for the child?(To be noted down)	
l)	Does the foster child maintain the contact with his/her family of origin? (by telephone, letters, visits). Specify	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
m)	Who maintains the bank account of the foster child as a parent?	

6. 6. Interaction with biological children of the Foster Parents:

a)	The things they do together with the foster child	<input type="checkbox"/> Dining <input type="checkbox"/> Playing <input type="checkbox"/> Watching TV <input type="checkbox"/> Going to sleep <input type="checkbox"/> Doing Homework
b)	Do they have quarrels or fights between themselves and the foster child? If yes, how often, on what issues, and how do they resolve it. Please note down	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
c)	How do you feel when your parents show love affection and care to the foster child?	<input type="checkbox"/> Happy <input type="checkbox"/> Unhappy <input type="checkbox"/> Angry <input type="checkbox"/> Jealous

7. Interaction with the School Teachers:

a)	Information about the academic performance of the child in the school (<i>verify with progress cards to see if the child has shown any progress</i>)	<input type="checkbox"/> Good <input type="checkbox"/> Fair <input type="checkbox"/> Satisfactory <input type="checkbox"/> poor
	Teacher's observation: if the child has adjusted to his/her foster parents	<input type="checkbox"/> Happy and Well-adjusted <input type="checkbox"/> In Process of adjusting <input type="checkbox"/> malaadjusted
	Do the foster parents attend parent-teacher?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
	Do they seem interested in the child's?(by enquiring of his academic Indifferent achievements, his relationship with teachers and classmates)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
	Observation on child's behavior in the school his relationship with teachers, classmates)	<input type="checkbox"/> Happy and Well-adjusted <input type="checkbox"/> In Process of adjusting <input type="checkbox"/> malaadjusted
	Any concerns of the child in the school. If yes, give details	

8. Interaction with Parents of Origin

a)	Have the parents of origin maintained contact with their child (by telephone calls, letters, and visits? How frequently?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
b)	Was the child happy to meet them?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Upset while meeting them
c)	Did the child raise any issues with regard to his or her foster carers/ parents/family with them?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d)	Do they have any interaction with the foster family regarding the wellbeing of the child?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sometimes <input type="checkbox"/>
e)	The family's status to receive back the child	<input type="checkbox"/> Family is interested and in a position to receive back the child. <input type="checkbox"/> Family is interested but not in a position to receive back the child. <input type="checkbox"/> Family is not interested to receive back the child.
f)	Received any support from the government or any other agency in helping them to receive back the child from the foster carers(If yes, give details)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

9. Interaction with Neighbours

a)	Knowledge about the neighbor fostering a child.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b)	Information about the attitude and behavior of the foster family towards the child	<input type="checkbox"/> Positive and Happy <input type="checkbox"/> indifferent Attitude <input type="checkbox"/> Negative Attitude <input type="checkbox"/> Misbehaviour towards Children
c)	Observed any quarrel or issues between the family members and foster child or between neighborhood and the foster child (if yes, give detail)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Prepared by

Signatures

MONITORING TOOL
(For Foster Care Programme in the District)
Monthly Report to be submitted to CWC with copy to SCPS

1	What are the activities conducted by the District Child Protection Unit with respect to Foster Care Program in the District? Specify the type and number of cases	
2	Number of Voluntary Organizations identified and authorized working with the District Child Protection Unit on Foster Care program? Identified Authorized	
3	What are the information's you maintain pertaining to the Foster Care Program in the district? Specify the types of information	
4	Have you conducted any advocacy activities for stakeholders in the district on Foster Care Program? If yes, specify the nature and types of advocacy?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5	Have you Organized any training programmes? if yes, specify the nature and types of training programmes?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6.	Have you organized any capacity building programs? If yes, specify the nature and types of capacity building programs?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
7.	How many advertisements have been issued for care givers/parents to apply for foster care in the month? Is there a roster prepared for the same?	
8.	Do you maintain data on prospective care givers/parents? If yes, give details	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
9.	How many Foster Care parents and children have been helped to link and register for an Aadhar number? Specify the number	
	How do you monitor and evaluate the Foster Care Program in the district? Specify also the frequency at which you monitor.	
10.	Have you recommended to terminate any Foster Care placement to the Child Welfare Committee for one or more of the reasons? If yes, number of cases? Reasons	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
11.	Have you recommended any cases for 1. Yes 2. No extension of Foster Care Placement If yes, specify the number of cases Reasons	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
12.	Any Other Comments	
13.	Observations by the Child Protection Officer	

Signature of the DCPO

Name

MONITORING TOOL

**(Investigations and Interventions for Complaints by children of Maltreatment,
Exploitation and Abuse)**

A. Interaction with DCPO			
1.	Do you maintain a logbook on complaints received regarding foster care issues?	1. Yes	2. No
2.	No of complaints registered (specify the number according to complainants)		
3.	No of complaints registered (specify the number according to the persons who registered the complaints)	Complainant	Number
		Foster child -	
		Foster parents-	
		DCPU	
		-	
		DCPO	
		-	
		SFCAC	
		-	
		CWC	
		-	
		SAA	
		-	
		Childline	
		-	
		Advocate	
		-	
		Teacher	
		-	
		OthersSpecify)	
4.	Nature of complaints received(specify the nature and number)	a. Allegation of abuse b. Criminal offence c. Social worker not visiting foster homes d. Complaint regarding CPO e. Poor facilities (eg lack of food etc.)	
5.	Number of complaints on which action has been taken by the protection officer (non-institutional care)		
	In the case of a complaint against Child protection officer (non-institutional) who takes the responsibility for taking action?		
	Nature of the actions taken in various cluster of cases		
	Status of the complaints registered		
	Number of complaints Resolved		
	Number of complaints pending		
	Number of complaints in process		
	Number of cases requiring follow up		
	Number of complaints pending for action		
6.	Any other comments		
7.	Other observations by the Evaluator		

Signature
Name

COMPLAINT FORM

Date:

- i. Name of the person filing Complaint:
- ii. Address:
- iii. Details of the child? If known
 - a) Name:
 - b) Gender:
 - c) Age:
 - d) Caste:
 - e) Religion
- iv. Who are the Child's Foster Parent(s): (if you know these answers, fill in as much information as ipossible):
 - a) Name:
 - b) Address:
 - c) State:
 - d) Pin code:
 - e) Phone no:
 - f) E-mail address
- v. Details of the nature of Complaint: (i.e. foster child being abused, social worker not visiting the foster home, etc.)

.....

.....

.....

.....

- vi. Request (action/ response/ outcome).

.....

.....

.....

Yours sincerely
(Signature)

Complaint can be made to any of the following:

Chairperson/ Member, Child Welfare Committee

District Child Protection Officer

Department Concerned of District Administration

INVESTIGATION FORM

The Foster Care Complaint Template should be attached to this document

- 1) Complaint Received (date):
- 2) Name of the person who received the complaint:
- 3) Complaint was received at the office of:
- 4) Complaint number given:
- 5) Name& designation of the person given charge of the investigations:.....
- 6) Action Taken:
- 7) Result of Action:.....
- 8) Follow up action:
- 9) Who is responsible for follow up:
- 10) Date of follow up:
- 11) Date(s) of subsequent follow ups:

For immediate needs and suspected child abuse or neglect call Childline at 1098 right away or the police

Signature

In charge of the investigations:

CASE VISIT TEMPLATE

1. Preliminary details:

- i. Case Number:
- ii. Child name:
- iii. Visit Date: ____/____/____
- iv. Name of Foster Parent(s):
- v. Names of Other Adults Living in Home and with whom the Outreach worker or PO (NIC) interacted:
 - A.
 - B.
 - C.

2. Observations:

- i. Changes in the household:

Comments.....

.....

.....
- ii. Relationships in the foster family:

Comments.....

.....

.....
- iii. Cultural and ethnic considerations :

Comments.....

.....

.....
- iv. Social support and respite:

Comments.....

.....

.....
- v. Services and training

Comments.....

.....

.....



vi. Safety and supervision in the foster home:

Comments.....
.....
.....

vii. Child behaviors and parenting skills:

Comments.....
.....
.....

viii. Schooling/education of child:

Comments.....
.....
.....

ix. Physical and mental health status/needs of child and foster family:

Comments.....
.....
.....

ix. Visits, interactions with birth family, and shared parenting:

Comments.....
.....
.....

3. Did you spend time speaking privately with the child? ☐ Yes ☐ No

4. If no, give reason

Prepared by:(outreach worker/PO(NIC)

...../...../.... (date)

IEC MATERIAL

1. The challenges of being a care giver/ parent

Separation from family is one of the most upsetting events that can be experienced by a child, therefore becoming a care giver/parent has many challenges and requires a high level of commitment. Children who have suffered abuse and neglect can display a range of challenging behaviours and require a high level of physical, emotional and social support.

Other challenges may include

- Issues with DCPU
- Inadequate support during emergencies
- Experiencing stress when dealing with children's complex needs
- Lack of information and/or training to address problematic behaviours or health issues
- Inadequate financial resources for children with special needs
- Difficulties dealing with birth parents or issues between the child and the birth parent
- Saying good bye when a child or young person is reunified or moved to another foster placement

2. Helpful tips for care givers/parents

Below are some helpful tips that may help the care givers/parents in dealing with the challenges of foster caring:

- Get to know the child in your care
- Identify their strengths and areas of need
- Be aware of any special requirements of the child
- May set boundaries and daily routines (eg meal times and bedtimes). However, these may need to be introduced slowly to allow time for the child to settle in and familiarise with the new family.
- Be patient when a child tests you to find out if you are genuine or patient enough
- As much as the situation permits, you need to be very understanding and show the child that they can trust you.
- If you have children of your own at home, the foster child would need to be adequately looked after and assured that they are welcome in the family.
- When deciding on becoming a foster parent, it is important to consider how your family would feel about it and when possible, involve them in the decision-making.
- When accepting a placement, it is important that you discuss with your case worker the potential issues that may occur, so you can have realistic expectations of the foster child. It is also important to maintain ongoing contact with your case worker.
- It may help to join a foster parent support group ,if available so you can access local services as well as information resources. If there is no local group available, your case worker might be able to refer you to an online support network.

3. Rewards of being a foster parent

Being a foster parent can be very demanding and exhausting. However, there are also rewards such as:

- Being instrumental in keeping children safe and helping them to reach their full potential
- Being a highly valued and contributing member of a caring team
- Expanding your social and personal contacts
- Enhancing your own parenting skills and knowledge while helping other parents to develop new ways of relating to children

5 TO BECOMING A FOSTER CARER

Step 1	Study the information / Advertisement	<ul style="list-style-type: none"> • It wil contains basic information about being a foster carer. • After you have read the material and you want to find out more, you should attend an information session. • If you are unsure if you would be suitable or eligible as a foster carer, call the office of the DCPU
Step 2	Attendan an information session	<ul style="list-style-type: none"> • At the information session you will meet an experienced staff from the DCPU. You will have the chance to ask questions and find out about different types of fostering
Step 3	Expression of interest	<ul style="list-style-type: none"> • Once you and your family have decided to take the next step, complete an application form and return it to DCPU
Step 4	Home visit	<ul style="list-style-type: none"> • A person from the DCPU team will call you to make a time to meet you and your family at home. This is a chance for us to learn more about you and have a look at your home. For you, it is an opportunity to hear more about fostering. If you still want to go ahead, the worker will leave you an application form.
Step 5	Screening	<ul style="list-style-type: none"> • The application form send to the office of DCPU. The form asks for background details of you and your family. • Part of your application includes giving DCPU permission to carry out police and Department • Checks, contact referees, and get a health report from your doctor.
Step 6	Assessment	<ul style="list-style-type: none"> • The assessment starts after DCPU have received some of the screening information. • Some one from DCPU will visit you and your family several times at your home. • You will decide, with the DCPU, what type of foster care you wish to do, and what age and sex of child would fit best with your lifestyle. • DCPU will assess your readiness to become a foster carer and your ability to: <ul style="list-style-type: none"> • work as part of a team; • respond to a foster child's emotional, educational, psychological and physical needs; • provide a safe home, free of abuse; and • take the responsibility to learn and develop as a carer.
Step 7	Training	<ul style="list-style-type: none"> • You will need to attend preparation training sessions. • At these sessions you will learn about why children enter care and the issues that they experience, as well as your and the roles and responsibilities of other partners.
Step 8	Approval	<ul style="list-style-type: none"> • The DCPU staff will submit a report to the CWCs and SFCAC, who, in turn, will make a recommendation about whether or not you should be a foster carer. • If you are approved, you will get a letter and be asked to sign an undertaking with the CWCs. • This whole process can take about three months. It might seem a long time, and a bit intrusive, but we need all this information to make sure that you are suitable, safe and able to look after other people's children. • If you are not approved, there are still ways you can help. You may be able to assist as volunteer in other ways

EXPLANATORY NOTES ON COUNSELING OF POTENTIAL FOSTER CHILD

1. Counselling should be conducted as per the child's understanding level and he/she should be informed of a foster placement which might happen in their lives. The person involved in the foster care process should be introduced and that the children should be encouraged to share their feelings surrounding this process. **The child's safety and best interest should be the most important consideration in this process.**

2. Objectives of counselling session:

- To begin educating prospective foster children about what they can expect from being a foster child
- To minimize traumatic effects on a child as a result of being removed from their previous familiar environment
- To assure safety and quality of care that a child will receive as his/her right

3. Guiding notes:

1. Does the child understand the concept of foster care?

Yes No

(If not, explain foster care fully including the concept, the legal aspects and the key stakeholders in the process including the roll of the DCPU, PO-NIC, DCPO, CWC, SFCAC, etc.)

2. If the child wants to be connected to anyone in society, make sure they are part of this process if safe and appropriate for the child. The identified people are the first potential foster parents. However, they shall follow the said procedure of being a foster carer/parent. Please list all connections the child mentions. Sometimes drawing pictures about their "circle" of people can be very helpful. Ask them to draw a house or their community and ask who is in the circle and who is not. Who have they listed?

EXPLANATORY NOTES ON COUNSELING BIOLOGICAL FAMILIES OF FOSTER CHILDREN

Meetings with biological families of foster children should be done by the foster parents with support from the case worker as per need. **The child's safety and best interest should be the most important consideration in this process.**

A foster parent should remember that for a child, contact with birth family is their connection to identity. Evidence based research shows that when children feel a connection to their roots, regardless of the safety and conditions of their biological family, they feel a connection to life. This is an important connection to maintain when safe and appropriate.

Biological families should not be made aware of where a foster family or foster child lives. They should meet at the CWC, DCPU or case manger's agency under supervised visits to prevent negative impact on foster family. *(eg may extort money from foster family).*

EXPLANATORY NOTES ON CONDUCTING CASE VISIT

Prior to the visit, review records and list below items identified for follow-up at last home visit. Use this list as a prompt during discussion with the foster family.

During this visit be sure to follow up on these top priorities from the last visit: Below each topic area are guiding questions you may wish to use. These questions are merely suggestions, not a script. Please use a piece of paper to fill out comments as per each of the below categories but also use your own questions as per the family situation.

Discuss the topic areas below in a way that is natural and conversational. It is mandatory to cover each topic and make comments in the comments section.

1. Foster carer/parent home

- i. **Changes in the household:** Is anyone new living in the house, staying temporarily, or spending most of his/her time here? New job or financial status?
- ii. **Relationships in the foster family:** How are the children getting along? What about relationships between adults and children? Between adults?
What's the greatest source of conflict in the family? How are issues resolved?
- iii. **Cultural and ethnic considerations :** (What are foster parents doing to learn about, honor, and maintain connection to the original culture(s) of the children placed in their home? Do they have any questions or need information about the child?
- iv. **Social support and respite:** Who does foster family turn to for help and advice—friends, extended family, coworkers, community, religion, school? Does the child have social/emotional support and connections outside the home?
- v. **Services and training:** What resources/referrals are needed for child or other members of foster family—i.e child care, substance abuse, etc.?
What skill would the foster parent or child in foster care benefit from learning/enhancing right now?
- vi. **Safety and supervision in the foster home:** For example, does the child feel safe in the home? Is safe and appropriate discipline being used? Is there an appropriate level of supervision for children in the home? Does the community accept the child living in the home; are there any dangers therein?
- vii. **Child behaviors and parenting skills:** Is any child displaying challenging behavior? How capable & successful do foster parents feel in managing child's behavior? What's working/not working?
- viii. **Schooling/education of child:** How is the child doing in school? Consider social as well as academic issues. What does the child or family need to increase success? Are they taking tuitions?
- ix. **Physical and mental health status/needs of child and foster family:** Is the child in good health? Does the child have unmet or ongoing medical needs? Have foster parents noticed any recent changes in the child's mood or behavior? Does the child or foster parent have questions about the quality or frequency of mental health services? Is anyone else in the home having medical or mental health problems?
- x. **Visits, interactions with birth family, and shared parenting:** Does child have concerns or needs related to birth family or visits with them? How do foster parents respond? What are foster parents doing to maintain the connection between the child and the birth family? What has worked or not worked? What help do they need?

If they have done fostering earlier too, how well the child had integrated into the family. What is he/she doing now? Interaction with that child will reveal many facets of the foster care giver/parent's personality.



EXPLANATORY NOTES ON CONDUCTING HOME STUDY

1. Description of a preferred child

The type of child, the foster-carer would consider (To be filled after a full discussion with the Foster-carer)

2. Give details of:

- personalities:
- family life,
- experiences
- specific qualities of the family that can match with a child's needs.

Note: (The details should facilitate initial identification of a potential match of a family with a specific child.)

3. A Home Study Report of the foster care giver(s) being a crucial document being prepared by the social worker of the Specialized Adoption Agency/ CCI/DCPU based on the information collected and should broadly include the following information:

- Social status and family background
- Description of the home
- Standard of living as it appears in the home
- Current relations amongst the members in the home
- Status of development of the children already in the home
- Employment and economic status • Health details
- Details of facilities of education, medical, vocational trainings available in the neighborhood
- Reasons for wanting a child in foster care
- Attitudes of the grandparents and other relatives
- Anticipated plans for the foster child
- Legal status of the foster care giver(s)
- Willingness to undergo training.

4. DETAILS OF APPLICANT(S)

Background:

- Family structure with details of parents and siblings.
- Significant details of other family members, childhood experiences

Relationships:

- Length of married life
- what qualities does each applicant bring to the partnership,
- what makes the relationship positive for each other?
- Within the relationship how do applicants cope with problems/stress/anger?
- How do applicants support each other?
- What is each applicant's assessment of how the foster placement will affect his or her relationships

(This can be understood after several such visits and interactions)

Decision making:

- How is decision – making exercised in this relationship and how does each of the applicants view this?
- Is there wider extended family involvement in the couple's decision-making process?
- If so, how will this affect the child to be placed?
- What are the strengths and vulnerabilities of this partnership?
 - (a) Children
 - (b) Children and their parents' relationships
 - (c) Children's attitude and readiness for a foster placement sibling.
 - (d) Describe each child and their temperament, any special talent and need, how children have been involved in preparation.

Applicants support networks:

Give a general picture of support systems currently used by the applicants including extended

- Family
- Friends
- Neighbors
- Religious activities
- Community groups
- Include details of the location etc.

Other significant members of the family:


- Living in the house or not.
- Their relationship to the applicants,
- How much time they spent within the home,
- Their attitude to the proposed placement?
- How important is their acceptance of placement to the applicant.

Description of the family life style:

- Outline what family considers important e.g. how important are religious & cultural practices.
- How is affection show in the family?
- How do the members spend their time?
- What expectations family members have with regard to personal space?
- What value is placed on education/hobbies and leisure activities that the whole family undertakes?

Parenting capacities:

- Experience of the applicants of caring and working with children.
- Describe their adjustment to parenthood.
- What is their understanding of how children develop?
- Using their own childhood experiences what patterns of parenting would they repeat and what would they change?
- What is their understanding of their own parenting strengths/potentials and about their parenting skills to meet the needs of individual child.

- 
- To what extent they would expect other family members to be involved in parenting of their children/placed children.
 - How will they ensure that a child will be safe from physical sexual abuse in their family and within wider support networks?

Managing Unacceptable Behaviour:

- What are rules in the household?
- How do the applicants show approval/disapproval?
- What are discipline measures they use?
- Their attitude towards punishment?
- What do they anticipate would be the issues and difficulties for the child?
- Which changes do they anticipate would be needed in their lifestyle?

Social workers assessment:

It should provide an analysis of all the information collected through the format and its significance with regard to the capacity of the applicant to carryout fostering task:

What skills do the applicants have in relating to and working with children?

How well will the applicant work with the agency, with biological parents? What are the strengths and resources of the applicants and which are the areas where they may experience difficulty? Also the point of disagreement between the social worker and the applicants should be recorded here.

XPLAINATORY NOTE ON COMPLAINTS AND INVESTIGATIONS

Who can make a complaint?

A complaint can be made by anyone, including the foster child, Foster parents, DCPU, DCPO, PO-IC, PO-NIC, SFCAC, CWC, SAA, Childline, Advocate, JJB, SAA appointed Social Worker, teacher, family member, Foster Parent(s), member of the public, or member of NGO/agency.

How is the investigation conducted?

Complaints are registered through the **Foster Care Complaint Template** that can be filled out by anyone. This Template is submitted to the DCPU, CWC,

SAA and SFCAC by stamped post of the foster child's current district of jurisdiction. The Child Welfare Committee and the Sponsorship and Foster Care Approval Committee shall conduct either by itself or through District Child Protection Unit, a periodic review of the placement in the best interest of the child and take appropriate action including extension or termination of the foster care placement.). The Protection Officer – Non Institutional Care is responsible for any complaint and the processing thereof unless the complaint is about the Protection Officer – Non Institutional Care. If so, the complaint should be addressed directly to the CWC. Protection Officer – Non Institutional Care or the CWC must forward the initial **Foster Care Complaint Template** and **Foster Care Complaint Covering Letter** to their reporting officer within 24 hours and a report within two week of receipt of complaint to their reporting officer as per the **Foster Care Complaint Investigation Template**.

If the complaint does not warrant an investigation as determined by the Protection Officer – Non Institutional Care or CWC, follow up to the complaint will be done by: 1. informal interview with the foster care givers (and others) in their home with notes taken by the interviewer or by a more formal interview at the home with a written record of the discussion.

In the case of an allegation of abuse is determined the Protection Officer – Non Institutional Care or CWC will interview the carer(s), the foster child and the complainant (if it is someone different). Others who may have relevant information may also be interviewed.

If the complaint is regarding a criminal offence, a police officer will undertake the interviews.

A decision may be reached at any stage of the investigation that the child should be removed from the foster placement if they are considered to be at risk of significant harm. Such a decision should only be made after very careful consideration by the Protection Officer – Non Institutional Care or CWC, and should reflect the paramount concern to protect and promote the best interest of the child. The removal of a child from a home can be only be done with CWC approval.

What happens when the investigation is completed?

The Protection Officer – Non Institutional Care or CWC is responsible for ensuring that their reporting officer and the foster care giver(s) are informed in writing of the outcome of the investigation. The CWC will be responsible for informing the child and his/her biological parents of the outcome of the investigation.

A record of the complaint and the investigation outcome shall be maintained in the foster care givers' file.

If the foster care givers who have been investigated regarding a complaint are dissatisfied about the way that the investigation was handled, they will be offered the chance to make a complaint through the same procedure:

Steps of investigation visit

In the case of a complaint a visit from the Protection Officer – Non Institutional Care or CWC:

- The first step of the investigation should include an assessment of the foster home environment, neighbourhood and the foster child's daily activities
- Educational, psychological and behavioural information of the child should be obtained from the school attended by foster child (if educational complaint)
- A thorough medical examination of the foster child should be carried out (if medical complaint or abuse complaint)
- The person who has made the complaint should also be interviewed
- If the investigation reveals that the foster child is unable to adjust in the placement, he/she should be given special counselling and should be kept under observation for maximum six months through continuous follow-ups before a final decision
- If the situation is not resolved, the CWC shall issue the order for the relocation of the child from the placement
- If the a complaint of abuse of the foster child by the foster parents is deemed to be true, the child should immediately be taken into protection
- The child should be presented before the CWC and an appropriate order for relocation should be issued
- Foster parents who have been found guilty of abuse shall be subjected to legal action and shall be blacklisted for future placements
- In the case that a foster family is intentionally deemed fit person under false or dishonest pretences, then the personnel responsible (the person conducting home study or the CWC) be subjected to legal action.

In the case of death of foster child or foster parents:

- In the case that the foster child is suffering from any serious illness, the Protection Officer – Non Institutional Care shall provide this information to the biological parents/ guardian(s)/ CWC/ SJPU.
- In the case of the death of a foster child, all efforts shall be made to generate the death certificate and post mortem report within 24 hours.
- Upon receiving the death certificate, the DCPU shall immediately inform the competent authority and CWC.
- In the case of the death of foster parents, the child should be relocated to a recognised children's home or returned home to his/her biological family.

Considerations:

The best interest of the child should always be considered paramount. The aim of the investigation should always be to resolve the case as soon as possible and protocol should incorporate timelines. For example, if the nature of the complaint is deemed serious then the child should be removed from the placement within a certain number of hours and an emergency care should be prepared within 24 hours.

It is crucial that every person connected with the foster care program understands child abuse, as well as his/her role and responsibilities in protecting children in the program. All stakeholders responsible for implementing the Child Protection Policy should undergo a rigorous training and have a certification followed by periodic refresher program.

Child abuse to be categorized as severe, moderate and mild depending on the intensity and seriousness of the case and reporting formats developed for this. All cases of abuse (mild, moderate and severe) should be reported to the CWC and course of action should be determined by CWC.



In all cases of suspected or proven child abuse or neglect, the focus is placed on safeguarding and protecting the child. At the same time, healing measures are provided and the protection of all persons involved is guaranteed. The affected persons receive the necessary counselling and support.

A quarterly report on all abuse cases to be submitted by the implementing partner to DCPU.

Children's participation should be given importance and they should be empowered to speak up against all forms of abuse, acting as agents of self-protection and the protection of their peers.

**For immediate needs and suspected child abuse or neglect call Childline
at 1098 right away or the police at _____.**



Notes

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal lines (top, middle, and bottom) for writing practice.

